लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची CONTENTS

अंक 9, गुरुवार, 1 अगस्त, 1968/10 श्रावण, 1890 (शक)

No. 9, *Thursday, August* 1, 1968/*Sravana* 10, 1890 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तां० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
241. मोहन नगर (उत्तर प्रदेश) के कर्मचारियों से ज्ञापन	Memo from Employees of Mohan Nagar U.P.	1465
243. भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	1466
244. विदेशों द्वारा उर्वरक के आयात संबंधी प्रस्ताव	Offer by Foreign Countries for Import of Fertilizers	1470
246. उड़ीसा के लिये विशेष क्षेत्र विकास योजना	Special Area Development Scheme for Orissa	1478
248. चीनी के वायदे के सौदे	Forward Trading in Sugar	1481
249 खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	1484

अल्प-सूचना प्रश्न SHORT NOTICE QUESTION

1. राजस्थान में टिड्डियों का उत्पात	Locust menace in Rajasthan	1485

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

242. भारत और नेपाल के बीच रेडियो टेलीफोन सम्पर्क	Radio Telephone Link between India and Nepal	1489
245. जीवाणु उर्वरकों का वाणिज्यिक उत्पादन	Commercial Production of Bacterial Fertilizers	1489

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
250.	गेहूं के स्टाक का जमा होना	Accumulation of Wheat Stocks	1490
251.	आटा मिलों द्वारा गेहूं की खरीद	Purchase of Wheat by Flour Mills	1490
252.	वन विकास	Forest Development	1490
253.	चीनी संबंधी सम्मेलन	Sugar Conference	1491
254.	चुनावों के पूर्व मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदानों का दिया जाना	Disbursement of Discretionary Grants of Ministers on eve of Elections	1491
255.	बेकार पशुओं की देखभाल	Maintenance of Useless Cattle .	1492
256.	पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates for Displaced Persons in West Bengal	1493
257.	चुनाव संबंधी निलम्बित याचिकायें	Pending Election Petitions	1494
258.	अनाज को क्षति	amage of Foodgrains . .	1494
259.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons from East Pakistan	1495
260.	उत्तर प्रदेश में खण्डसारी का जमा होना	Accumulation of Khandsari in U.P..	1495
261.	डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling Facilities	1496
262.	बिहार में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Bihar	1496
263.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्धारित मानक से घटिया दूध की सप्लाई	Supply of Sub-standard Milk by D.M.S.	1497
264.	पंजाब में ट्रिपल ड्वार्फ गेहूं के बीजों की बिक्री	Sale of Triple Dwarf Wheat Seeds in Punjab	1498
265.	उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री अधिनियम के उल्लंघन के मामले	Cases of Violation of Factory Act in Uttar Pradesh	1498
266.	अनौपचारिक सलाहकार समितियां	Informal Consultatlve Committee	1499
267.	उत्पादकों द्वारा चीनी को छिपाना	Concealment of Sugar by Producers	1499

तां०, अता० प्र० संख्या & U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
268.	पटसन उद्योग के केन्द्रीय संगठन की मांगें	Demands of Central Organisation of Jute Workers	1500
269.	कार्मिक संघों को मान्यता देना	Recognition of Trade Unions .	1501
270.	नई दरें लागू होने के बाद पोस्ट कार्ड तथा लिफाफों तथा टिकटों की बिक्री संबंधी आंकड़े	Sales Figures of Post Cards and Envelopes and Stamps after new Rates . .	1501

अतारांकित प्रश्न संख्या

UNSTARRED QUESTION NOS.

2021.	खाद्य अधिकारियों द्वारा कदाचार	Food Officials involved in malpractices]	1502
2022.	मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त अनाज की बिक्री	Sale of Food grains unfit for human consumption	1502
2023.	दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय	Food Corporation of India's Office in Delhi	1503
2024.	मध्य प्रदेश में बंजर भूमि	Barren Land in Madhya Pradesh	1503-04
2025.	पंजाब में ट्यूबवैल	Tubewells in Punjab	1504
2026.	कर्मचारी भविष्य निधि का क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	Employees Provident Fund's Regional Office, New Delhi	1504-05
2027.	विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संस्था के साथ करार	Agreement with World Food Programme .	1505-06
2028.	रेलवे में काम पर लगे हुए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी	Minimum Wages of Labour Engaged in Railways	1506
2029.	पश्चिम बंगाल में खड़गपुर के गोल बाजार क्षेत्र में डाकघर	Post Office at Gol Bazar Area of Kharagpur, West Bengal	1506
2030.	तने में सूराख करने वाले कीड़ों को नष्ट करना	Eradication of Stem-Borer Pest	1507
2031.	बम्बई में महारानी की मूर्ति के निकट अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार केन्द्र	International Tele-Communication Centre near Queens' Statue in Bombay . .	1507-08

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2032.	ऐग्रिड फेब्रिकेशंज लिमिटेड, कलकत्ता . .	Agrind Fabrications Ltd., Calcutta .	1508
2033	रासायनों का आयात .	Import of Chemicals	1508-09
2034.	आंध्र प्रदेश में सहकारी नियंत्रित बैंकों को रिजर्व बैंक से ऋण	Reserve Bank Loans to Co-operative Controlled Banks in Andhra Pradesh . .	1509—12
2035.	पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण समितियां	Land Distribution Committees in West Bengal	1513-14
2036.	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	1514
2037.	श्रम मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी	Staff Employed in Labour Ministry .	1514-15
2038.	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	1515
2039.	सुपर बाजार, नई दिल्ली में नियुक्तियां . .	Appointments in Super Bazar, New Delhi	1515-16
2040.	चिरिमिरी खानों में दुर्घटना	Accident in Chirimiri Mines .	1516-17
2041	सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण .	Loans given to Cultivators by Co-operative Banks	1517-18
2042.	रेडियो लाइसेंस निरीक्षणालय के कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता .	Travelling allowance to Radio Licences Inspectorate Employees . . .	1518
2043.	चीनी का निर्यात .	Export of Sugar . .	1518-19
2044.	गन्ने का मूल्य .	Sugarcane Price . . .	1519
2045.	दिल्ली में खोये की बिक्री पर प्रतिबन्ध . .	Ban on Sale of Khoya in Delhi .	1519-20
2047.	कोयला क्षेत्र भरती संस्था की समाप्ति . .	Abolition of Coal field Recurring Organisation	1520
2048.	कोयला खान भविष्य निधि .	Coal Mines Provident Fund . .	1520-21
2049.	बागान श्रमिक अधिनियम .	Plantation Labour Act	1521
2050.	निर्यात प्रधान उद्योगों में श्रमिकों की मंजूरी .	Wages of workers in Export oriented Industries	1522
2051.	केरल में डाक व तार कर्मचारियों के लिये मकान .	Staff Quarters for P. & T. Employees in Kerala	1522—24

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2053.	नई जेमाहारी खास कोयला खान	New Jemahari Khas Colliery	1524
2054.	पश्चिम बंगाल में सिनेमा कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Cinema Workers in West Bengal	1524-25
2055.	राष्ट्रीय विवाचन संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of National Arbitration Promotion Board	1525
2056.	पश्चिमी बंगाल में नलकूप	Tubewells in West Bengal	1525
2057.	राज्यों में कृषि विकास निगम	Agricultural Development Corporation in States	1526
2058.	राजस्थान में टिड्डी दल का उत्पात	Locust Menace in Rajasthan	1526
2059.	राजस्थान में जालौर जिले में नल कूपों का निर्माण	Construction of Tubewells in Jalore District of Rajasthan	1527
2060.	श्रम कल्याण समिति	Labour Welfare Committee	1527-28
2062.	जम्मू तथा काश्मीर को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to J. & K.	1528-29
2063.	दिल्ली टेलीफोन जिले में लाइनमैनों के पद	Post of Line Men in Delhi Telephone Districts	1529
2064.	दिल्ली टेलीफोन जिला में टेलीफोन उपनिरीक्षक	Telephone Sub-Inspectors in Delhi Telephone District	1529-30
2065.	उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में विषाणुओं (वायरस) के कारण गेहूं को क्षति	Damage to Wheat due to Virus in certain U. P. Districts	1530
2066.	कूओं के निर्माण का कार्यक्रम	Wells Construction Programme	1530-31
2067.	ग्राम दान	Gram Dan	1532
2068.	विहार पंचायती राज विधान	Bihar Panchayati Raj Legislation	1532
2069.	लोक कार्य क्षेत्र	Lok Karya Kshetras	1532
2070.	हावड़ा में तथा हरियाणा में चार रेलवे स्टेशनों पर जब्त किया गया मक्का छोड़ा जाना	Release of Maize confiscated at Howrah and 4 Rly. Stations in Haryana	1532-33

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2071.	मन्नाबानूर भेड़ पालन प्रक्षेत्र तथा अनुसंधान संस्था .	Mannavanur Sheep Farm and Research Institute	1533-24
2072.	ज्यूल बाक्स टेलीफोन रिसीवर . .	Jewel Box Telephone Receivers.	1534-35
2073.	गन्ने का उत्पादन	Sugarcane Production .	1535
2075.	कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के लिये कार्यान्वियन समितियां .	Implementation committees for Coal Mines Wage Board's Recommendations . .	1536
2076.	पश्चिम काजोरा कोयला खान	Western Kajora Colliery . .	1536
2077.	दहेज रोक कानून .	Dowry Prohibition Law	1536-37
2078.	कानपूर में चमड़ा उद्योग .	Leather Industries at Kanpur .	1537
2079.	किसानों की समस्याओं का अध्ययन . .	Study of Problems of Farmers .	1537-38
2080.	गोरखपुर में उचित मूल्य वाली अनाज की दुकानें .	Fair Price Foodgrains Shops in Gorakhpur	1538
2081.	बिहार में टलीफोन .	Telephone Connections in Bihar	1539
2082.	बिस्फी खण्ड कार्यालय, दरभंगा . .	Bisfi Block Office, Darbhanga .	1539-40
2083.	खाद्यान्नों का समाहार .	Procurement of Foodgrains . .	1540
2085.	मेरठ में डासना में सार्वजनिक टेलीफोन .	Public Call Office in Dasna, Meerut .	1540
2086.	पश्चिमी बंगाल परियोजना द्वारा धान का समाहार .	Procurement of Paddy by Levy in West Bengal	1541
2087.	पत्तनों तथा गोदी के लिए मजूरी बोर्ड . .	Wage Board for Ports and Docks	1541-42
2088.	बर्मा और श्री लंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को ऋण . .	Loans to Repatriates from Burma and Ceylon	1542
2089.	पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र . .	Flood Affected Areas in West Bengal	1542-43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2090.	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को पुनर्वास संबंधी समिति	Committee on Rehabilitation of Refugees from East Pak.	1543
2091.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	1543-44
2092.	निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया गया राजनीतिक दलों का सम्मेलन	Conference of Political Parties Organized by Election Commission	1544
2093.	दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें	Complaint of Corruption in D.M.S.	1544-45
2094.	पटसन का उत्पादन	Jute Production	1545-46
2095.	पुंछ क्षेत्र के निवासियों को सहायता	Assistance to Poonch area Inhabitants	1546-47
2096.	अनाज के मूल्य	Prices of Foodgrains	1547
2097.	मूंगफली के मूल्यों में गिरावट	Fall in Prices of Groundnut	1548
2098.	केरल के लिए खाद्यान्नों का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Kerala	1548-49
2099.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध की सप्लाई में अनिमितताएं	Irregularties in Milk Supply by D.M.S.	1549-50
2100.	करोलबाग, नई दिल्ली में जूतों के एक कारखाने में हड़ताल	Strike in Shoe Factory Karol Bagh, New Delhi	1550
2101.	बेकार इन्जीनियर	Unemployed Engineers	1551
2102.	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons from East Pakistan	1551-52
2103.	जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी कलकत्ता में तालाबन्दी	Lock out in General Electric Company Calcutta	1552
2104.	महाराष्ट्र में डाम्बीवाली स्थित डाकघर	Post Office in Dombivali, Maharashtra	1552-53
2105.	अनाज के लिए गोदाम	Storage for Foodgrains	1553-54
2106.	उत्तर प्रदेश में परती भूमि	Fallow Land in U. P.	1554

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2107.	ग्राम्य सेवा के लिये कलकत्ता को स्माल वान	Small vans to Calcutta for Rural Service	1554-55
2108.	मोकामेह में अनाज जमा करने का डिपो	Storage Depot at Mokamoh	1555
2109.	बिहार सरकार की ओर बकाया राशि	Arrear against Bihar Government	1555-56
2110.	बिहार में टाटा की जमींदारी का समाप्त किया जाना	Abolition of Tatas' Zamidari in Bihar	1556
2111.	ईंधन के काम आने वाले वृक्ष उगाने के कार्यक्रम	Programme for Growing Fuel wood Plantations	1556-57
2112.	नेपाल को गेहूं का सम्भरण	Supply of Wheat to Nepal	1557
2113.	गैर-सरकारी क्षेत्र में गोदामों का निर्माण .	Construction of Godowns in the Private Sectors	1557-58
2114.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों के लिये दिल्ली में भूमि .	Plots in Delhi for Displaced Persons from East Pakistan	1558
2115.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	Industrial Training Institutes . .	1558-59
2116.	अधिवक्ता अधिनियम पुनर्विरोकन समिति .	Advocates Act Review Committee .	1559
2117.	भारतीय बीज निगम द्वारा खराब बीजों की सप्लाई .	Defective Seeds Supply by Seed Corporation of India	1559-60
2118.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत सलाहकार समितियां आदि	Advisory Committees etc. under the Ministry of Food and Agriculture . .	1560
2119.	संचार विभाग में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in Department of Communications	1560
2120.	सुपर मार्केट	Super Markets	1561
2121.	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के गोदामों पर छापे	Raid on Food Godowns in U.P.	1561
2122.	उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा	Veterinary Hospitals in U.P.	1561-62
2123.	उत्तर प्रदेश में भूमिदान योजना के अन्तर्गत भूमि	Land under Bhoomi Dan in U.P. .	1562

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2124.	उत्तर प्रदेश में अनाज का गोदामों में जमा किया जाना	Storage of Foodgrains in U. P.	1562-63
2125.	पत्रकार तथा गैर-पत्रकार	Journalists and Non-Journalists	1563
2126.	अनाज का इकट्ठा किया जाना	Storage of Foodgrains	1563-64
2127.	हरियाणा से गेहूं का निर्यात	Export of Wheat from Haryana	1564
2128.	भारत का महान्यायवादी	Attorney General of India	1564
2129.	आसनसोल में केंडवा बाजार का भूमि में धंसना	Subsiding of Kendua Bazar, Asansol	1565
2130.	बंजर तथा कृषि योग्य भूमि का नियतन	Assignment of Barren and Cultivable Land	1565-66
2131.	खेतिहर मजदूर	Agricultural Labour	1567
2132.	चौथे आम चुनाव के बारे में निर्वाचन आयुक्त की रिपोर्ट	Report of the Election Commission on the Fourth General Elections	1567-68
2133.	आम चुनावों में सवारी (परिवहन) की व्यवस्था करने पर प्रतिबन्ध लगाने के विधान	Legislation to Ban Supply of Transport during General Elections	1568
2134.	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो प्रबन्धकों और सहायकों की बरखास्तगी	Dismissal of Depot Managers and Assistants of DMS	1568-69
2135.	टिड्डी दल के आक्रमण	Warning regarding Locust Attack	1569
2136.	संसद् कार्य विभाग	Department of Parliamentary Affairs.	1573-71
2137.	चावल तथा खरीफ फसल के खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Rice and other Kharif Foodgrains	1571-72
2138.	उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा बलिया जिले में नलकूप	Tube wells in Deoria and Ballia District of Uttar Pradesh	1572
2139.	उत्तर पूर्व रेलवे के तमुरिया स्टेशन पर अनाज का खराब होना	Roiting of Foodgrains at Tamuria Rly. Stn. (N. E. Rly).	1572-73
2140.	पूना को जाने वाले गेहूं की क्षति	Damage of Wheat Consigned to Poona	1573
2141.	खाद्य उत्पादन	Food Production	1573-74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2142.	भूमि विकास बैंक	Land Development Banks	1574-75
2144.	पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी कर्मकार	Engineering Workers of West Bengal.	1575
2145.	गोहत्या विरोधी आन्दोलन	Anti Cow Slaughter Agitation	1575
2146.	सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct Telephone Connections	1575-76
2147.	मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Wage Board's Recommendations	1576
2148.	मोकामेह में अनाज का खराब होना	Rotting of Foodgrains at Mokameh	1576-77
2149.	टेलीफोन ग्राहकों द्वारा टेलीफोन की खरीद	Purchase of Telephones by Subscribers	1577
2150.	हरियाणा से मक्का का निर्यात	Export of Maize from Haryana	1577-78
2151.	दिल्ली में होटलों में रात्रि का भोजन	Dinners in Delhi Hotels	1578
2152.	बिहार में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Poll in Bihar	1579
2153.	सड़कों और रेलों द्वारा उर्वरकों की ढुलाई	Transport of Fertilizers by Railways and Roads	1579-80
2154.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में परिवर्तन	Variation in size of Parliamentary Constituencies	1581-81
2155.	कीड़ों के कारण फसलों को हानि	Damage to Crops due to Pasts	1581-82
2156.	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation works in West Bengal	1582-83
2157.	मनीआर्डर फार्म की कीमत में वृद्धि	Increase of cost of Money order Form	1583
2158.	आयातित खाद्यान्नों और उर्वरकों पर विलम्ब शुल्क	Demurrage on Imported Foodgrains and Fertilizers	1584
2159.	जयपुर में डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का निर्णय	Decision of Strike by P & T Employees in Jaipur	1584
2160.	मनीपुर से आसाम को पशुओं का ले जाया जाना	Movement of Cattle from Manipur to Assam	1584-85
2161.	हिन्दी में टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन	Publication of Telephone Directory in Hindi	1585-86

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2162.	कालकाजी कालोनी, दिल्ली में प्लाट	Plots in Kalkaji Colony, Delhi	1586
2163.	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	1586-87
2164.	देश में डाकघरों की संख्या	Post Offices in the Country	1587
2165.	देश में टेलीफोन की संख्या	Telephones in the Country	1587
2166.	स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges	1587-88
2167.	महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की स्मृति में स्मारक पोस्ट कार्ड	Memorial Post Cards in the Memory of Mahatma Gandhi and other Leaders	1588
2168.	राज्यों द्वारा टेलीप्रिंटर की मांग	Teleprinters required by States	1588
2169.	राष्ट्रीय युवक आयोग	National Youth Commission	1589
2170.	आय-कर न्यायाधिकरण	Income-tax Tribunals	1589
2171.	त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation Works in Tripura	1590
2172.	त्रिपुरा में ग्रामीणों की ऋण-ग्रस्तता	Rural Indebtedness in Tripura	1590-91
2173.	त्रिपुरा में सहकार आन्दोलन	Cooperative movement in Tripura	1591-92
2174.	मंत्री का अगरतला का दौरा	Minister's visit to Agartala	1492-93
2175.	खाद्यान्नों को जमा करने की सुविधायें	Facilities for stocking Foodgrains	1593-94
2176.	समुद्री जहाजों के डीजल इंजन	Marine Diesel Engines	1594
2177.	गोदी श्रमिक	Dock labour	1594-95
2178.	टेलीप्रिंटर	Teleprinters	1595
2179.	बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्ति	Repatriates from Burma	1595-96
2180.	सब्जी मंडी डाकघर में आग लगना	Fire in Subzimandi Post Office	1596
2181.	मध्य प्रदेश में रोजगार	Employment in Madhya Pradesh	1596-97
2182.	मध्य प्रदेश को भूमि संरक्षण के लिये धनराशि	Amount for land conservation to Madhya Pradesh	1597

अता० प्र० संख्या U. S Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2183.	जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय को सहायता	Assistance to Jabalpur Agricultural University	1597-98
2184.	भूमि बन्धक बैंक	Land Mortgage Banks	1598
2185.	सीमावर्ती जिलों में सूक्ष्म तरंग व्यवस्था	Microwave System in Border Districts	1598-99
2186.	चीनी को बाजार में भेजा जाना	Release of Sugar	1599
2187.	अकार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से स्वास्थ्य को खतरा	Health Hazard in the use of Inorganic Nitrogen Fertilizers	1599-1600
2188.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	1600-01
2189.	गुजरात सर्किल में पोस्टकार्ड, लिफाफे इत्यादि की कमी	Shortage of Postal Stationery in Gujarat Circle	1601
2190.	डाक विभाग में पदोन्नतियां	Promotions in the Postal Department	1602
2191.	गुजरात में डाक स्टेशनरी	Postal Stationery in Gujarat	1602-03
2192.	चुनाव के उम्मीदवार के रूप में मंत्री	Ministers as Candidates for Election.	1603
2193.	खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिये उर्वरकों की आवश्यकता	Requirement of Fertilizers to fulfil the target of Foodgrains	1603-04
2194.	डाक व तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers in P&T Department	1604
2195.	मजूरी निर्धारण व्यवस्था	Wage Fixation Machinery	1604-05
2196	इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry	1605
2197	डाक तथा तार विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें	Recommendations of Expert Committee of P & T Department	1605-06
2198	सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Cotton Textile Wage Board	1606
2199	भविष्य निधि की बकाया राशि	Provident Fund Arrears	1606-07
2200	केन्द्रीय कार्मिक संघ की सदस्यता	Membership of Central Trade Union Organisations	1607-08

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2201	भविष्य निधि की बकाया राशि	Provident Fund Arrears .	1608-09
2202	स्टुअर्ट्स लाइड, कलकता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees. of Stuarts-Lloyds Calcutta	1609
2203	संयुक्त केन्द्रीय शरणार्थी परिषद्, पश्चिमी बंगाल	United Central Refugee Council, West Bengal	1609-10
2204	सीरामपुर स्टेशन यार्ड पर चावलों का सड़ना	Rotting of Rice at Seerampur Station	1610
2205	सुपर बाजार नई दिल्ली के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation from employees of Super Bazar, New Delhi	1611-12
2206	भारत में चुनाव	Elections in India .	1612
2207	भारत-नार्वे परियोजना के निदेशक का बार-बार तबादला	Frequent Transfer of Directors of Indo-Norwegian project	1612-13
2208	भारत-नार्वे परियोजना में भारतीय तकनीकी कर्मचारी	Indian Technical Personnel in Indo-Norweigian Project	1613-14
2209	विभिन्न राज्यों में कृषि विकास के लिए विदेशी सहायता	Foreign aid for Agricultural Development in various States	1614
2210	अधिक उपज वाली फसलों के अन्तर्गत भूमि	Land under high yielding varieties Cultivation Schemes	1614-15
2211	बीकानेर डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा सीधा टेलीफोन	Public Call Offices and Direct Telephone connections in Bikaner Division .	1615-16
2212	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains under PL 480	1617
2213	सहकारी चीनी मिलें	Cooperative Sugar Mills	1617-18
2214	कृषि के विकास के लिए पंजाब को अनुदान	Agricultural Development grant to Punjab .	1618-19
2215.	मोहिनी शुगर मिल्स (बिहार)	Mohini Sugar Mills, (Bihar)	1619
2216	कृषि भवन तथा संसद्भवन में दूध के डिपुओं के कर्मचारियों का तबादला	Transfer of Attendants of Milk Stall in Krishi Bhawan and Parliament House .	1620

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2217	गुजरात में बेराबन में मत्स्य पालन उद्योग के विकास की परियोजना — Project for Fishing Industry in veraval (Gujarat)	1620
2218	गुजरात राज्य में कैरा जिले में डाकघर — Post Office in Kaira District of Gujarat	1620-21
2219	गिरि वन के बबर शेर — Gir Loans	1621
2220	चीतों का सफाया — Disappearance of Leopards	1621-22
2221	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रोत्साहन बोनस — Incentive Bonus in Public Undertakings	1622
2222	पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य — Rice Price in West Bengal	1622-23
2224	आयरलैंड द्वारा सुअरों की सप्लाई — Supply of Pig by Irelands	1623
2225	राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में बुलडोजरों से खेती को क्षति — Damage to Crops by Buildozers in Rajasthan Canal Project Area	1623-24
2226	उत्तर प्रदेश में सहकारी बीज स्टोर तथा सरकारी बैंक — Cooperative Seed Store and Cooperative Banks in U.P.	1624
2227	पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कारखाने — Factories in West Bengal and Maharashtra	1624-25
2228	औद्योगिक सम्बन्धों पर अध्ययन दल — Study Group on Industrial Relations	1625
2229	खाद्यान्नों के लिए सीधा खरीद केन्द्र — Direct Purchase Point, for Foodgrains	1625
2230	आन्तरिक उपग्रह संचार — Domestic Satellite Communications	1625-26
2231	पश्चिम बंगाल में हुए अनाज सम्बन्धी दंगों के बारे में लाहिड़ी आयोग का प्रतिवेदन — Lahiri Commission Report on Food Riots in West Bengal	1626
2232	चीनी मिलों के पास पड़ा स्टाक — Uncleaned Stocks with Sugar Mills	1626-27
2233	भारत में मत देने की आयु का कम किया जाना — Lowering of voting Age in India	1627
2234	दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास — Development of Dandakaranya Areas	1627-28

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos. विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2235	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य	Rehabilitation works under Dandakaranya Development Authority . . .	1628-29
2236	महाराष्ट्र में कृषि विश्व-विद्यालय	Agricultural University in Maharashtra .	1629-30
2237	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारी	Employees in ICAR . . .	1630
2238	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons in Andaman and Nicobar Islands	1630
2239	महाराष्ट्र में नकली उर्वरक का विक्रय	Sale of Fake Fertilizers in Maharashtra .	1631
	अविलम्नीय लोक महत्व के विषय की की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance.	1631
	चैकोस्लावाकिया रूस विवाद	Czech-Soviet Dispute . .	1631-34
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	1635-36
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha . .	1636
	सभा की कार्यवाही के बारे में	Re. Proceedings of the House . .	1636
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	1637
	राज्य सभा के सदस्य का सम्मिलित होना	Association of Rajya Sabha Member .	1637
	अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक	Inter-State Water Dispute (Amendment) Bill	1637-49
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider . . .	
	डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao . .	1637-39
	खंड 2 से 7 और 1	Clause 2 to 7 and 1 . .	1640
	संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended .	
	डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao . . .	1642
	श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh .	1646
	श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok .	1647
	श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra .	1647
	श्री एम० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi .	1647

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री मनु भाई पटेल	Shri Manubhai Patel .	1647
श्री स० दा० पाटिल	Shri S. D. Patil . .	1648
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar . . .	1648
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	1648-49
श्री क० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	1649
प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक	Press and Registration of Books (Amendment) Bill	1649
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah . . .	1649
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari . . .	1650-51
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra .	1651
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Parbhu . .	1651-52
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	1652
श्री एम ० मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra .	1653
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya. .	1653-54
श्री क० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	1654-55
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	1655
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar .	1655
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	1656
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	1657
बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक	Banking Laws (Amendment) Bill . .	1658
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Select Committee	1658-65
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . .	1658

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 अगस्त, 1968/10 श्रावण, 1890 (शक)
Thursday, August 1, 1968/*Sravana* 10, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Memorandum from Employees of Mohan Nagar (U.P.)

241. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation be** pleased to state:

(a) whether it is a fact that two thousand employees from Mohan Nagar (U.P.) demonstrated before the Prime Minister's Residence on or about the middle of last month and presented a memorandum also;

(b) if so, the nature of their demands; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Some workers of the Mohan Industries demonstrated before the Prime Minister's house on 16th June, 1968 and presented her a memorandum of their demands.

(b) The demands related to minimum wage, dearness allowance, making casual employees permanent, better treatment from the factory officers and arrangements for the recreation and welfare of children of female workers.

(c) The demands of the workers were forwarded to the Government of Uttar Pradesh for necessary action. The Government understand that both parties have accepted arbitration by Shri Raj Narain, M.P. and thus work in the Mohan Industries has returned to normal.

1806(Ai)LSD—2.

Shri Nihal Singh: Shri Raj Narain was accepted as an arbitrator on the request of the hon. Minister to finish the dispute between these two parties. I would like to know whether the decision given by Shri Raj Narain will be implemented or not.

Shri Hathi: It is not a matter of my request, when both the parties agree then only the arbitrator comes in. There is no pressure on it from the Government. Both sides have agreed; it is for them. Where is the question of the Government compelling?

Shri Nihal Singh: This is not only a question of workers of the Mohan Industries. The condition of the workers of whole India is like this. I would like to know what effective steps are being taken to ameliorate the conditions of the workers so that they may be able to live like human beings.

श्री हाथी : जब दोनों पक्ष पंच नियुक्त करने को सहमत हो जाए तब ये सब प्रश्न उठाने चाहिए, उनको अपना मामला उसके सामने प्रस्तुत करना है । सरकार इसके बीच में नहीं आती ।

Shri Rabi Ray: I want to know whether any decision has been given by Shri Raj Narain in respect of interim relief; if so, what are the drawbacks in the decision?

Shri Hathi: I have not seen that decision. It is their duty. Perhaps it is not necessary also that that may come to me.

Bharat Sewak Samaj

*243. **Shri Ram Avtar Sharma:**
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some such works were undertaken by the Bharat Sewak Samaj on which Government have invested money and which are still incomplete; and

(b) if so, whether Government propose to continue its dealings with the Samaj?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) उन कार्यों, जो कि भारत सेवक समाज द्वारा सरकारी निधि की सहायता से आरम्भ किए गए थे और जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भारत सेवक समाज के साथ अन्य ठेकेदारों के समान ही बर्ताव किया जाना है ।

Shri Ram Avtar Sharma: I would like to know whether the important officers, present and previous officers of the Bharat Sewak Samaj are members of the Congress Party? Whether members of other parties are also members of this Organisation?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह बात इस प्रश्न से पैदा ही नहीं होती ।

Shri Ram Avtar Sharma: I would like to know why the technical efficiency of Bharat Sewak Samaj is recognised and what are the reasons that no investigation is being made about the misappropriation of crores of rupees by it, for example road works in the Bharatpur Division of Rajasthan etc.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम भारत सेवक समाज के मामलों की जांच कर रहे हैं ।

Shri Ram Avtar Sharma: The hon. Minister has not replied to my question that why the technical efficiency of Bharat Sewak Samaj is recognised?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिमान है । यह सम्बन्धित विभाग का कार्य है कि वह भारत सेवक समाज की तकनीकी योग्यता और इसके कार्यों की जांच करे ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : संसद् के पिछले अधिवेशन में भारत सेवक समाज के बारे में आधे घंटे की चर्चा के दौरान गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को दोनों मंत्रियों के ध्यान में लाया गया था और उन्होंने उस समय यह वायदा किया था कि न केवल उन लेखों की जांच के लिए अन्तिम प्रयास किया जा रहा है जो कई वर्षों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं बल्कि सभी अनियमितताओं की जांच की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो, इस मामले की अदालती जांच की जायेगी । मैं जानना चाहता हूं यह जांच कार्य इस समय किस सोपान पर है और अदालती जांच के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम अपने वचन पर दृढ़ हैं । हम विभिन्न मंत्रालयों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं तथा प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और हम इस मामले में अदालती जांच करने के सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं ।

Shri D. N. Tiwary: Whether it is a fact that some members are allergic to the Bharat Sewak Samaj? In Bihar, Bharat Sewak Samaj has done the work with great efficiency. It undertook the construction work of Kosi embankment which has greatly benefited Bihar. May I know whether the hon. Minister gives any special treatment to the Bharat Sewak Samaj or treats it like other contractors? There are so many such contractors which have taken the work but that has not been completed. In spite of it, no action is taken against them. In these circumstances, why there is a discrimination against the Bharat Sewak Samaj?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मुझे इस बात का पता नहीं है कि कुछ विरोधी सदस्यों को भारत सेवक समाज के प्रति असहानुभूति है, इस बात का निर्णय करना सदस्यों का काम है । जहां तक काम का सम्बन्ध है हम निर्णय कर चुके हैं । पिछले वर्ष मई के महीने में योजना आयोग ने स्वयं निर्णय किया था कि भविष्य में भारत सेवक समाज के साथ अन्य ठेकेदारों के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिये । जहां तक शेष पड़े हुए काम का सम्बन्ध है, प्रत्येक ठेके के समझौते में इसके लिए दण्ड की व्यवस्था है और इस समझौते को भंग करने पर दण्ड दिया जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी: सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सेवक समाज को खाद्य मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों रखा गया । यह बड़ी अजीब सी बात है । यदि यह समाज कल्याण विभाग अथवा अन्य किसी ऐसे ही विभाग के अन्तर्गत हो तो कुछ बात भी है । भारत सेवक समाज के काम करने के ढंग के सम्बन्ध में तथा उसके द्वारा सरकारी निधि के दुरुपयोग के बारे में कुछ बातें लोकलेखा समिति के सामने आई हैं और इसने भी अपनी पिछली रिपोर्ट में इसके बारे में बहुत कुछ कहा तथा दुबारा इसका निर्देश किया है । भारत सेवक समाज के विरुद्ध इन आरोपों को देखते हुए कि न तो वे समाज के सेवक हैं और न ही भारत के बल्कि वे केवल अपने ही सेवक हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या अदालती जांच के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है और क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि भारत सेवक समाज को दुरुपयोग के लिए अब कोई पैसा नहीं दिया जायेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : पहली बात तो यह है कि भारत सेवक समाज खाद्य मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह सामुदायिक विकास मंत्रालय के अधीन है । इसीलिये इसके बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिये । जहां तक भारत सेवक समाज को आगे अनुदान और ऋण देने का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि यह सब बन्द कर दिया गया है और ठेके के मामले में भारत सेवक समाज अन्य संगठनों के समान ही है । इस सम्बन्ध में भेद-भाव के व्यवहार को अपनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या भूतकाल में उसका नाम कालीसूची में दर्ज था ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : अनर्हता अथवा कालीसूची में नाम दर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हम भेदभाव का व्यवहार नहीं करते और ठेके के समझौतों में दण्ड की व्यवस्था है ।

Shri Kanwar Lal Gupta: In the last session the hon. Minister promised in this House that a judicial enquiry will be instituted in the matter of misappropriation by Bharat Sewak Samaj. But my information is that when they thought of implementing it, a great pressure was put upon them because, if this judicial enquiry takes place many big leaders of Congress who have connections with Bharat Sewak Samaj are entrapped. There are grave financial irregularities and misappropriations of funds and the property is also not traceable. That is why the Government are hesitating to conduct a judicial enquiry. I want to ask from the hon. Minister that three months have passed when he said that a judicial enquiry will be conducted, they why he does not want to institute a judicial enquiry? May I know whether this time is being given to prepare a bogus account there; if not, whether their accounts will be seized?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): Others cannot understand the question of preparing accounts once and twice as better as the hon. Member....

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, they act dishonestly and shield dishonest persons and charge others, this is not good.

Shri Jagjivan Ram: You have become perplexed on a bitter matter. We did not worry when you declared all of us dishonest.

श्री बलराज मधोक : माननीय सदस्य ने सीधा प्रश्न पूछा लेकिन मंत्री महोदय का उत्तर आक्षेपपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोचते हैं कि माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया आक्षेप आवश्यक था ? इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी ?

Shri Jagjivan Ram: In the last Session of Parliament I said that the accounts of the grants given by the various Ministries or Departments to Bharat Sewak Samaj will be looked into and after that if it will be necessary, a judicial enquiry will be instituted. Just now the hon. Minister stated that we are standing by our promise and I may also tell you that I do not go back under pressure from a thing which I consider right. The difficulty in checking the accounts is that the Bharat Sewak Samaj has received the grants, assistance or donation not only from one organisation, but from various Ministries and Departments and in different items. It is natural that it will take time in collecting them and now the matter has also approached very near. That is why I said and I am repeating that again that after looking into the accounts we will decide about the judicial enquiry. One thing more I may make clear that we are looking into the accounts of the money given by the Central Government. Public Accounts Committee will also look into it. If all this will not be satisfactory then we will institute a judicial enquiry into it.

श्री मनुभाई पटेल: मैं जानना चाहता हूं कि वे लोग कौन हैं जो भारत सेवक समाज के कार्यकलापों के विरूद्ध शिकायत कर रहे हैं । क्या वे उस दल के हैं जो विकास कार्यों में लोगों का सहयोग उपलब्ध कराने जैसे भारत सेवक समाज के अच्छे कार्यों के बारे में अनभिज्ञ हैं अथवा क्या वे उस दल के हैं जो किसी भी रचनात्मक कार्यकलाप में भाग लेना नहीं चाहते और केवल शोर मचाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है और इसमें हमसे आशा की जाती है कि हम कुछ जानकारी प्राप्त करें । श्री कंवर लाल गुप्त के आरोप ने प्रतिवाद को जन्म दिया । अब आपका आरोप दुबारा कलह पैदा करेगा । मेरे विचार से आप दोनों के अरोपों से आप दोनों के आरोप परस्पर रद्द हो गये । यहां आक्षेप पर आक्षेप हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि अब और अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं केवल आरोप और प्रत्यारोप शेष है । भारत सेवक समाज पर 50 सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं । मैं आसानी से अगले प्रश्न पर जा सकता हूं । श्री सिंह ?

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री मनुभाई पटेल ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं पहले ही अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन् उन्होंने लोक लेखा समिति के सदस्यों पर आक्षेप लगाये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूं ।

विदेशों द्वारा उर्वरक के आयात सम्बन्धी प्रस्ताव

*244. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के आयात के लिये विदेशों के किन्हीं प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो उनके स्वीकार किये न जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रा० कृ० सिंह : मैं समझता हूं कि कुछ अफरीकी तथा कुछ दक्षिण-पूर्व ऐशियाई देशों ने भारत से उर्वरक के आयात की प्रार्थना की है । उर्वरक कुछ ऐशियाई देशों की विकास योजनाओं का एक भाग है । भारत सरकार की सहायता से कुछ पड़ौसी देशों को लाभ पहुंच सकता है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम संसार के विभिन्न भागों से उर्वरक खरीद रहे हैं । यह खरीद विभिन्न देशों द्वारा दिये गये ऋण द्वारा की जाती है । कई मामलों में हमें ऋण में सुविधायें दी गई हैं तथा कई मामलों में ये ऋण बार्टर समझोतों के अन्तर्गत होता है । मैं नहीं जानता कि ऐशियाई देशों के बारे में कहने का उनका क्या अभिप्राय है ।

श्री रा० कृ० सिंह : मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कुछ देश भारत से उर्वरक खरीदने के इच्छुक हैं । कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम विदेशों से आयात करते हैं, परन्तु पड़ौसी देशों की सहायता करने की नीति के अन्तर्गत हम कुछ अफ्रीकी देशों को भी देते हैं । इसीलिये मैंने यह प्रश्न किया था ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि सब को भली प्रकार ज्ञात है, हम स्वयं भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं तथा हम अन्य देशों से आयात कर रहे हैं । जब हमारा उत्पादन-कार्यक्रम उन्नत होगा तो उसके बाद हम कुछ देशों की सहायता करने की स्थिति में हो सकते हैं । परन्तु इस समय तो मैं नहीं समझता कि उर्वरक के मामले में हम दूसरे देशों की कोई ठोस सहायता कर सकते हैं ।

Shri George Fernandes: Mr. Speaker, in today's papers itself there is a statement of Mr. Raghunath Singh, Chairman of Hindustan Zinc Ltd., that we are importing fertilizers worth crores of rupees from foreign countries whereas fertilizer worth lakhs of rupees and produced by his factory is getting wasted without any use. So, will the Government be able to explain why the Indian produced fertilizer is being destroyed and it is being imported from other countries by spending foreign exchange?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाया है । परन्तु मैं कहूंगा कि हमारी भी वही धारणा है । इसका अर्थ है कि पहले तो हम देशीय उत्पादन को महत्व देने के लिये उसका उपरोग करें । जिस वक्तव्य के विषय में माननीय

सदस्य ने कहा है वह फॉस्फेट उर्वरक के बारे में है जिस को पिछले कुछ मासों पूर्व नहीं लिया गया था। साधारणतया मास जनवरी से जून के दौरान उर्वरक की आवश्यकता सदैव कम रहती है क्योंकि मौसम नहीं होता। ख़रीफ और रबी की फ़सलों के लिये मौसम आरम्भ हो जाने पर मांग सदा बढ़ जाती है और हम इस बात का ध्यान रखे हुए हैं कि भारतीय कारख़ानों में जो भी माल उपलब्ध है उसका उपयोग किया जाये। विशिष्ट रूप से इस फ़ास्फेटिक उर्वरक के बारे में पहले हमने 3,30,000 टन का आयात करने की योजना बनाई थी। परन्तु अपने बढ़ते हुए देशीय उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने मूल कार्यक्रम को 1.3 लाख टन तक घटा दिया है तथा जनवरी के बाद से हमने आयात के लिये कोई क्रयादेश नहीं दिये हैं।

Shri Randhir Singh: Mr. Speaker, the fertilisers are the back-bone of the farmers. It is as essential as water. The hon. Minister is aware that it is beyond the powers of the farmers to purchase that fertilizer which is now available. So, do the Government have any specific scheme so that the farmer may get maximum fertiliser at less cost and his requirements may be met; and when this scheme will materialise?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : क्या मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि देश में ऐसी स्थिति आज पहली बार आई है कि हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, चाहे वे नाट्रोजीनिय फास्फेटिक अथवा पोटाश हों की सारी आवश्यकताओं को सुगमता से पूर्ण करने की स्थिति में हैं। जहां तक इसका सम्बन्ध है,सो कोई समस्या नहीं है। मूल्यों के बारे में यह सत्य है कि उनका वर्तमान स्तर हमारे देश में अपेक्षाकृत ऊंचा है, परन्तु जब तक आधुनिक तकनीक की सहायता से हम बड़े पैमाने पर भारतीय उत्पादन नहीं बढ़ाते, इस समस्या को हल करना सम्भव नहीं है ? पिछले अवसर पर पैट्रोलियम और रसायन मंत्री महोदय ने भी यह स्पष्ट किया था।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यूरिया और अमोनिया फ़ास्फ़ेट के विश्व मूल्य काफ़ी नीचे आ जाने की दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले कुछ मासों में भारतीय उत्पादों के मूल्य की तुलना में आयातित उर्वरकों के औसतन क्रय मूल्य क्या थे तथा किसानों को हम किस दर से बेच रहे हैं। दूसरे, उर्वरक के आयात के बारे में विश्व भर से आमंत्रित निविदाओं के आधार पर बातचीत हो रही है या यह आयात बातचीत द्वारा तय किया जा रहा है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सत्य है कि दुनिया भर में उर्वरक के मूल्यों में गिरावट आई तथा स्वाभाविक है कि हमें उसका लाभ हुआ। पहली बार तो, पिछले वर्ष तो हमने अमोनियम सल्फ़ेट 30 डालर प्रति टन के हिसाब से ख़रीदा। तथा इस वर्ष इस बारे हमें कुछ मात्रा 20 डालर प्रति टन की दर से प्राप्त हो गई। दर बदलती रहती हैं। यूरिया के बारे में भी, मूल्य 85 डालर से 75 डालर पर नीचे आ गये हैं। विभिन्न देशों से क्रय होता है तथा प्रति देश के मूल्यों में विभिन्नता होती है।

अमरीका तथा कैनाडा में टैंडर पद्धति है। दूसरे देशों में हम बातचीत करते हैं परन्तु वहां एक सीमा निश्चित होती है; किसी विशिष्ट स्तर से परे हम उस विशिष्टि देश से क्रय नहीं करते। पूर्व-यूरोपीय देशों में जहां कि भुगतान रुपये में होता है, हमने सीमा निश्चित कर रखी है। परन्तु क्रय करते समय मूल्यों के विश्व स्तर को सदा ध्यान में रखा जाता है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : भारत में उत्पादन के क्या मूल्य हैं तथा किसानों को किस मूल्य पर दिया जाता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यथेष्ट सूचना चाहिये ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : एक ग़लती है । इस मंत्रालय की बजाय यह प्रश्न सम्भरण मंत्रालय को भेजा जाना चाहिये था ।

Shri Madhu Limaye: The same is the case with Questions also. As far as I know the question regarding Jute too should also come under that.

Shri Prem Chand Verma: I want to know that as per the balance sheet prepared after the physical verification of the stock of fertilizer produced by the Fertiliser Corporation and other fertiliser factories by the 31st March, 1968, how much of that fertiliser has been lying unused for over one year and rottening and what is it worth? Has it been shown in the balance sheets or not?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को भजना पड़गा ।

श्री ई० के० नायनार : क्या यह सच है कि इस समय अमेरिका में लगभग 10 लाख टन के उर्वरक बिना बिके पड़े हैं तथा वहां के उत्पादक उन्हें भारत में फकना चाहते हैं? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या भारत खाद निगम के विरोध करने पर भी ट्रॉम्बे के उर्वरक क्षेत्र को बढ़ाने का काम अमरीकी ठेकेदारों को सौंप दिया गया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरा सम्बन्ध प्रश्न के केवल पहले भाग से है । माननीय सदस्य की यह धारणा कतई ग़लत है कि उर्वरक की भारी मात्रा बेकार पड़ी है । वास्तव में तो हमें ख़श होना चाहिये तथा सभा भी इसे अनुभव करेगी कि हम किसानों को समय पर खाद देने की स्थिति में नहीं हैं ..... (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप प्रश्न को समझे नहीं । वह यहां की नहीं अमेरिका में पड़े खाद की बात कर रहे हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें अमेरिका के स्टाक से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने क्रय से प्रयोजन है ।

श्री ई० के० नायनार : वे उसे भारत में फेंकना चाहते हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : दूसरे देशों की चाहे जो मन्शा हो, हम अपनी नीति अपने हितों और जरूरतों को देखते हुए तय करते हैं । हम तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हों तथा मौसम पर हमें चीज़ उपलब्ध हो ।

Shri Raghuvir Singh Shastri: 60 per cent of the total import of fertiliser in India comes from the U.S.A. and fifty per cent of it has to be brought here in American ships who have increased their fares by 49 per cent with the result that the American fertilisers are very costly for us; whereas the Japanese fertilisers are cheaper because of low fares of their ships. In these circumstances, why do not you import fertiliser from Japan?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम जापान से भी मंगा रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भारत सरकार ने दूसरे देशों में लम्बी अवधि के लिये उर्वरकों के आयात का प्रबन्ध करने के लिये प्रतिनिधि भेजे थे, परन्तु हमें दो तीन कारखानों में जाने का अवसर मिला तथा हमें बताया गया कि वहां बहुत बड़ा भण्डार एकत्रित हो रहा है । सरकार स्थिति को कैसे ठीक करती है ? एक ओर तो देश में उर्वरक का अभाव है, और दूसरी ओर वितरण का काम कुशलता से नहीं होता जिसके परिणाम-स्वरूप कई स्थानों पर तो उर्वरक कारखानों में भारी मात्रा में खाद जमा हो जाता है जब कि देश के अन्य भागों में किसानों की आवश्यकता तक को पूरा करने में गम्भीर कमी अनुभव की जाती है । इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कुछ करने का विचार है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय तो, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया सम्भरण का कार्य बड़ा सन्तोषजनक है । माल मिलता है । हमने राज्य सरकारों को यह आश्वासन दिया है कि यदि देश के किसी भाग में भी कोई शिकायत है तो हम सप्लाई भेजने को तैयार हैं । क्या मैं माननीया महोदया को विश्वास दिला सकता हूं .....

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : राज्य सरकारों की ओर से शिकायतें नहीं होंगी । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या किसानों की ओर से शिकायतें हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा में यह समझने की योग्यता है कि क्या उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि नहीं ।

Shri Madhu Limaye: Others are also interested in the answers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उपलब्धि के बारे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिये । कुछ कारखानों में माल के पड़े रहने के बारे में पहले ही कह चुका हूं । जहां तक नाइट्रोजन तथा अन्य उर्वरकों का सम्बन्ध है, सो कोई समस्या नहीं है । फ़ास्फ़टिक उर्वरक के बारे में कुछ समस्या थी । परन्तु जनवरी से जून तक की अवधि में हमारे देश में उर्वरक की मांग नहीं होती । अतः इस अवधि में माल एकत्रित हो गया । हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि ख़रीफ़ और रबी की ऋतुओं में माल उठा लिया जाये । हमने कारखानों को भी इसके संकेत दे दिये हैं जिनकी कि कुछ कठिनाइयां हैं तथा हम इस माल के उठाने के बारे में समन्वय करने को तैयार हैं तथा कई राज्य सरकारें उस उर्वरक को स्वीकार करने को आगे आई हैं ।

Shri Prem Chand Verma: It has not been answered as to how much fertiliser has been lying in the factories?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । श्री ओम प्रकाश त्यागी ।

Shri O. P. Tyagi: Is it a fact that owing to these Food Zones, the prices of the foodgrains are declining and the farmer is not getting his full price? Besides that the prices of the fertiliser is also on increase. Due to fall in foodgrain prices, the farmer is also not caring for fertilisers. I would like to know that in view of foodgrain prices, would the Government restrict the prices of fertilisers or subsidise them so that the farmers might be able to use those fertilisers?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज-सहायता देना तो सरकार के लिये सम्भव नहीं है। धन-स्रोतों की स्थिति बड़े स्तर पर राज-सहायता देने की अनुमति नहीं देती। शुरू शुरू में जब मांगें नहीं थी कुछ राज-सहायता दी गई थी ताकि किसानों में खाद लोकप्रिय हो सके। राज-सहायता का दिया जाना धन-स्रोतों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। मैं कह रहा था कि हम इसका प्रबन्ध करने के बड़े इच्छुक हैं कि किसानों को खाद उचित दामों पर मिले। परन्तु इस बारे में पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने अनेक बार स्पष्ट किया है कि जब तक हम नई प्रौद्योगिकी तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन नियोजित नहीं करेंगे तब तक इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई सरल उपाय नहीं है। इस समय किसानों को जो मूल्य दिये जा रहे हैं वे इतने लाभप्रद हैं कि मैं नहीं सोचता कि किसान इस स्थिति में नहीं है कि वे उर्वरक न खरीद सकें।

Shri Maharaj Singh Bharati: Mr. Speaker, too many cooks spoil the broth. I want to invite the attention of the hon. Minister to the fact that too many cooks spoil the broth. It is a question of import. Government formulated a policy leaving aside Potash because they have to import that from East-Germany through rupee payment. There is no scheme to prepare that. There is a scheme of Tata but that will do a little. But there fertilisers of—nitrogen and phosphate are remaining. For these a policy was formed that the factories which will be established on the basis of collaboration will be permitted to import fertiliser to explore market and according to that policy the fertiliser was imported and was being sold to explore market. May I know whether the Government have given up that policy and whether those persons will be allowed to import who have always to import and have to establish no factory?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री महोदय से पूछा जाय।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि इस प्रकार की लगातार एक शिकायत रही है कि देश के कुछ भागों में उर्वरक चोर-बाजार में बेचा जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस अवैध सौदे को रोकने के लिए पहले क्या कदम उठाये हैं जिसके लिये किसानों को सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्य से अधिक कीमत चुकानी पड़ती है और यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार उसे रोकने के लिये क्या कदम उठायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब हमारे पास वितरण की सुसमन्वित व्यवस्था है, राज्य सरकारें . . . (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन से विशेष कदम उठाये। मुझे सामान्य उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम राज्य सरकारों को आवंटन करते हैं और यह उत्तरदायित्व पूर्णतः राज्य सरकारों का है, कि वे किस प्रकार वितरण करें।

श्री राममूर्ति : उन्होंने बताया कि उनके पास सुसमन्वित व्यवस्था है। क्या चोर बाजारी के लिये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : विवाद यह है कि उर्वरकों में चोर बाजारी हो रही है तो मैं नहीं सोचता कि यह न्याय संगत है। यदि वे विशेष उदाहरण मेरे नोटिस में ला सकें तो मैं उनकी जांच करूंगा। यह आरोप आधार रहित है कि उर्वरकों में चोर बाजारी हो रही है।

श्री बलराज मधोक : कुछ समय पहले श्री पाटौदिया द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि विश्व टेंडरों की बजाय उनको केनाड़ा तथा आस्ट्रेलिया से उर्वकों की सप्लाई क लिए टेंडर प्राप्त हुए तथा वे पूर्वी-यूरोपीय देशों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या वह कीमत जो कनैडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे हुए उर्वरकों के लिए दी जाती है अगर उसमें वहन-शुल्क भी मिला दिया जाय तो क्या वह सस्ती पड़ती है अथवा पूर्वी-यूरोपीय देशों से जिस कीमत पर आप उर्वरक खरीदते हैं वह सस्ती है।

कहाँ से खरीदने पर सस्ता पड़ता है ? क्या और ऐसे दूसरे देश नहीं हैं जो भारत के अधिक समीप हैं। जिनसे हम और अधिक सस्ते दामों पर उर्वरक खरीद सकें और जिसके लिए हमें वहन-शुल्क भी कम देना पड़े ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथराव) : यदि आप अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि केनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से उनकी ओर से सहायता मिलने पर खरीद की जाती है . . .

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : वह बीच में कैसे आ गये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हैं क्योंकि माँगें बाद में आयेंगी, यदि वह इसका उत्तर दे रहे हैं तो उनको शेष सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी तैयार रहना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय पैदा करता है, खाद्य और कृषि मंत्रालय बंटन करता है, राज्य सरकारें वितरण करती हैं, निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय खरीद करता है। इस प्रकार उर्वरक को फुटबाल बनाया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : हमारे में से कोई भी नहीं जानता कि क्या हो रहा है।

Shri Rabi Ray: Then he should have replied to the question of Shri Patodia and Shri Bharati also.

श्री सु० कु० तापड़िया : यदि आप इस समय अनुमति देत हैं तो भविष्य में भी जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या आप दूसरे मंत्री को उत्तर देने के लिये बुलाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे एक परम्परा बना रहे हैं .

श्री जगन्नाथराव : मैंने कहा, "यदि आप अनुमति दें", मैं केवल तभी उत्तर दूंगा जब आप मुझे अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरे मंत्री को केवल सहायता मात्र कर सकते हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रश्न के गुण-दोषों पर जाने से पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह प्रश्न हमारे मंत्रालय को निर्देश किया गया तो हमने आपके सचिवालय से अनुरोध किया था कि वह देख कि यह प्रश्न निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाय क्योंकि खरीद का कार्य यही मंत्रालय करता है । लेकिन इसमें बड़ा विलम्ब हुआ और सचिवालय ने सोचा शायद हस्तान्तरण न हो सके । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि सभा को स्थिति का पता चल जाय ।

जहाँ तक खरीद का सम्बन्ध है हम कुछ उर्वरक विश्व टैंडर जारी करके भी खरीदते हैं । जहाँ अमेरिका तथा केनाडा का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हम वहाँ भी टैंडर जारी करते हैं । लेकिन हमारे पर कोई रोक नहीं है कि हम आवश्यक रूप से सभी टैंडरों को स्वीकार करे । हम दुनिया के विभिन्न भागों तथा कनेडा और अमेरिका में मूल्यों क स्तर की जाँच करते हैं और यदि यह हमारे लिए लाभकर होता है तो तब हम खरीद करने का वचन देते हैं ।

जहाँ तक तुलनात्मक मूल्यों का सम्बन्ध है, इसके लिए मझे नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री बलराज मधोक : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कौन सस्ते मूल्य पर देता है । हमारा सम्बन्ध भारत से है । मैं जानना चाहता हूं क्या भारत को अमेरिका तथा केनाडा से उर्वरक खरीदने पर अधिक मूल्य देना पड़ता है अथवा पूर्वी-युरोपीय देशों से खरीदने पर ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

Shri Rabi Ray: Does it also requires notice?

श्री प० गोपालन : मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है कि हम अमरीका जैसे कुछ देशों तथा विश्व बैंक से शर्तों सहित कर्जा अथवा ऋण प्राप्त करत हैं, इसीलिये हम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से भी अधिक कीमत पर उर्वरकों के आयात करने के लिये दबाव डाला जाता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उर्वरकों के आयात के मामले में हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता । क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिये हम विश्व के विभिन्न भागों में सप्लाई के स्रोतों को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी खरीदें किसी एक देश से सीमित नहीं हैं । हम सभी देशों से खरीद करते हैं । हम जापान, पूर्वी-यूरोपीय देशों, पश्चिमी यूरोप, अमरीका तथा कनाडा सब से खरीद करते हैं ।

श्री राममूर्ति : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि आखिर हम अपने प्रश्नों के उत्तर तथा जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं । इस बारे में सरकार का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है । अतः, प्रत्येक मंत्री महोदय के लिये यह सम्भव होना चाहिये कि जब वे किसी विशेष प्रश्न के बारे में बता रहे हैं यद्यपि मलतः वह प्रश्न उनको निर्देशित नहीं है, यदि वे उपस्थित हैं और उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो उसका उत्तर सभा में दें और वह उत्तर हमें प्राप्त होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन दूसरे अवसर पर जब माननीय सदस्य माँग करें और मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में न हो तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री राममूर्ति : यदि वे प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हों तो उस स्थिति में हमें उत्तर प्राप्त होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लेकिन दूसरे समय पर माननीय सदस्य ऐसा न कहें कि "नहीं, मैं इन मंत्री महोदय से उत्तर नहीं चाहता हूं बल्कि दूसरे मंत्री महोदय उत्तर दें ।"

श्री राममूर्ति : मैं किसी भी मंत्री महोदय से एकाएक प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है : लेकिन दूसरे अवसर पर, यदि मंत्री महोदय कहते हैं कि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो तब माननीय सदस्यों को उनसे उत्तर की माँग नहीं करनी चाहिये ।

श्री बलराज मधोक : इस मामले में, मंत्री महोदय उत्तर देने को प्रस्तुत थे लेकिन आपने उनको रोक दिया ।

श्री जगन्नाथ राव : हम अगली बार इसका अनुसरण करेंगे ।

श्री रा० की० अमीन : सरकार ने कीमतों को स्थिर करने की दृष्टि से कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए एक कृषि-मूल्य-आयोग नियुक्त किया है, लेकिन किसानों द्वारा जो बीज, खाद आदि लगाया जाता है उसके मूल्य निर्धारण के बारे में कोई आयोग नहीं है और कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं तथा किसानों द्वारा नियोजित बीज, खाद आदि की कीमतों में कोई समन्वय नहीं है । क्या सरकार किसानों द्वारा नियोजित बीज, खाद आदि की कीमतों तथा उत्पादित वस्तुओं और नियोजित खाद, बीज आदि की कीमतों में समन्वय स्थापित करने के लिये तथा इन दोनों में समता लाने के लिये किसी आयोग की स्थापना के बारे में विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले तैयार थे, यदि मैं आपको लिखूं अथवा उनको लिखूं तो मैं आशा करता हूं कि वह इस प्रश्न का उत्तर बाद में दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : क्या मंत्री महोदय सहमत हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : जी हां, माननीय सदस्य मुझे लिखें और मैं उत्तर दूंगा ।

श्री रा० की० अमीन : वह मेरे प्रश्न को क्यों टाल रहे हैं ? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

उड़ीसा के लिये विशेष क्षेत्र विकास योजना

246. **श्री अ० दीपा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के फूलबनी, बालनगीर और काला हाँडी जिलों की विशेष क्षेत्र विकास योजना के लिये वित्तीय सहायता के निमित्त केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). पुनर्वास विभाग के विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में उड़ीसा सरकार को मई, 1964 में यह सुझाव दिया गया था कि उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों या जिलों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये विचार किया जा सकता था। इस प्रश्न के विभिन्न पहलूओं पर दीर्घकालिक पत्र-व्यवहार करने के उपरान्त उड़ीसा सरकार ने फूलबनी जिले के विकास के लिये लगभग 12.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक 'मास्टर प्लान' फरवरी, 1968 को प्रस्तुत की थी। यह एक अन्वीक्षात्मक योजना समझी गई थी, और योजना आयोग के परामर्श से, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि योजना आयोग द्वारा बताई गई रूपरेखा के आधार पर फूलबानी के लिये "जिला प्लान" प्रस्तुत की जाये। प्राप्त होने पर इस प्लान की छान-बीन की जायेगी।

फूलबनी, बालनगीर और कालाहाँडी जिलों के विकास के लिये राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के लिये अब तक कोई विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अ० दीपा : मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने विशेष-क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को सहायता देने की दृष्टि से फूलबनी, बोलनगीर, तथा काला हाँडी जिलों के अर्ध-विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं का निर्धारण किया है, और यदि नहीं, तो अर्ध-विकसित क्षेत्रों के विकास के लिये राज्य सरकार की सहायता देने के सम्बन्ध में भारत सरकार के राह में कौन-सी रुकावटें आ रही हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर पहले ही मुख्य प्रश्न के उत्तर के दौरान दिया जा चुका है।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्धहै कि क्या फूलबनी के सम्बन्ध में आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है ; कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र को पुनर्वास मंत्रालय के विशेष-क्षेत्र-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करने की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में इस क्षेत्र का तुरन्त सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण समिति के सामने यह बात आयी है कि वहां लगभग 62,000 एकड़ भूमि भमि-सुधार तथा प्रवासियों के पुनः स्थापन के लिए उपलब्ध होगी।

श्री अ० दीपा : मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार उड़ीसा सरकार द्वारा उसको दिये गये नोट के आधार पर विशेष-क्षेत्र-विकास योजना को कार्यन्वित करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत होगी, और यदि हां, तो कब वह सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : इस योजना के अन्तर्गत, कोई भी विशष वित्तीय सहायता इस प्रकार नहीं दी जाती लेकिन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा एक विशेष-क्षत्र को विकास-कार्य के लिए ले लिया जाता है। बारह करोड़ रुपये की एक अनिश्चित योजना उनके द्वारा भजी गई थी। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे जिलों की योजना हमें भेजें और यह बताएं कि कितना सामान्य योजना के अन्तर्गत आ सकता है और हमें कितना अतिरिक्त देना होगा। जैसे ही हमें जिलों की योजनायें प्राप्त होंगी हम सारे मामले पर विचार करेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं जानना चाहता हूं क्या विशेष-क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम में केवल भूमि-सुधार के अन्तर्गत ही आता है अथवा इसमें आदिवसियों और हरिजनों जैसे लोगों के सामान्य विकास के कार्य भी आ जाता है ? इस विशेष-क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्वास के अतिरिक्त कि दूसरी योजनाओं और कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाता है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस विशेष-क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत एक चुने हुए क्षेत्र को समेकित विकास के लिए ले लिया जाता है। इस विकास के कार्यक्रम में सारे पहलू शामिल हैं। सिंचाई सड़कों, नालों तथा पुलों का विकास, भूमि सुधार, प्रवासियों को पुनः स्थापित करने तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता आदि काम इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, I want to charge the Labour and Rehabilitation Ministry in connection with the Dandakarnaya Project which took place under the Ministry of Labour and Rehabilitation that hundreds of acres of land was given to the Dandakaranya Project by the Orissa Government and during this it had been said that development will be done but nothing was done. In view of this I would like to state that there was famine in Kalahandi three years ago but still no development has been made of this area under the special Area Development Scheme. Suppose for a while that Orissa Government is not quickly completing this development work then I suggest that Shri Hathi should himself go there and visit whole of the area. May I know whether he will give assurance in the House that he will take over the work of the development scheme in that area within a specified period, so that it may be completed very soon?

Shri Hathi: I visited that area. I called the Chief Minister of Orissa and both of us visited Dandakaranya. I also asked the Chief Minister to send district plans so that we may do this work early.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह सच नहीं है कि 1965 में कालाहांडी तथा बोलनगिर में भयंकर सूखे के दौरान...

श्री रंगा : अब भी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कालाहांडी, फूलबनी, बोलनगिर, कोरापुट तथा उन सभी क्षेत्रों में जिनमें आदिम जाति के लोग तथा अनुसूचित जाति के लोग बसे हुए हैं जिनकी संख्या राज्य की जन-

संख्या का 1/3 है, विशेष क्षेत्र-विकास के लिए एक कार्यक्रम और योजना प्रस्तुत की गयी थी और वह 1964 से विचाराधीन पड़ी है जबकि यह कांग्रेस सरकार का प्रस्ताव था, यदि ह , तो सन् 1964 से ले कर अब तक इन क्षेत्रों के विकास के लिए कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में, जब 1964-65-66 में इस क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था, भारत सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों की जांच करने तथा उनकी आवश्यकताओं के मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल का गठन किया गया । उस दल ने कई सिफारिशें की । अन्य बातों के साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में एक विस्तृत योजना य जना आयोग के सामने प्रस्तुत करनी चाहिये । इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने योजना आयोग को एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया जो अब चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग के विचाराधीन है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जैसा कि दिखाई देता है इस परियोजना को आरम्भ करने में देरी का कारण उड़ीसा सरकार द्वारा इसके बारे में योजना प्रस्तुत करने में चार वर्ष लगा देना है, लेकिन अब यह योजना आयोग के पास चली गयी है । मैं जानना चाह ा हूं क्या भारत सरकार इसे तुरन्त कार्यान्वित करना चाहती है ? यदि यह योजना, योजना आयोग के पास है तो वह इस मामले पर कितना समय लगायेगी ? जब तक यह सम्पूर्ण समेकित योजना दण्डकारण्य परियोजना के अंग के रूप में तैयार होती है, क्या सरकार इन क्षेत्रों में भी भूमि सुधार तथा पुनःस्थापन कार्यक्रमों को आरम्भ करने वाली है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक फूलबनी का सम्बन्ध है, मैंने अभी बताया कि हम जल्दी में हैं । वास्तव में, हमने राज्य सरकार को सिफारिश की थी कि हमें फूलबनी के सम्बन्ध में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिये लेकिन क्योंकि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें कुछ आवश्यक ब्यौरों का अभाव था अतः हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे फू बनी के विकास के लिए एक जिला योजना प्रस्तुत करें जिस की हम अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में, मास्टर प्लान को फरवरी, 1968 में प्रस्तुत किया गया था । अब हम यह निर्णय कर रहे हैं कि जिला योजना प्राप्त होने के पश्चात् एक अन्तर्विभागीय दल बनाया जाय और हमने उनको कहा है कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ करें और यथाशीघ्र भेजें ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Orissa is a very backward and under-developed State. Most of the area is inhabited by the Adivasis. These Adivasis are unemployed. They have no land and no employment and in view of their this State of poverty and helplessness they are being converted into another religion in large numbers; whether the Government will allow these Adivasis to fill the land which is lying waste there or will make efforts to give them jobs in factories ? Two or three years have passed when this Dandakaranya Development Scheme was started but no progress has been made so far. In spite of the assurances of the Central Government regarding development in those areas no progress has been made, then whether the Central Government are thinking of taking some special steps in this direction?

श्री हाथी : जहां तक उपयोगी बनाई गयी भूमि में से आदिवासियों को भूमि देने का प्रश्न है 25 प्रतिशत भूमि इनको दी जायेगी और 75 प्रतिशत प्रवासियों को दी जायेगी । हम भूमि को

उपयोगी बनाने तथा अन्य कार्यों को आरम्भ करना चाहते थे लेकिन बिना पानी के केवल भूमि उद्धार से यह काम व्यवहारिक रूप से करवाना सम्भव नहीं होगा । इसीलिये उड़ीसा सरकार ने कहा कि यह सब काम एक साथ आरम्भ कर देने चाहियें । अतः हमने उनसे एक विस्तृत योजना के बारे में कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न--श्री तापड़िया ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर अगर वाणिज्य मंत्रालय दे तो अच्छा हो कि वाणिज्य मंत्रालय का जूट के इतने पहलुओं से सम्बन्ध है ? मैंने इस प्रश्न को वाणिज्य मंत्रालय के पास भेजा था लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसे खाद्य और कृषि मंत्रालय को क्यों हस्तांतरित कर दिया गया है । यदि आप इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए 6 अगस्त तक टालने की अनुमति दें तो मुझे विश्वास है कि इसका समुचित उत्तर प्राप्त होगा । उदाहरणार्थ (ग) सरकार द्वारा इस अभाव को दूर करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस दिशा में अधिकतम निर्यात हासिल करने वाले उद्योग की हानि न हो, क्या कदम उठाये हैं,--यह ऐसा पहलू है जिस के बारे में केवल वाणिज्य मंत्रालय ही बता सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे वाणिज्य मंत्रालय को भेजा लेकिन इसे खाद्य और कृषि मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : जी हां, मैं नहीं जानता कि इसे क्यों इस प्रकार हस्तांतरित कर दिया गया ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नाहसाहिब शिन्दे): हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप दोनों में से किसी को भी आपत्ति नहीं है तो मुझे किस प्रकार आपत्ति हो सकती है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : लेकिन यह सब प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वही प्राथमिकता । अगला प्रश्न ।

श्री यशपाल सिंह : प्रश्न संख्या 248

श्री तुलसीदास जाधव : मैं निवेदन करता हूं कि प्रश्न संख्या 249 और 250 को भी लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न संख्या 248 का उत्तर देने दीजिये ।

चीनी के वायदे के सौदे

248. **श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के व्यापार में वायदे के सौदे बहुत हो रहे हैं ;

(ख) क्या इससे जनसाधारण को अनुचित कठिनाई हो रही है ; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Yashpal Singh: Whether the Government is aware that in the bargaining at the rate of Rs. 190 per quintal, the traders have nothing to pay or take. They are all in all, just as in the election by putting up the dummy candidates the ring leaders announces that the candidate will be withdrawn on receipt of 50 thousand rupees. In the same way the prevalent situation in sugar is on account of that the traders want to harass the farmers by reducing the price of sugarcane. If the Government remove the control of sixty per cent than the prices of the sugarcane will be increased. I want to know the steps taken by the Government to curb this malpractice.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक चीनी के वायदे के सौदे का सम्बन्ध है, मैंने अपने उत्तर में कह दिया है कि दो आदेशों के अन्तर्गत इसमें वैधानिक प्रतिबन्ध है । अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत चीनी नियंत्रण आदेश बनाया गया है जिसके अधीन वायदे का व्यापार ग़ैर कानूनी है । वह वायदे का व्यापार सम्बन्धी विनियमन अधिनियम, 1952 के अनुसार भी ग़ैर कानूनी है । अगर कोई यह व्यापार करता है तो यह ग़ैर कानूनी है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

Shri Yashpal Singh: Whether the Government can state that the farmer will be given the same price as of last year and they will not be given less price under the trick of the traders.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य को यह मालूम ही होगा कि हमें किसानों के हितों के प्रति बहुत सहानुभूति है ।

श्री शशि रंजन : सरकार द्वारा खुली चीनी की छूट के बारे में यह कहना है कि आजकल बाजार में चीनी की बहुत कमी हो रही है । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार मिलों और स्टाकिस्टों को कहेगी कि वे अपने भंडारों को यथाशीघ्र खाली करें ताकि वे इसको संग्रह करके उपभोक्ताओं से ऊंचे मूल्य वसूल न करें ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उत्पादक तथा कारखाने के मालिक को चीनी को जारी करने के आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर इसको व्यापार के लिए उपलब्ध कराना पड़ता है । चीनी के मूल्य की वर्त्तमान प्रवृत्ति कम होने की हो रही है । यह एक अच्छी प्रगति है ।

Shri S. M. Joshi: The people indulge in speculation on the fluctuation of the price sugar. The opportunity of speculation takes place when the Government decides as to how much the sugar is to release. Whether the

Co-operative Sugar Factory owners had sent a telegram to the Government urging them that they should not have released the sugar because the prices are showing downward trend as on account of this.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम किसी कारखाने के मालिक के परामर्श पर यह निर्णय नहीं लेते कि कितनी चीनी की मात्रा जारी करनी है ।

Shri S. M. Joshi: Did you receive any such telegram? If so, what reply you have given.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह जांच करूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रतिवेदन आया है । परन्तु इस मामले में हम किसी प्रतिवेदन के परामर्श पर कार्य नहीं करते ।

Shri S. M. Joshi: I asked the same question in written but the reply was that he had received a telegram.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जब एक बार चीनी के उत्पादन का 40 प्रतिशत खुले बाजार में बिक्री के लिए दे दी गई है तो क्या खुले बाजार में बिक्री के लिए दी हुई चीनी पर अप्रकट रूप से नियंत्रण लगा कर उस पर तथाकथित खाद्य क्षेत्र लागू करना चाहती है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : साधारणतया बिक्री के प्रथम चरण में चीनी के लाने व ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अगर कोई खरीदार कारखाने के गोदाम से चीनी दूसरे राज्य में ले जाता है तो ऐसा करने में वह स्वतंत्र है । बाजार में जब यह वस्तु आ जाती है तो इसको एक बार बेचने के बाद फिर दुबारा बेचने की आज्ञा नहीं है । हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से परामर्श लिया और उनका भी यही मत था कि स्थानीय बाजार में इसकी उपलब्धता के लिए सीमित प्रतिबन्ध का लगाना जरूरी है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : प्रश्न यह है कि क्या अप्रकट रूप से चीनी क्षेत्र लागू नहीं किया हुआ है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी नहीं, मेरे उत्तर ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है ।

Shri Jharkhande Rai: Will the Food Minister be pleased to state whether it is correct or not that partial decontrol adopted by the Government has an impact on the fluctuation of the price, and the profit of capitalist has been increased and whether the difficulties of the people also increased, what is the general experience of the Government about the partial decontrol and whether the policy will continue or change.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न चीनी के वायदे के सौदे से संबन्धित है । मैं नहीं जानता कि चीनी की नीति के सब पहलुओं पर चर्चा करनी है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

खाद्यान्नों के मूल्य

+

249. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चावल और गेहूं के मूल्य बहुत कम नहीं हुए हैं हालांकि इस वर्ष बहुत अधिक फसल हुई है तथा यू० एन० आई० द्वारा किये गये खाद्य स्थिति सम्बन्धी अध्ययन के अनुसार एक और अच्छी फसल होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) मौसम में चावल के मूल्य में घट-बढ़ की प्रवृत्ति रही है। गेहूं के मूल्य में सामान्यत: गिरावट की ही प्रवृत्ति देखी गई है।

(ख) सितम्बर–दिसम्बर, 1967 के बीच की अवधि में प्रतिकूल मौसमी हालत के कारण आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में चावल की फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(ग) सरकार की मूल्य सम्बन्धी नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करना तथा साथ ही किसानों को प्रोत्साहन मूल्य दिलाना है। सरकार गरीब वर्ग के लोगों को सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्यों पर अन्न सप्लाई कर रही है।

Shri Beni Shankar Sharma: Last year the crop of wheat and rice was considerably good due to the kindness of nature and new experiment and constant effort of the Food & Agriculture Ministry.

Shri Randhir Singh: It is due to the farmers *(Interruption.)*

Shri Beni Shankar Sharma: The rice and wheat are beyond the reach of the common people due to the food policy of the Government. The hon. Minister had removed control over coarse grain such as grams etc. a few months ago with the result the prices of foodgrains came down and the poor are buying it in cheaper rates. I want to ask from the hon. Minister whether he will adopt the same policy in regard to wheat and rice as was in the case of coarse grains.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगली फसल के लिए क्या नीति अपनाई जायेगी। जैसा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में पहले कहा जा चुका है कि हम सितम्बर में मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं। अगली फसल की नीति मानसून की दशा, तथा अन्य कई कारणों और राज्य सरकारों के विचारों पर निर्भर करेगी।

Shri Beni Shankar Sharma: As far as I remember the hon. Minister had given an assurance that if their policy regarding coarse grains proved successful then he would consider whether the restriction regarding the movement of wheat should be removed or not whether the hon. Minister will place the proposal in the rent Chief Ministers' Conference that there should be freedom in the movement of foodgrains in the whole country after the food zones are abolished.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): It has been the policy of the Government that with the improvement in the situation of foodgrains the restriction should be relaxed gradually. The House knows that restriction on the coarse grains has been removed. The area of Haryana and Punjab has been extended regarding wheat and rice. We are at such a point when the farmers have sold most of them foodgrains. If the restrictions are relaxed, the farmer will have chance to say that it has been done when he has sold his foodgrains. We decide the future policy in the Conference of Chief Ministers. It is our policy to relax restriction as far as possible. The future action will be based on these considerations.

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question

राजस्थान में टिड्डियों का उत्पात

1. **श्री मोठालाल मीना :**
   श्री नन्दकुमार सोमानी :
   श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिड्डी दल राजस्थान के अधिकांश भागों विशेषतया जैसलमैर जिले में छा गया है ;

(ख) क्या टिड्डियों ने वहां पर पांव जमा लिए हैं और उन्होंने अन्डे देने आरम्भ कर दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने टिड्डियों से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य सरकार तथा किसानों को सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) . पश्चिम एशिया की ओर से चार टिड्डी-दल भारत में दाखिल हुए हैं और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमैर और जालोर जिलों के कुछ गांवों में उनके अण्डे देने के समाचार प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित आवश्यक निरोधक उपाय किए गए हैं :—

(1) टिड्डियों के अंडों के ढेरों पर निशान-देही की गई है और उन्हें नष्ट करने के लिए उनके निर्गमन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(2) प्रभावित ग्रामों में ही कीटनाशी औषधियां तथा उपकरण तैयार रखे हुए है जिससे कि अण्डों से निर्गमन होते ही इन औषधियों तथा उपकरणों को प्रयोग में लाया जा सके; और

(3) छानबीन के लिए एक सरकारी हवाई-जहाज प्रयोग में लाया गया है।

Shri Meetha Lal Meena: The crop has been considerably good this year by the grace of God and labour of farmer. But the standing crops are being damaged as the Government has not made any effort in time with the result the future of farmer is getting dark. The State Government has asked the Central Government to provide some equipment to prevent the locust swarms. And the Central Government replied that the matter would be considered. The hon. Minister has stated in a reply that four locust swarms have extended but the reality is that six locust swarm entered and the whole North West Rajasthan has been stormed by these locust swarm. I want to know how many employees of Locust Swarms department of Government of India and Agricultural department of Rajasthan are engaged in this work and the measures being taken to eradicate it.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारे पास एक विस्तृत संगठन है, सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में 34 स्थायी टिड्डी चौकियाँ हैं जो टिड्डियों के आने-जाने व इसके समय पर निगरानी रखती हैं। इसके अतिरिक्त 54 बेतार सेट्स हैं। हमारे पास करीब 150 गाड़ियाँ, जीप आदि हैं जो स्वचालित छिड़काव करने वाले यन्त्र और 1,500 टन कीटनाशी दवाई और 10,000 शीशियाँ और छिड़कने के लिए उपकरणों से लैस तैयार हैं। इस समय इन उपकरणों का दसवाँ भाग भी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। ये दल हमारे देश में दाखिल हो गये हैं। हमारी व्यवस्था स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त है। कल पाकिस्तान से कुछ टिड्डी दल यहाँ दाखिल होते हुए देखे गये हैं और कल ही हवाई जहाज द्वारा छिड़काव शुरू कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि स्थिति अब पूर्ण नियंत्रण में है और हम इसका सामना पर्याप्त रूप से करने की स्थिति में हैं।

Shri Meetha Lal Meena: I want to know how much money has been incurred by the Central Government and Rajasthan Government respectively.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह एक केन्द्रीय संगठन है और हमारे पास पर्याप्त बजट की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 15 लाख रुपये दिये जाते हैं। परन्तु यदि अधिक धन की आवश्यकता होती है तो टिड्डियों के उत्पात का सामना करने के लिये इन वित्तीय कठिनाइयों को अवरोध नहीं बनने दिया जाता।

Shri Meetha Lal Meena: Whether some work are being done through the contractors.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जब तक हमारा यह संगठनात्मक व्यवस्था पर्याप्त है, तब तक इस प्रश्न के उठने का सवाल नहीं उठता।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस वर्ष के जून के आरम्भ में खाद्य व कृषि संगठन ने 40 राष्ट्रों को टिड्डियों के हमले के विरुद्ध चेतावनी दी थी। चूंकि टिड्डियों का हमला एक विशेष अवधि में

होता है और एक दल टिड्डी एक ही दिन 250 आदमियों के बराबर का खाना खा जाती है। इस सत्य को देखते हुए क्या भारत सरकार ने अपनी तरफ से कोई दीर्घकालीन अध्ययन किया है। इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि भारत और पाकिस्तान और कुछ अरब राष्ट्रों के बीच एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। अन्य राष्ट्रों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं जिससे कि टिड्डियों के न केवल इस हमले के बिरुद्ध बल्कि भविष्य में भी इसको रोकने के लिये सामूहिक कार्यवाही की जा सके।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने पश्चिमी एशिया के कई देशों से और अफ्रीका के कुछ देशों से सम्पर्क बनाया हुआ है। वास्तव में रेगिस्तानी टिड्डियों पर नियंत्रण रखने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन का एक आयोग है और इन के 60 देश सदस्य हैं और हम भी उन में से हैं। इन देशों से हमें पूर्व सूचना मिल जाती है। इन में से कुछ देश दूसरों से सहायता व प्रशिक्षण लेते हैं इन में समन्वय, प्रशिक्षण व उपकरण आदि सभी कुछ हैं। मैं समझता हूं कि हम टिड्डियों के उत्पात का सामना करने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या आपने इन हमलों की चक्रों और पुनरावृत्ति का दीर्घकालीन अध्ययन किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसका अध्ययन निरन्तर किया जा रहा है। जब इन टिड्डी दलों का पता अफगानिस्तान में लगा तब हमने इनको नष्ट करने का कार्य आरम्भ कर दिया था।

श्री सु० कु० तापड़िया : खाद्य व कृषि संगठन के चेतावनी के बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,85,000 डालर का आपात कार्यक्रम आरम्भ किया गया। मैं जान सकता हूं कि जब खाद्य व कृषि संगठन का प्रतिवेदन मिला था तो भारत सरकार को कितना धन मिला और राजस्थान सरकार को इस उत्पात का सामना करने के लिए कितना धन दिया गया।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आयोग ने खाद्य व कृषि संगठन को 100,000 डालर दूसरे देशों में खर्च करने का अधिकार दिया है। जहाँ तक हमारी व्यवस्था का प्रश्न है हम इसके लिए खुद ही धन देते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know why Pakistan has an evid eye on India. The swarms of locusts as well as troops come from the Pakistani side. I want to know when the hon. Minister got information regarding the entrance of locust swarms. It was in the main news in the newspaper for three four days. I want to know the action taken by the Government and why this action was not taken before. Why these locust swarms were not sent back to Pakistan.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य यह कर सकते हैं, इसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: My question has not been replied. What Border Security do. It is our misfortune that the area of Rajasthan is in border secondly it is a desert area and thirdly there is rainfall of three or four

inches in a year. When the locust swarms enter if storm not only in Jaiselmer, Barmer, but in two third area of Rajasthan and considerable damage takes place. I want to know whether the problem was looked into in a national level and arrangement has been made to stop the recurrence. What measures are being taken to stop them in future.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : टिड्डियाँ पश्चिमी एशियाई देशों में बढ़ रही हैं । जब तक वहाँ उन पर नियंत्रण रखा जाता तब तक उनको रोकना बहुत कठिन है । परन्तु हम उनको अपने देश में नष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं । इस समय टिड्डियों द्वारा हमारी फसल की बहुत बड़ी मात्रा में हानि होने का भय नहीं है ।

श्री रंगा : क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके द्वारा उन पीड़ित किसानों को, जिनकी फसल नष्ट हो चुकी है या होने वाली है, कुछ राहत देगी अगर हाँ, तो किस सीमा तक यह राहत दी जायेगी ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समय फसल के नष्ट होने की कोई सम्भावना नहीं है। अगर कोई घटना होती है तो हम निश्चय ही स्थिति का अवलोकन करेंगे। प्राकृतिक संकट का सामना करने के लिए हमारे पास सहायता देने के कुछ तरीके हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati: Our International Co-operation is running to given information regarding the locust swarms. I want to know whether the Government has made any attempt to eradicate the locusts completly from the world. There should be International Coperaion in this field also.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समन्वय का कार्य न केवल सूचना ही देना है । इसका कार्य टिड्डियों के अंडे देने पर रोक लगाना भी है । क्या इसका पूर्ण उन्मूलन सम्भव है ? इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए कठिन है ।

Shri Prem Chand Verma: I want to know the states likely to be entered by the locust swarms. Whether the Government has information about it. If so what steps are being taken.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : साधारणतया टिड्डियों का आवागमन राजस्थान, पंजाब, हरयाना और कभी कभी उत्तर प्रदेश की ओर से होता है । परन्तु हमारे विचार में अगर यह वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हम इसको राजस्थान के क्षेत्र में ही नष्ट करने की स्थिति में होंगे ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Government make an effort to kill locusts before they enter in our country. The hon. Minister has stated that four swarms have entered but according to our information there are six. I want to know how many swarms have been destroyed.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अब तक हमें छः दलों का पता चला है । हमने पहले ही टिड्डी मार अभियान शुरू कर दिया है और मुझे सफलता की काफी आशा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और नेपाल के बीच रेडियो–टेलीफोन सम्पर्क

*242. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार ने नेपाल सरकार के साथ दोनों देशों के बीच रेडियो-टेलीफोन सम्पक स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली और काठमांडू के बीच पहले से ही रेडियो-टेलीफोन सम्पर्क मौजूद है । हाल ही के समझौते के अनुसार काठमांडू और दिल्ली में मौजूदा एक किलोवाट के प्रेषित्र के स्थान पर पांच किलोवाट के प्रेषित्र लगाकर इस सम्पर्क की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने का निश्चय किया गया है ।

(ग) लगभग पन्द्रह महीने का समय ।

जीवाणु उर्वरकों का वाणिज्यिक उत्पादन

245. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि क्षेत्र में रसायनिक पोषकों की सीमित मात्रा का परीक्षण करने के लिए जीवाणु उर्वरकों का प्रयोग आरम्भ करने हेतु प्रयोगशाला तथा क्षेत्र परीक्षण पूरे कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम हैं; और

(ग) देश में कब तक जीवाणु उर्वरकों का उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

गेहूं के स्टाक का जमा होना

250. **श्री एम० आर० दामानी :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत वरूआ : **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा हरयाणा में खरीदे गये गेहूं के स्टाक के भारी मात्रा में जमा होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि समुचित गोदाम सुविधाएं न होने के कारण इन स्टाकों को स्कूल की इमारतों में रखा गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस वर्ष पंजाब और हरियाणा की मंडियों में अभूतपूर्व आमद हुई थी और ये आमद बहुत ही थोड़े समय हुई थी । फलत : सरकार के इस आश्वासन पर कि वह अधिप्राप्ति मूल्य पर बिक्रीहेतु पेश किये गये अपेक्षित मानक के उन सभी खाद्यान्नों को खरीद लेगी, अधिप्राप्ति का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ था । अत : संचयन और संचलन की अस्थायी समस्या पैदा हो गई जिसके फल-स्वरूप गेहूं का कुछ स्टाक जमा हो गया था ।

(ख) जी हां । स्कूलों की छुट्टियां के दौरान खुले में पड़े गेहूं के स्टाकों को बचाने के उद्देश्य से यह पग बिल्कुल ही अस्थायी तौर पर उठाया गया था ? ।

Purchase of wheat by Flour Mills

*251. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the flour mills have been permitted to purchase wheat from the open market;

(b) whether some conditions are imposed at the time of according permission in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Association of the Flour Mills in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No, Sir; but a proposal in this regard is under consideration.

(b) and (c). Do not arise.

बन विकास

252. **श्री आदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में बन विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि वन सम्पति का चौथी पंचवर्षीय योजना में उचित विकास हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

चीनी सम्बन्धी सम्मेलन

253. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री अंबुचेजियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 60 राष्ट्रों के चीनी संबंधी सम्मेलन की कार्यकारी समिति की बैठक जो मई, 1968 में असफल हो गई थी, जुलाई, 1968 में जनेवा में पुनः हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके असफल होने के मुख्य कारण क्या थे और उसे पुनः बुलाने का क्या प्रयोजन था ;

(ग) जुलाई की बैठक में किन विषयों पर विचार किया गया था; और

(घ) क्या भारत भी सम्मेलन में शामिल हुआ था, और उसमें क्या निर्णय किये गये थे।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) तक — जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन की कार्यकारी समिति की जुलाई 1968 में पुनः बैठक नहीं हुई थी। तथापि निर्यात कोटे के प्रश्न को हल करने के लिये जोकि इससे पूर्व तय नहीं किया जा सका था, संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) के महासचिव की प्रमुख चीनी निर्यातक देशों के साथ जुलाई, 1968 में बात-चीत हुई थी। भारत ने इस बात-चीत में भाग लिया था। इस बात-चीत की रिपोर्ट अंकटाड सचिवालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

निर्वाचनों के पूर्व मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदानों का दिया जाना

*254. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री को० सूर्यनारायण :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री क० हाल्दर :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है जिसमें

मंत्रियों के हाथ में रहने वाले वैवेकिक अनुदानों के निर्वाचनों के पूर्व वितरण के संबंध में कुछ स्वस्थ प्रथायें बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ;

(ख) क्या आयोग ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये विचार की ओर भी सरकारों का ध्यान दिलाया है ;

(ग) यदि हां, तो इन निदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) निर्वाचन आयोग के परिपत्र तारीख 25 जून, 1968 की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1543/68**]

(घ) सरकार ने उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग द्वारा की गई समुक्तियों को नोट कर लिया है । इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अभी मालूम नहीं हुई है ।

बेकार पशुओं की देखभाल

255. श्री श्रीधरन :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेकार पशुओं की देखभाल के कारण राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बेकार पशुओं की देखभाल का राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है. यद्यपि इस दबाव का निश्चित भार ज्ञात नहीं है ।

(ख) बेकार पशुओं की वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं—

(1) राज्यों के पशु–पालन विभागों के क्षेत्र कर्मचारी बेकार सांडों और दूसरे अवांछित जवान बछड़ों का नियमित रूप से बधीकरण करते हैं । देश में अवांछित नर पशुओं के बधीकरण कार्य में तीव्रता लाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक बृहत बधीकरण आयोजना का सूत्र पात्र किया गया था ।

(2) जिन क्षेत्रों में पशु विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है वहां से वृद्ध, बेकार, असक्त प्रजनन क्षमताहीन पशुओं का पृथक्करण करने के लिये सुदूर वन क्षेत्रों में गोसदन केन्द्रों की स्थापना कर दी गयी है ।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक बस्तियां

*256. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वह अब किस प्रक्रम पर है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चौहान) : (क) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा जो कि केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, बेहाला, बानहुगली तथा दुर्गापुर में तीन औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं ।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

1-8-1968 को डा० रानेन सेन के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में सभा की मेज पर रखा जाने वाला विवरण ।

पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा बेहाला, बानहुगली तथा दुर्गापुर में स्थापित की गई औद्योगिक बस्तियों का ब्यौरा

औद्योगिक बस्ती का स्थान :—

(1) बानमाली नास्कर रोड बेहाला 24-परगना पश्चिम बंगाल ।

(2) बी० टी० रोड, बानहुगली 24-परगना, पश्चिम बंगाल ।

(3) जी० टी० रोड, दुर्गापुर जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल ।

निजी उद्योगपतियों के कब्जे में फैक्ट्री शैड्डों की संख्या	95
पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा उपयोग किये जा रहे फैक्ट्री शैड्डों की संख्या	21
तीन औद्योगिक बस्तियों में रोजगार पर लगाये गये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या	953

लंबित निर्वाचन अर्जियां

*257. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **विधि** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के साधारण निर्वाचनों के बाद दाखिल की गयी कितनी निर्वाचन अर्जियां भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अभी तक लम्बित हैं ;

(ख) क्या निर्वाचन अर्जियां निपटाने में विलम्ब का मुख्य कारण उनका विचारण करने वाले न्यायाधीशों की संख्या में कमी है ; और

(ग) उन्हें शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चौथे साधारण निर्वाचनों के पश्चात् विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष फाइल की गई 406 निर्वाचन अर्जियां में से अब केवल 96 निर्वाचन अर्जियां संबंध उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से 6 अर्जियां सन् 1968 में फाईल की गई थीं । किन्तु इन आंकड़ों में, हरयाणा में मध्यावधि चुनाव के संबंध में चण्डीगढ़ में पंजाब और हरयाणा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई निर्वाचन अर्जियां सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उक्त जानकारी उस उच्च न्यायालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों द्वारा अर्जियों के निपटाने में अधिक (ग) विलंब नहीं हुआ है । अर्जियों के शीघ्र निपटारे के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से यथायोग्य कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है ।

अनाज की क्षति

258 **श्री देवकी नन्द . पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अच्छी फसल की आशा में अनाज की क्षति को रोकने के लिये पहले से पर्याप्त व्यवस्था की थी ; और

(ख) यदि हां, तो बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गयी थी और इस प्रकार की कार्यवाही के बावजद क्षति के क्या कारण हैं ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां । जब अच्छी फसल की सम्भावनाएं स्पष्ट हो गयीं तब सभी संबंधित एजेंसियों के परामर्श से अधिप्राप्ति, संचलन तथा संचयन के लिए पहले से ही योजनाएं तैयार की गयी थीं । इन से संबंध विभिन्न पूर्वानुमानित समस्याओं जिन के पैदा होने की सम्भावना थी, के लिये इन एजेंसियों के बीच निकट तथा सतत तालमेल भी रखा गया और अधिप्राप्त अनाज को तत्परता से सम्भालने, उसको भेजने तथा संचयन करने सहित उपयुक्त उपाय किए गए । इस सावधानी तथा अगाऊ तैयारी के बावजूद भी 15 मई से जून, 1968 तक के अन्त तक पंजाब और हरियाणा की मंडियों में अभूतपूर्व भारी आमद हुई जिससे अन्त :स्थ संचयन और संचालन की अस्थायी समस्याएं पैदा हो गयीं थीं ।

पंजाब और हरियाणा में मई और जून के महीनों में खाद्यान्नों की अधिक अधिप्राप्ति के कारण इस अल्प अवधि में अभूतपूर्व संचलन की जरूरत पूरा करने हेतु खाद्यान्नों को कुछ हद तक खुले वैगनो में भेजने का जान बूझ कर जोखिम भी उठाना पड़ा था । क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मानसून पूर्वानुमान से पहले जा आ गयी थी इसलिए इन क्षेत्रों में विशेषतया पूर्वी क्षेत्र को भेजे गए कुछ वैगन वर्षा से प्रभावित हुये थे ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों क पुनर्वास

*259. **श्री धी० ना० देव :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा क ग कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी तिथि निशिचित की है जिस दिन तक पूर्वी पाकिस्तानी से आये विस्थापित व्यक्तियों को बसाने संबंधी कार्य को पूरा करना है ; और

(ख). यदि हां, तो वह तिथि कौन सी है और इस संबंध में क्या कायवाही करने का प्रस्ताव है,

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Accumulation of Khandsari in U.P.

*260. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Narain Swarup Sharma:
Shri Sharda Nand:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Bal Raj Madhok:
Shri Yashwant Singh Kushwah:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a huge stock of Khandsari has accumulated with Khandsari manufacturers in U.P.;

(b) whether it is also a fact that this industry of U.P. is facing a severe crisis on account of the absence of adequate facilities for export of Khandsari outside U.P.; and

(c) if so, the action taken so far by Government in this connection?

The Minister of State in the Minsitry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) A stock of about 30,000 tonnes of khandsari on 31st May, 1968, was reported by the U.P. Government in various markets.

(b) and (c). The State Government has permitted the export of 5,000 tonnes of khandsari outside U.P. the position will be reviewed after the export has taken place.

डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

*261. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डायल घुमा कर विभिन्न नगरों और शहरों के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के विस्तार करने के काम में पर्याप्त प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रगति की मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हाँ ।

(ख) देश में एक स्थान से दूसरे स्थान वाली उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली 16 मार्गों पर काम कर रही है ।

(ग) (i) अ 18 मार्गों के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान वाली उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली की मंजूरी दे दी गई है ।

(ii) मद्रास में ट्रंक स्वचल केन्द्र दिसम्बर, 1967 में चालू कर दिये गये हैं। बम्बई, दिल्ली और कानपर में इसी प्रकार के केन्द्रों के स्थापन का काम चालू है। इन के पूरा होने पर उत्तरोत्तर 17 स्टेशनों के लिए सीधा डायल करना संभव हो जाएगा।

(iii) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान (1969–74) अन्य बड़े नगरों के लिए भी राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग प्रणाली के बिस्तार का प्रस्ताव है ।

बिहार में कृषि विश्वविद्यालय

262. **श्री यमना प्रसाद मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए बिहार राज्य को पूरे अनदान आवर्तक तथा अनावर्तक दिये गये है ;

(ख) क्या यह सच है कि सूखे तथा अन्य कठिनाइयों और वित्त की कमी के कारण बिहार सरकार कृषि विश्वविद्यालय पर होने वाला प्रारम्भिक खर्चा भी बहन नही कर सकती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थापना स्थान "चयन समिति" स्थापित करने के लिए बिहार सरकार को सुझाव देने का है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बिहार में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रश्न पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। राज्य सरकार को आवर्तक तथा अनावर्तक अनदान देने का प्रश्न केवल विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पश्चात् ही उत्पन्न होगा।

(ख) पहले तैयार किये हुए अपने चतुर्थ योजना के प्रस्तावों में, राज्य सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय के लिये 75 लाख रुपये का उपबन्ध किया था। 1968-69 के लिये राज्य की वार्षिक योजना में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी नहीं। जहाँ तक स्थान के चुनाव करने का प्रश्न है इस पर विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक कानून के अनुसार बिहार सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निर्णय किया जायेगा।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा निर्धारित मानक से घटिया दूध की सप्लाई

263. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की दूध तथा दूध उत्पादक संस्था ने हाल ही में यह आरोप लगाया है कि दिल्ली दुग्ध योजना दूध की कमी को पूरा करने के लिए निर्धारित मानक से घटिया स्तर का दूध सप्लाई करती रही है ;

(ख) क्या इस आरोप की सफाई या झूठ का पता लगाने के लिए और कोई जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर भारतीय दुग्ध उत्पादक तथा विक्रेता संघ ने दिल्ली दुग्ध योजना की कार्य प्रणाली पर अनेककों आरोप लगाये हैं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत एक सुसाज्जित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है जो कि अपने दूध और दूध से निर्मित पदार्थों के उच्च मानक का पूर्ण ध्यान रखती है। उपयुक्त आरोप में जाँच की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पंजाब में 'ट्रिपल ड्वार्फ' गेहूं के बीजों की बिक्री

*264. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों ने पंजाब में बहुत से किसानों को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पैदा किये गये गेहूं के रूप में "ट्रिपल ड्वार्फ" गेहूं का बीज बेच कर उनसे धोखा किया था और यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) इस नकली बीज की खरीद से किसानों को कितनी हानि हुई।

(ग) सामान्य बीज के मुकाबले में "ट्रिपल ड्वार्फ" गेहूं लेबल वाले बीज प्रति किलोग्राम किस किस मूल्य पर बेचे गये ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उप महा-निदेशक हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय गये और उन्होंने किसानों को चेतावनी दी थी कि अनुसन्धान के सिद्ध परिणाम उपलब्ध होने तक वे उस किस्म के बीज का प्रयोग न करें, और

(ङ) यदि हाँ, तो "ट्रिपल ड्वार्फ" गेहूं के बीजों की अग्रेतर बिक्री को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) इस विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इनके कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु इस किस्म के गेहूं का हाल ही में विकास हुआ है। अतः सम्भवतः कृषकों ने इसे बड़े स्तर पर नहीं बोया है।

(ग) इस विषय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) उप महा-निदेशक के वक्तव्य के अतिरिक्त (जिसको पहले ही परिचालित कर दिया गया है) प्रेस व रेडियो के माध्यम से कृषकों को परामर्श देने के लिए कार्यवाही की जा रही है। पता चला है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का विस्तार चित्रण जालन्धर रेडियो स्टेशन से कुछ प्रसारण कर चुका है।

Cases of violation of Factory Act in Uttar Pradesh

*265. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of Labour and **Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6948 on the 11th April, 1968 and state:

(a) wheher the information from the State Governments regarding cases of violation of the Factory Act in Uttar Pradesh has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Yes.

(b) A Statement is laid on the Table of the Sabha. (Placed in Library *See* No. LT-1544|68).

(c) Does not arise.

अनौपचारिक सलाहकार समितियां

266. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री 2 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनौपचारिक सलाहकार समितियों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मामले पर विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न मन्त्रालयों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों के गठन का कार्य 13 सितम्बर, 1967 तक पूरा किया जा चुका था। इन समितियों के कार्यचालन का पुनर्विलोकन एक वर्ष के बाद अर्थात् संसद् के वर्तमान अधिवेशन की समाप्ति पर करने का विचार है।

Concealment of sugar by producers

***267. Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the mill-owners have concealed sugar produced by them on a large scale over and above the figure of production available with Government and it has thus resulted in the fall in the price of sugar; and

(b) if so, the steps being taken by Government to recover tax on concealed sugar?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) No, Sir.

(b). Does not arise.

पटसन उद्योग के केन्द्रीय संगठन की मांगें

268. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन- श्रमिकों के केन्द्रीय संगठन ने 31–12– 68 को मजूरी बोर्ड के पंचाट के समाप्त होने के पश्चात् कुछ नई मांगें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियोजकों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने किसी एक अथवा सभी मांगों पर विचार किया है ; और यदि हां, तो श्रमिकों की कौन-कौन सी मांगें और शिकायतें न्यायसंगत हैं ; और

(घ) इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । श्रमिकों ने 31-2-67 को मजूरी बोर्ड के पंचाट के समाप्त होने के बाद मजूरी विन्यास में संशोधन तथा अन्य मानकों के सम्बन्ध में मांगें प्रस्तुत की हैं ।

(ख) नियोजकों ने स्वीकार किया है कि मजूरी विन्यास के पुनरीक्षण के प्रश्न को एक निकाय के पास, जिसमें उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और मालिकों तथा श्रमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि शामिल हों, भेजा जाय । उन्होंने रात की पारी के श्रमिकों को $1\frac{1}{2}$ घन्टे की रियायत देना और अभिनवीकरण के नाम पर छंटनी न करना भी स्वीकार कर लिया है ।

(ग) चूंकि अधिकांश मांगों पर जिनमें मजूरी विन्यास का संशोधन तथा अन्य अदायगियां शामिल हैं, दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार निर्णय किया जायेगा । अतः सरकार की विभिन्न भागों के औचित्य पर कोई मत व्यक्त करने का विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कार्मिक संघों को मान्यता देना

*269. **श्री रवि राय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 मई, 1968 के टाइम्स **आफ इंडिया** में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिये एक नये सूत्र का सूझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये सूत्र का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) . आयोग ने अभी तक किसी सूत्र का सुझाव नहीं दिया है। इसकी रिपोर्ट की 1969 के शुरू में आशा की जाती है।

नई दरें लागू होने के बाद पोस्ट कार्डों तथा लिफाफों तथा टिकटों की बिक्री सम्बन्धी आंकड़े

*270. **श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक की नई दरें लागू होने के बाद से 30 जून, 1968 तक बिके पोस्ट कार्डों लिफाफों तथा विभिन्न मूल्यों के डाक टिकटों सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

(ख) 1967 में इसी अवधि के सम्बन्ध में आंकड़े क्या है ;

(ग) उपरोक्त दोनों अवधियों में उक्त वस्तुओं के विक्रय से कुल कितनी आय हुई ; और

(घ) क्या उक्त आंकड़ों से पता चलता है कि नई डाक दरों से विक्रय पर प्रभाव पड़ा है ?

संसद् का तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना देश भर से एकत्र की जा रही है और इसे बाद में सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

खाद्य अधिकारियों द्वारा कदाचार

2021. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में खाद्य प्रशासन के कितने अधिकारियों के विरूद्ध कदाचार के आरोप में कार्यवाही की गई तथा उनके पदनाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में राशि सहित कदाचार का स्वरूप क्या था तथा क्या सजा दी गई ; और

(ख) उसी अवधि में पदनाम सहित कितने अधिकारियों के मामले केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपें गये और प्रत्येक मामले में क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त अनाज की बिक्री

2022. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में कितने मामलों में अनाज पहले तो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया और बाद में वह सस्ती दरों पर उन्हें बेच दिया गया तथा इस अनाज का मूल्य कितना था ;

(ख) क्या ऐसे अपराधों को रोकने तथा पता लगाने के लिये खाद्य प्रसासन का कोई निगरानी विभाग है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सरकार के नोटिस में कोई ऐसा मामला नहीं आया है ।

(ख) और (ग) इस उद्देश्य के लिए सरकार का कोई अलग निगरानी विभाग नहीं है । तथापि ऐसे खाद्यान्न जिनको मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया है उनके बेचने हेतु उपयुक्त कार्यविधि तैयार की गई है । जब कभी सरकार के नोटिस में एसा कोई मामला आता है जहां इस कार्यविधि का अपराध करने के विचार से उल्लंघन किया गया हो तो उसकी जांच सामान्य जांच एजेंन्सी के माध्यम से की जाएगी ।

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय

2023. **श्री कु० न० कौशिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पास अपने कार्यालय के लिये दिल्ली में 25,715 वर्ग फुट क्षेत्र स्थान है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उस स्थान के लिय वह निगम को प्रतिमास 45,000 रुपये किराया देता है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . अभी हाल तक भारतीय खाद्य निगम के पास अपने मुख्यालय के लिये दिल्ली में 45,000 रुपये 25 पैसे प्रति मास के किराये पर 25,715 वर्ग फुट स्थान था। इस समय उनके पास 50,714 रुपये 50 पैसे प्रति मास के किराये पर 29,871 वर्ग फुट स्थान है।

Barren Land in Madhya Pradesh

2024. **Shri Debrao Patil:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 40,00,000. acres of cultivable land have been lying barren in Madhya Pradesh State;

(b) if so, the reasons for not distributing this land among the landless farmers for cultivation; and

(c) the reasons for not bringing this land under the model rehabilitation scheme of the Central Government to rehabilitate landless agricultural workers?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). As a result of survey and categorisation of waste lands in Madhya Pradesh 23 lakh acres only have been indentified as fit for cultivation. These lands are being distributed by the State Government among landless agricultural workers, agricultural graduates, political sufferers ex-Servicemen and others according to priorities fixed under the land allotment rules. On 6th April, 1968, the Government of Madhya Pradesh have under special drive, issued instructions to all the Collectors in the State to further speed up the allotment of cultivable waste lands.

The Centrally sponsored scheme of the Reclamation and Resettlement of landless agricultural worker is already in operation in Madhya Pradesh and, so far, 11,157 families have been settled on 70,784 acres of land. For continuance of this scheme during 1968-69, Rs. 12 lakhs has been allotted to the Government of Madhya Pradesh as Central assistance.

पंजाब में ट्यूबवैल

2025. **श्री य० आ० प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार चन्डीगढ़ और पठानकोट के बीच के क्षेत्र में 2 लाख ट्यूबवैल लगाने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय को पंजाब सरकार द्वारा चण्डीगढ़ और पठानकोट के बीच के क्षेत्र में 2 लाख नलकूप लगाने के सम्बन्ध में बनाई किसी योजना की जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कर्मचारी भविष्य निधि का क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली

2026. **श्री बलराज मधोक :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि, नई दिल्ली में भविष्य-निधि इन्सपैक्टरों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कदाचार तथा रिकार्डों में हेर-फेर किये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच कराई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ): प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के अधिकारियों द्वारा रिकार्ड में गड़बड़ करने, झूठी रिपोर्टें प्रस्तुत करने, कानून को लागू न करने तथा परेशान करने के अभियोग हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा इस मामले की छान-बीन की जा रही है ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संस्था के साथ करार

2027. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ तथा खाद्य तथा कृषि संगठन के संयुक्त तत्वावधान में 16 जुलाई, 1968 को भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था के बीच जिस मूल करार पर हस्ताक्षर किये गये थे उसकी शर्तें क्या है ;

(ख) विश्व के विभिन्न देशों द्वारा ऐच्छिक रूप से फालतू खाद्यान्न दिये जाने पर भारत सरकार द्वारा कितना खर्च वहन किया जायेगा ; और

(ग) क्या उन फालतु खाद्यान्नों में भारत की स्वयंसेवी संस्थाओं को अन्य देशों द्वारा उपहार स्वरूप दिये गये अन्य खाद्यान्नों की मात्रा भी शामिल है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 16 जुलाई, 1968 को भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था के मध्य जिस मूल करार पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें कार्य प्रणाली की प्रामाणिक विधि और उन शर्तों का समावेश कर लिया गया है जिनके अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था खाद्य सहायता प्रदान कर सकती है। प्रत्येक परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये विस्तृत योजनाओं को पृथक-पृथक इस करार के आधार पर अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ख) विभिन्न देशों द्वारा जिसें विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था को भेंट स्वरूप प्रदान की जाती हैं। खाद्य कार्यक्रम संस्था इन जिन्सों को बिना किसी मूल्य के भारत को

निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिये प्रदान करती है और साथ ही उनका भाड़ा भी वहन करती है। तथापि प्रेषित माल के बन्दरगाह पर पहुंचाने के बाद उतारने, उठाने, रखने और वितरण का व्यय भारत सरकार को वहन करना पड़ता है।

(ग) जी नहीं।

रेलवे में काम पर लगे हुए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी

2028. **श्री के० हाल्दर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इमारतों के निर्माण के लिये रेलवे में नियुक्त ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये गये मजदूरों की न्यूनतम मजूरी की दरें क्या हैं ;

(ख) ये दरें कब निर्धारित की गई थीं ;

(ग) क्या ये दरें कभी बढ़ाई गई थीं ; और

(घ) यदि हां, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया ह। देखिये संख्या एल०/टी० 1545/68]**

(ग) जी नहीं।

(घ) सारे भारत में सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण-कार्य पर नियुक्त कर्मचारियों की मजूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है। यह संशोधन सलाहकार बोर्ड से जिसका कि पुनर्गठन किया जा रहा है, परामर्श लेने के बाद किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में खड़गपुर के गोल बाजार क्षेत्र में डाकघर

2029. **श्री क० हाल्दर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खड़गपुर के गोलबाजार क्षेत्र में एक नया डाकघर खोलने का सरकार ने 1962 में वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसे खोलने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी हां। गोलबाजार क्षेत्र खड़गपुर में एक नय डाकघर की मंजूरी 2 दिसम्बर, 1961 को दे दी गई थी। उपयुक्त स्थान की कमी के कारण यह अभी तक नहीं खोला जा सका। फिर भी नये डाकघर के शीघ्र ही खोले जाने के प्रयत्न किय जा रहे हैं।

तने में सूराख करने वाले कीड़ों को नष्ट करना

2030. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तने में सूराख करने वाले उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है जिनसे देश में चावल की फसल एक-चौथाई से लेकर एक तिहाई तक नष्ट हो जाती है; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में स्थित बहु-प्रयोजनीय अनुसंधान केन्द्रों में सूराख करने वाले इन कीड़ों को नष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के अन्तर्गत, तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में तने में सूराख करने वाले कीड़ों को नष्ट करने के लिए तकनीकों के विकास हेतु भिन्न प्रकार से खोजबीन की जा रही है—(1) कृमिनाशी निरोध, (2) चावल की कीट-अवरोध किस्म का प्रजनन द्वारा, और (3) जीवाणु निरोध के माध्यम से। हाल ही के परीक्षणों से पता चला है कि सिंचाई के पानी में लिन्डेन तथा डियाज़ीनोन जैसे कीटनाशी औषधियों के प्रयोग द्वारा तने में सूराख करने वाले कीड़ों पर संतोषजनक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। परन्तु यह प्रयोग मंहगा है। लागत को कम करने के लिए कौशल्यपूर्ण तौर-तरीके ढूंढने हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रजनक किस्मों, तने में सूराख करने वाले कीड़ों के अवरोधक के कार्य में, और तने में सूराख करने वाले कीड़ों के जीवाणु निरोध के कार्यक्रम के कार्य में भी प्रगति हो रही है।

बम्बई में महारानी की मूर्ति के निकट अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार केन्द्र

2031. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में बांडवी रोड के निकट महारानी के मूर्ति-स्थल पर नए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार केन्द्र का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) पूना के निकट 'आर्वी सेटेलाइट अर्थ स्टेशन' का निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) इनसे भारत और विश्व के देशों के बीच शीघ्र तथा सस्ती संचार व्यवस्था के संबंध में क्या लाभ होंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) आर्वी के भूमि स्थित उपग्रह केन्द्र के लिए भवन-निर्माण आदि का काम जुलाई, 1967 में शुरू हुआ। उपस्कर के अधिष्ठापन का कार्य अगले वर्ष के आरम्भ में शुरू होने की आशा है।

(ग) विश्व संचार-उपग्रह व्यवस्था से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:--

(i) अन्तर्राष्ट्रीय तार, टेलीफोन, रेडियो-थोटो और टेलेक्स परियात के विषय में भारत की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्वसनीय, स्थायी और उच्च कोटि की अन्तर्राष्ट्रीय संचार सुविधाओं की उपलब्धि ; और

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन (टेलीविजन) कार्यक्रमों को संभालने की क्षमता की उपलब्धि ।

ऐग्रिड फेब्रिकेशज लिमिटेड, कलकत्ता

2032. **श्री गणेश घोष :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिमय बसु : **श्री भगवान दास :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की तालाबन्दी कम्पनी एग्रिड फेब्रिकेशंस लिमिटेड को पुन: चालू करने के बारे में वहां के कार्मिक संघ की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्य श्रम निदेशालय ने समझौते की कार्रवाई की और इस संबंध में एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया । कम्पनी और यूनियन ने 13-2-1968 को एक द्विपक्षीय समझौता किया और प्रबंधकों ने सीमित रूप से कार्य करना स्वीकार किया । कम्पनी द्वारा कारखाने को फिर से चलाने का एक प्रस्ताव इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन आफ इंडिया को, जिसके पास कि कम्पनी की आस्तियां बन्धक रखी गई हैं, भेजा गया लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया । बंधक रखी गई आस्तियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बेचने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

Import of Chemicals

2033. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange spent on the import of (i) ammonium sulphate, (ii) calcium ammonium nitrate, (iii) muriate of Potash from April, 1960 to March, 1968; and

(b) the mode of payment of the said amount of foreign exchange?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a)

Year	Ammonium sulphate	Calcium ammonium nitrate	Muriate of potash
	Rs.	Rs.	Rs.
1960—61 . . .	7,50,99,660	1,58,71,031	80,50,000
1961—62 . . .	6,54,94,325	1,35,16,935	94,41,000
1962—63 .	14,59,61,736	——	1,89,01,000
1963—64 . . .	7,73,52,815	——	2,04,78,000
1964—65 . .	11,05,79,402	——	1,83,42,000
1965—66 . .	24,47,40,794	——	3,48,71,000
1966—67	44,49,09,652	3,65,90,253	7,30,67,000
1967—68 . . .	46.89,47,686	4,97,81,613	17,15,60,000

(b) The payments of costs as above have been made in cash in foreign exchange where purchased on global tender basis, from export earnings in the case of barter deals, in non-convertible rupees for supplies from East European countries and from credits advanced by various countries viz. U.S.A., Canada, U.K., West European countries and Japan when buying from them.

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी नियंत्रित बैंकों को रिजर्व बैंक से ऋण

2034. श्री को० सूर्यनारायण : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने गत तीन वर्षों में 30 जून, 1968 तक आंध्र प्रदेश में शिखर बैंक (सहकारी राजकीय बैंक) के माध्यम से विभिन्न सहकारी नियंत्रित बैंकों को कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा किस दर पर ब्याज लिया जाता और अन्ततोगत्वा सेंट्रल बैंक तथा ग्राम ऋण समितियों द्वारा किसानों से किस दर पर ब्याज लिया जा रहा है ;

(ग) आंध्र प्रदेश में कृषि कार्यों के लिए कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए ; और

(घ) आंध्र प्रदेश में विभिन्न सहकारी सेंट्रल बैंकों द्वारा नियत अवधि में ऋण की राशि न लौटाई जाने की स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) (1) रिजर्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों 30 जून, 1968 तक के लिये बैंक दर से 2 प्रतिशत कम पर मौसमी कृषि कार्यों तथा फसलों के विपणन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को दिए गए अल्पकालीन ऋण (लाख रुपयों में) (लाख रुपयों में)

वर्ष (जुलाई-जून)	मंजूर की गई सीमा	ली गई धन राशि	बकाया धन राशि
1965–66	2021.50	1194.47	764.39
1966–67	2351.00	1350.38	829.34
1967–68	2097.00	1451.81	687.86

(2) रिवर्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों 30 जून, 1968 तक के लिये बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम पर कृषि कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को दिए गए मध्यकालीन ऋण ।

(लाख रुपए में)

वर्ष (जुलाई-जून)	मंजूर की गई सीमा	ली गई धनराशि	बकाया धनराशि
1965–66	119.20	34.75	102.61
1966–67	99.00	59.11	103.66
1967–68	105.50	71.37	116.53

(3) बैंक दर पर उर्वरक विपणन के लिए ऋण ।

पंचांग वर्ष	मंजूर की गई धनराशि	ली गई धन-राशि	31 दिसम्बर को बकाया धनराशि
1967	500.00	914.60	415.55
1968 . . .	500.00	..	..

(4) हथ-करघा वित्त :

(1) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम पर हथ-करघा बुनकरों की सहकारी समितियों की उत्पादन तथा विपणन गतिविधियों के लिए धन सुलभ करने हेतु आँध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को दी गई धनराशि ।

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	मंजूर की गई सीमा	ली गई धन-राशि	बकाया धनराशि
1965–66	149.34	100.03	100.03
1966–67	116.22	91.96	91.96
1967–68	163.62	125.47	117.47

(2) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को सूत का व्यापार करने के लिए बैंक दर पर दी गई धनराशि।

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	मंजूर की गई सीमा	ली गई धनराशि	बकाया धनराशि
1965–66 . . .	25.00	14.00	
1966–67	25.00	..	..
1967–68	25.00	..	..

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर और केन्द्रीय बैंक तथा ग्राम ऋण समितियों द्वारा किसानों से अन्ततोगत्वा ली जाने वाली ब्याज की दर।

(1) **अल्पकालीन कृषि ऋण** :

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर बैंक दर से 2 प्रतिशत कम।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत

ग्राम ऋण समितियों द्वारा किसानों से ली जाने वाली ब्याज की दर $8\frac{1}{4}$ प्रतिशत

(2) **मध्यकालीन कृषि ऋण** :

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत

ग्रामीण ऋण समितियों द्वारा किसानों से ली जाने वाली ब्याज की दर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत

(ग) 1965-66 में कृषि कार्यों के लिए 1710.14 लाख रुपये के अल्प तथा मध्यकालीन ऋण दिए गए थे (दीर्घकालीन ऋणों को छोड़कर)। 1966-67 के आँकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 1166-67 के लिए प्रारंभिक अनुमान 2017 लाख रुपए का है। 31-3-1968 को केन्द्रीय बैंकों के स्तर पर समितियों के नाम 2434.35 लाख रुपए की राशि बकाया थी।

(घ) 31-3-1968 को आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिदेय निम्न प्रकार थे :—

(लाख रुपए में)

बैंक	धनराशि
हैदराबाद	57.48
महबूबनगर	66.19
मेडक	41.07
नालगोंडा	49.63
खम्माम	34.25
निलौर	41.08
भोंगीर	20.84
कुडाप्पा	24.67
वारंगल	35.42
श्रीकाकुलम	35.54
गुंटूर	25.93
निजामाबाद	37.80
श्रीकोनासीमा	9.99
चित्तूर	52.72
करीमनगर	56.41
विजियानगरम	55.19
राजामुन्द्री	5.93
विजयावाडा	137.20
रामचंद्रपुरम	5.86
करनूल	26.79
काकीनाडा	31.46
अनन्तपुर	62.85
इलुरु	31.92
कृष्णा	7.65
अदिलाबाद	21.62
	975.49

जून, 1968 के अन्त (जब सहकारी वर्ष समाप्त होता है) के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

पश्चिमी बंगाल में भूमि वितरण समितियां

2035. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा मार्च और नवम्बर 1967 के बीच प्रत्येक राजनीतिक दल, ग्रूप तथा सार्वजनिक संगठनों के प्रतिनिधियों को मिला कर बनाई गई भूमि वितरण समितियों को भंग कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या राष्ट्रपति के शासन के अधीन पश्चिम बंगाल प्रशासन ने सरकारी भूमि के वितरण के लिए हाल में खण्ड भूमि वितरण समितियों का गठन किया है, और

(घ) यदि हाँ, तो इन खण्ड समितियों के सदस्य कौन हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख). आरम्भ में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सरकार ने भूमि सुधार सलाहकार समिति बनाई। इसका अध्यक्ष-खण्ड विकास अधिकारी को बनाया गया। कनिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी तथा सभी क्षेत्रीय प्रधान और मंत्री इसके सदस्य बनाये गये। यह समिति निहित भूमि के वितरण तथा भूमि सुधार सम्बन्धी अन्य उपायों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये बनाई गई थी। संयुक्त मोर्चा सरकार ने इन समितियों को भंग कर दिया और ये हिदायतें जारी कीं कि यह कार्य ग्राम सभाओं, किसान सभाओं, स्थानीय विधान सभा सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक परामर्श से किया जायेगा। तथापि, नक्सलवाड़ी अशान्ति के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार ने ये भूमि सुधार सलाहकार समितियां फिर से बनाईं जिनका गठन इस प्रकार किया गया: अध्यक्ष, सब-डिवीजनल आफिसर, उपाध्यक्ष—खण्ड विकास अधिकारी, सचिव—कनिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी, और क्षेत्रों में सभी सक्रिय राजनैतिक दलों तथा किसान सभाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति इसके सदस्य बनाये गये। बाद में, उत्तराधिकारी पी० डी० एफ० सरकार ने इन समितियों को भंग कर दिया। इससे पहले कि इस समिति के पुनर्गठन के बारे में कोई निर्णय किया जा सकता, राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया।

(ग) फरवरी, 1968 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आदेशाधीन इन समितियों का फिर से गठन किया गया है और इनका नाम भूमि सुधार सलाहकार समितियां रखा गया है। प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये एक समिति है। इस समिति के कृत्य वही हैं जो संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान निर्धारित किये गये थे जिसमें निहित भूमि के वितरण बर्गदारों के संरक्षण और भूमि सुधार सम्बन्धी अन्य उपायों की क्रियान्विति के बारे में सलाह शामिल है।

2806(Ai)LSD—5.

(घ) इस समिति का गठन इस प्रकार है :—

1. सब-डिवीजनल आफिसर—अध्यक्ष
2. खण्ड विकास अधिकारी—उपाध्यक्ष
3. कनिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी—सचिव
4. सब-डिवीजनल भूमि सुधार अधिकारी—सदस्य
5. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी—सदस्य
6. खण्ड के सभी क्षेत्रीय प्रधान—सदस्य
7. आदिम जातीय लोगों का कलेक्टर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि (केवल मुख्य रूप से आदिम जातीय क्षेत्रों के लिये)—सदस्य

Procurement of Foodgrains

2036. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Food Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the farmers of Jahangirabad in Bulandshahr District coming to mandis to sell foodgrains had to wait for more than two to three days and had to sell the foodgrains to other traders at cheaper rates as a result of indifference, maltreatment of cumbersome procedure of procurement by the Food Corporation and its agents;

(b) whether this indifference shown by representatives of the Food Corporation of India is the result of their collusion with local traders;

(c) whether Government propose to institute an enquiry into this maltreatment of the Food Corporation and its agents; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) At the commencement of the season the procurement of rabi grains in Uttar Pradesh was being undertaken by the State Government. Subsequently the Food Corporation of India was requested to undertake purchases in some selected mandis with a view to supplement the efforts of the State Government. The Corporation started purchases at Jahangirabad, in Bullandshahr District from 8th June, 1968, alongwith the State Government. The Corporation has been ensuring fair and prompt payments to farmers in respect of the quantities of foodgrains purchased by it.

(b) to (d). Do not arise.

श्रम मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी

2037. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ग-वार कितने फालतू कर्मचारियों की छंटनी का पता लगा है और क्या कर्मचारियों की छंटनी करने का अथवा उनको अन्य स्थानों पर लगाने का प्रस्ताव है ;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था और इसी अवधि में कितने नये राजपत्रित पद बनाये गये हैं ; और

(घ) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के साथ कर रहे फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये उचित मंजूरी नहीं ली गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान):(क), (ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इस मंत्रालय में मंत्रियों के साथ कोई फालतू कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं जिनके लिये उचित मंजूरी न ली गई हो ।

चीनी का निर्यात

2038. **श्री सु० कु० तापडिया :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा ।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चीनी के निर्यात से कितनी हानि होगी और इस हानि के फलस्वरूप देश में चीनी के मूल्य और कितने बढ़ाये जायेंगे ; और

(ख) देश में चीनी की उत्पादन लागत घटाने और इसे चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और ऐसा करने में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1968 में चीनी के निर्यात पर हुई हानि को चीनी निर्यात सम्बर्द्धन अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत चीनी उद्योग वहन करेगा । अत: लेवी चीनी के मूल्य बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ख) चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य वे मूल्य हैं जो कि निर्यात करने वाले देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में मिलते हैं जहां चीनी की सप्लाई सामान्यत: मांग से अधिक होती है । अत: चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का निर्यात करने वाले देशों की उत्पादन लागत से कोई संबंध नहीं होता है । भारत में चीनी की उत्पादन संबंधी लागत को तभी कम किया जा सकता है जब कि गन्ने की प्रति एकड़ उपज और चीनी तत्व बढ़ जाते हैं जिस के लिये प्रयत्न जारी हैं ।

Appointments in Super Bazar, New Delhi

2039. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the authority which makes appointments of employees for the Super Bazar, New Delhi and the basis therefor;

(b) whether the qualifications and experience in business are given preference while making the appointments; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) The authority for making appointments of the employees of the Super Bazar, New Delhi, vests, with the General Manager subject to the general approval of the managing committee and the policies framed by it from time to time.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

चिरिमिरी खानों में दुर्घटना

2040. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम चिरिमिरी कोयला खान में हुई भयानक खान दुर्घटना के समय धनबाद जिले के खान सुरक्षा कार्यवाहक महानिदेशक वहां गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्योर कवासरा, कोयला खान में मार्च, 1968 में एक दुर्घटना हुई थी जिस के परिणामस्वरूप 25 व्यक्ति जीवित दब गये थे ;

(ग) क्या खान सुरक्षा कार्यवाहक महानिदेशक ने उन व्यक्तियों को बचाने अथवा उनके शवों को निकलवाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी ;

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । खान सुरक्षा उप महानिदेशक दुर्घटना के बाद कोयला खान में गये ।

(ख) मुगमा कोयला क्षेत्र की उस प्योर कवासरा खान से जो खान सुरक्षा महा निदेशक की आज्ञानुसार जमीन के नीचे कार्य स्थलों की हालत अस्थिर होने के कारण मजदूरों की भर्ती रोक कर दिसम्बर, 1966 से बन्द पड़ी थी, चोरी से कोयला ले जाने के बारे में खान सुरक्षा के महा निदेशालय को गुप्त रूप से पता चला । चूंकि इस बन्द खान के मालिक का पता नहीं लग सका इसलिये सिविल तथा पुलिस से संबंधित अधिकारियों के ध्यान में यह लाया गया कि जमीन के नीचे कार्य स्थलों की दशा अत्यन्त खतरनाक है । इस क्षेत्र के खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक ने आस पास के कोयला खानों के प्रबन्धकों की एक बैठक यह निश्चय करने के लिये बुलाई कि चोरी से निकाल कर ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई कोयला न खरीदें । प्रबन्धकों ने यह बात मान ली थी । दिनांक 29/30 मार्च की रात को जब चोरी से पहिले निकाला हुआ कोयला जो सतह पर इकट्ठा किया हुआ था, एक मोटर ट्रक में लादा जा रहा था तो 30 मीटर लम्बा और 30 मीटर चौड़ा जमीन का एक टुकड़ा नीचे धंस गया ।

30 मार्च को सूचना मिलने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के दो अधिकारी घटना स्थल पर गये और उन्होंने अपने को भारी खतरे में डाल कर जमीन के अन्दर कार्यस्थल की मलवे के किनारों तक निरीक्षण किया। उन्होंने मलवे के नीचे दबे हुए किसी व्यक्ति का भी कोई चिन्ह नहीं देखा। उसके बाद खान सुरक्षा के उप महानिदेशक ने भी निरसाचट्टी पुलिस स्टेशन के आफिसर-इन-चार्ज तथा थानेदार के साथ पूछ-ताछ की। लेकिन मलवे के नीचे किसी व्यक्ति के दबे होने का कोई प्रमाण नहीं पाया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) खान सुरक्षा के निदेशालय द्वारा जांच की गई ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को दृष्टि में रख कर, आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी ।

Loans given to Cultivators by Co-operative Banks

2041. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the scheme formulated by Government in regard to the short-term loans being given by the Co-operative banks for cultivation of high-yieldnig crops has not proved a success;

(b) if so, the steps being taken by Government to bring about improvement in the matter;

(c) whether it is also a fact that complicated rules have been framed regarding the grant and recovery of loans from these banks with the result that the farmers do not show any interest in taking loans; and

(d) if so, the difficulties in the way of making the procedure simpler.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) Short-term loans for the high-yielding varieties programme are being provided by cooperative banks as part of their normal loaning programme.

(b) To improve the flow of credit for agricultural production, the State Governments have been advised to take the following steps:

(i) a special drive to enrol all participants in the HVP as members of village primary societies;

(ii) concerted action against wilful defaulters and a vigorous drive for wiping off the overdues;

(iii) steps to prepare credit limit application of the central banks and send them to the R.B.I. in time;

(iv) provide necessary State guarantee to the R.B.I. for loans to Class 'C' banks;

(v) contribute to the share capital of the cooperative credit institutions to the extent necessary to enable them to borrow adequately from the higher financing agencies;

(vi) to effectively coordinate the work of agriculture and cooperative departments and also the cooperative banks so as to ensure timely flow of credit.

(c) and (d). With the introduction of crop loan system in almost all States, procedures have been simplified to some extent and loans are now being provided on the basis of production programmes and subject to the repaying capacity of the cultivators.

रेडियो लाइसेंस निरीक्षणालय के कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता

2042. **श्री क० लकप्पा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो लाइसेंस निरीक्षणालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक-तार विभाग में रेडियो लाइसेंस निरीक्षणालय नाम का कोई यूनिट नहीं है । इससे शायद बेतार लाइसेंस निरीक्षण अभिप्रेत हैं । वे यात्रा भत्ते के हकदार हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी का निर्यात

2043. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष चीनी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और उससे उद्योग को कितनी राज-सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : 1968 के दौरान चीनी के निर्यात से 9.56 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है। इस वर्ष चीनी का निर्यात चीनी निर्यात सम्वर्धन अधिनियम 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जा रहा है। अत: भारत सरकार 1968 के दौरान निर्यात पर कोई राजसहायता नहीं देगी।

Sugarcane Price

2044. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Shiv Kumar Shastri:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Ram Avtar Sharma:

Wil lthe Minister of **Food and Agriculture** be please dto state:

(a) whether any price has been fixed for the next sugarcane crop;

(b) if not, the date by which a final decision would be taken in this connection; and

(c) whether Government propose to raise the price of sugarcane slightly in view of the last year's experience?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Government had announced on 9th February, 1968 that the basic minimum price of sugarcane payable by sugar factories during 1968-69 season (as in 1967-68 season) will be Rs. 7.37 per quintal linked to a recovery of 9.4 per cent or less, with a premimum of 5.36 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 9.4 per cent.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

Ban on sale of Khoya in Delhi

2045. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Shiv Kumar Shastri:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sale of Khoya in Delhi has been banned;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the date by which Government propose to lift the ban?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculure, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes Sir, the sale of Khoya in Delhi was banned from 15th May to 14th July, 1968.

(b) The ban was imposed for maintaining and increasing supplies of milk in fluid form in Delhi and other areas covered by the order and for securing its equitable distribution.

(c) The order called the Delhi, Meerut and Bunlandshahr Milk and Milk Products Control Order, 1968 banning manufacture, sale, service and supply of various luxury milk products including khoya in the Union Territory of Delhi and Districts of Meerut and Bulandshahr in Uttar Pradesh ceased to operate on 15th July 1968.

कोयला क्षेत्र भरती संस्था की समाप्ति

2047. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी श्रम समिति ने अपनी पिछली बैठक में सर्व-सम्मति से यह सिफारिश की है कि 31 दिसम्बर, 1968 तक कोयला क्षेत्र भरती संस्था को समाप्त कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) नई दिल्ली में 20-21 अप्रैल, 1968 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 25वें अधिवशन ने यह इच्छा प्रकट की कि कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के नवें अधिवेशन का कोयला क्षेत्र भारती संस्था को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय 31 दिसम्बर, 1968 तक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कोयला सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 9 वें अधिवेशन का अगस्त, 1964 में लिया गया निर्णय इस प्रकार है :—

> "यह समिति कोयला क्षेत्र भरती संस्था पद्धति को समाप्त करने के सम्बन्ध में 21 दिसम्बर, 1963 को लिये गये त्रि-दलीय समिति के निर्णय का समर्थन करती है। नियोजकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि निर्णय क्रियान्वित करने के समय सरकार द्वारा एक परिणात्मक अनुसूची बनाई जानी चाहिये। सभापति ने समिति को आश्वासन दिया कि वह इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश की सरकार से उठायेगा।

(ख) इस मामले पर उत्तर प्रदेश की सरकार की राय लेकर विचार किया जा रहा है।

कोयला खान भविष्य निधि

2048. **श्री अदिचन :**
[श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में कोयला नियोजकों ने कोयला खान भविष्य निधि में कितनी राशि जमा नहीं कराई ;

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं, जिनकी और राशि बकाया है ; और

(ग) भुगतान न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग) 31-3-1968 तक की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। 31-3-1967 तक की प्राप्त सूचना निम्न प्रकार है :--

वर्ष के अन्त में	न्यायालय में विचाराधीन सार्टिफिकेट के मामलों में बकाया रकम	लगभग बकाया रकम जिसके लिये अनुनयी उपाय अथवा मुकदमा चल रहा है	कुल बकाया
	रु०	रु०	रु०
1961–62	62,20,060	85,83,242	1,48,03,302
1962–63	71,50,377	1,03,32,802	1,74,83,179
1963–64	66,13,536	37,93,490	1,04,07,026
1964–65	1,01,73,784	25,48,168	1,27,21,952
1965–66	1,49,13,841	1,49,65,039	2,98,78,880
1966–67	2,31,93,503	2,08,33,774	4,40,27 277

(ख) योजना के अन्तर्गत लगभग 1298 कोयला खानें तथा सहायक यूनिटें हैं जिनको कि प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा करानी पड़नी है तथा 1967-68 के अन्त तक प्रत्येक पर बकाया रकम के विषय में सूचना प्राप्त नहीं है।

बागान श्रमिक अधिनियम

2049. श्री अविचल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के एक अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अनुरूप उपबन्ध करने के लिये बागान श्रमिक अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को मालूम है कि इस प्रकार की सिफारिश की गई है।

(ख) इस पर विचार करने का काय राष्ट्रीय श्रम आयोग का है। सरकार आयोग की रिपोर्ट मिलने पर ही इस मामले पर विचार करेगी।

निर्यात प्रधान उद्योगों में श्रमिकों की मंजूरी

2050. **श्री अदिचन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के कार्यकारी दल ने हाल ही में यह मत व्यक्त किया है कि पटसन उद्योग जैसे अत्यन्त निर्यात प्रदान उद्योग में भी श्रमिकों की मजूरी उसी माप दण्ड से निर्धारित की जानी चाहिये, जो केवल देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अन्य उद्योग पर लागू होता है तथा निर्यात प्रधान उद्योगों के श्रमिकों की मजूरी कम नहीं होनी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सरकार को मालूम हुआ है कि अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की सिफारिश की है। परन्तु सरकार इस समय इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और यह आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी ।

केरल में डाक व तार कर्मचारियों के लिये मकान

2051. **श्री नायनार :** क्या **संचार** मंत्री 22 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

(क) पिछले 15 वर्षों में केरल में डाक व तार कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि केरल राज्य में डाक व तार कर्मचारियों ने क्वार्टर बनाने के निर्णय की क्रियान्विति में अत्यधिक विलम्ब के विरोध में, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रयोजन के लिये समय समय पर नियत किये गये कई लाख रुपये व्यपगत हो गये हैं, आन्दोलन किया है ;

(ग) यदि हां, तो केरल राज्य में डाक व तार कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने और आगे क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के हेतु प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी राशि खर्च की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) पिछले 15 वर्षों के दौरान निर्मित विभागीय क्वार्टरों की संख्या 52 है और इसे मिलाकर विभागीय क्वार्टरों की कुल संख्या 138 हो जाती है। इसके अतिरिक्त केरल सरकल में कर्मचारियों को 745 किराये के क्वार्टर भी दिये गये हैं ।

(ख) क्वार्टरों के निर्माण के लिये कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, किन्तु इस काम में मुख्य कठिनाई फंड की कमी है। इमारतों के लिये जिनमें कर्मचारियों के क्वार्टर भी शामिल हैं, जो कुछ राशि उपलब्ध की गई है, उसका समय-समय पर पूरा उपयोग कर लिया गया है ।

(ग) त्रिचूर में 52 क्वार्टरों के निर्माण के लिये मंजरी जारी कर दी गई है। एर्नाकुलम में 133 क्वार्टरों के निर्माण के लिये भी मंजूरी जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अलप्पी, कोट्टायम, कन्नानोर और कालीकट में कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये भूखण्डों का अधिग्रहण कर लिया गया है और फंड उपलब्ध होने पर कर्मचारियों के कवार्टरों के निर्माण के लिये कार्यवाही की जायेगी।

(घ) कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण इमारतों के निर्माण के पूरे कार्यक्रम के एक भाग के रूप में होता है और क्वार्टरों के लिये अलग से राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। विभाग द्वारा बनाई गई एक उच्चस्तरीय समिति कर्मचारी-क्वार्टरों सम्बन्धी स्थिति का पुनरीक्षण करती है। इस समिति ने भूमि के अधिग्रहण और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि–1966––71 के लिये––विभिन्न सर्कलों के लिये अस्थायी तौर पर राशि निर्धारित की है। विभिन्न सर्कलों के लिये अस्थायी तौर पर निर्धारित की गई राशि का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :––

सर्कल का नाम	भूमि के लिये निर्धारित राशि	कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण-कार्य के लिये निर्धारित राशि
	(आंकड़े लाख रुपयों में)	
आन्ध्र	15.00	60.00
आसाम	3.00	18.00
बिहार	10.00	54.00
महाराष्ट्र	13.50	45.00
मध्य प्रदेश	10.00	42.00
गुजरात	14.20	67.26
केरल	10.60	45.60
मद्रास	5.00	18.00
मैसूर	10.40	44.40
उड़ीसा	2.00	12.00
पंजाब	6.60	30.60
राजस्थान	3.10	19.20
उत्तर प्रदेश	24.00	72.00
पश्चिमी बंगाल	4.00	24.00
जम्मू तथा काश्मीर	0.60	3.60

प्रयोजना क्षेत्रों, टेलीफोन मंडलों आदि के लिये अलग से भी राशि निर्धारित की गई है।

किन्तु चौथी योजना के मसौदे की मंजूरी नहीं दी गई थी और 1 अप्रैल, 1966 से वार्षिक बजट के आधार पर एक सीमा तक राशि उपलब्ध की जा रही है। 1969—74 की अवधि के लिये संशोधित चौथी योजना बनाते समय केरल की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखा जायेगा।

नई जेमाहारी खास कोयला खान

2053. डा० रानेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जेमाहारी खास कोयला खान, डाक घर जयनगर, जिला बर्दवान, के प्रबन्धकों ने दिसम्बर, 1967 का तिमाही बोनस अपने कर्मचारियों को दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न किये जाने के कारण उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) आसनसोल के प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने बोनस की अदायगी न किये जाने के लिये प्रबन्धकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने का सुझाव दिया है। इसी बीच प्रबन्धकों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की है जिसमें कोयला खान बोनस योजना में सरकार द्वारा जनवरी, 1968 में किये गये संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है।

पश्चिम बंगाल में सिनेमा कर्मचारियों की हड़ताल

2054. डा० रानेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सिनेमा कर्मचारियों ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो विवाद को सुलझाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि सिनेमा गृहों के मालिक टिकट की दरें बढ़ाना चाहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) हड़ताल विभिन्न सिनेमा-घरों में विभिन्न तारीखों को धीरे धीरे समाप्त हुई। पांच सिनेमा-घर अभी भी बन्द हैं और पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें चालू कराने के लिए प्रयास कर रही है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 'ग्रेड व वेतन-मान' तथा 'ग्रेच्युटी'—के दो मामले 11-3-67 को न्याय निर्णय के लिए भेज दिए । राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर सम्झौता कराने का प्रयास किया गया ।

(ग) ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसियेशन ने राज्य सरकार से टिकटों की दरों में वृद्धि करने की प्रार्थना की है ।

(घ) राज्य सहकार ने ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर ऐसोसियेशन को सूचित किया कि सिनेमा-घरों के मालिक इस सम्बन्ध में संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और लाइसेंस प्राधिकारी औचित्य के आधार पर हर मामले पर विचार करेंगे ।

राष्ट्रीय विवाचन संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन

2055. डा० रानेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय विवाचन प्रवर्तन बोर्ड को पुनर्गठित किया गया है और उसके सदस्यों की सूची राज्यों को भेजी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड का पुनर्गठन करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विवाचन प्रोत्साहन बोर्ड का जुलाई, 1967 में गठन किया गया था और सभी राज्य सकाररों को सदस्यों की एक-एक सूची भेजी गई थी । बाद में अगस्त, 1967 में हुई केन्द्रीय क्रियान्विति तथा मूल्यांकन समिति की 13वीं बैठक में दिये गये निर्णय के अनुसार इस बोर्ड में, दिसम्बर 1967 में दो और सरकारी प्रतिनिधि शामिल किए गये । इसलिये इस बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया गया ।

पश्चिम बंगाल में नलकूप

2056. डा० रानेन सेन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में 40,000 कम गहरे नलकूप खोदने की योजना बनाई है और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने उस योजना पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो अब यह योजना किस स्थिति मे है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 40,000 कम गहरे नलकूपों की खोदने की एक योजना पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन है जिसे संस्थानिक वित्त-विधि से चलाया जाएगा । भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने आयोजना के कतिपय तकनीकी पक्षों की और जांच करने का सुझाव दिया है । भारत सरकार की समन्वेषी नलकूप संस्था, जो कि भूमिगत जल और विकास योजनाओं से सम्बन्धित है, को इस आयोजना की छानवीन करने और इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है ।

राज्यों में कृषि विकास निगम

2057. **श्री श्रद्धाकर सूपकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० एल० 480 की समकक्ष निधियों से किन किन राज्यों में कृषि विकास निगम स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : अभी तक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु बिहार, मध्य प्रदेश वा मैसूर राज्यों में कृषि विकास निगमों की स्थापना होने की सम्भावना है ।

राजस्थान में टिड्डी दल का उत्पात

2058. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से टिड्डी दल के उत्पात का मुकाबला करने के लिये 12 लाख रुपये का अनुदान मंजूर करने का निवेदन किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने दवा छिड़कने वाले विमानों की भी मांग की है ;

(ग) क्या राज्य में पहले ही टिड्डी दल आ गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपेक्षित सहायता राज्य सरकार को प्रदान कर दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 9 और 18 जुलाई, 1968 के बीच टिड्डी दलों ने बारमेर, जैसलमेर, जैलोर और जोधपुर जिलों में प्रवेश किया ।

(घ) टिड्डी दल अभी तक अपेक्षित मरू क्षेत्रों में आया है जहां भूमि-स्टाफ तथा हवाई पर्यवेक्षण दल द्वारा नियंत्रण कार्यों को भारत सरकार के टिड्डी नियंत्रण तथा चेतावनी संगठन ने शुरू किया हुआ है । लोकस्ट स्प्रे तथा नियंत्रण उपायों के लिए इस संगठन द्वारा किए गए खर्च को केन्द्रीय सरकार वहन करती है, अतः राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं होता ।

राजस्थान में जालोर जिले में नलकूपों का निर्माण

2059. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई की क्षमता तथा खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो वर्ष से अधिक समय पूर्व केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान के जालौर जिले में 200 नलकूप बनाने की एक योजना आरम्भ की गई थी;

(ख) क्या जालोर जिले के विकास के लिए इस परियोजना के महत्व को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार उसकी यथाशीघ्र क्रियान्विती के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास निधि परियोजना के अधीन प्रयोगात्मक नलकूप संगठन द्वारा आरम्भ किये गये अध्ययनों को शीघ्र पूरा करायेगी; और

(ग) पिछले वर्ष इस परियोजना में कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। जालोर जिले में 200 नलकूप बनाने के लिये राजस्थान सरकार ने एक योजना का प्रस्ताव रखा था। परन्तु तकनीकी जांच करने पर यह आवश्यक समझा गया कि योजना को शुरू करने से पूर्व क्षेत्र के भूमिगत जल के संसाधनों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया जाए।

(ख) और (ग) सम्वेषी नलकूप संस्था ने संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम (विशेष निधि) की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से राजस्थान में भूमिगत जल सर्वेक्षण हेतु एक परियोजना आरम्भ की है। परियोजना में भूमिगत जल संसाधनों के अध्ययन के लिए जालोर क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। पिछले वर्ष के दौरान में हाइड्रालोजिकल दिस्ता इकट्ठा करने, जल के नमनों का रासायनिक अध्ययन करने, परीक्षणात्मक कुओं तथा अवलोकनार्थ कुओं की छिद्रण तथा जांच करने और विभिन्न प्रकार के नक्शे आदि तैयार करने का प्रारम्भिक कार्य किया गया। 1970 के अन्त तक परियोजना के पूरे हो जाने की आशा है। परियोजना के अन्तर्गत जालोर क्षेत्र के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्रम कल्याण समिति

2060. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री वि० ना० शास्त्री ।

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में औद्योगिक तथा खेतिहर मजदूर को सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने एक श्रम कल्याण समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) सरकार ने एक समिति बनाई है जो निम्नलिखित काम करेगी :—

(i) निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जिनमें खान और बागान भी सम्मिलित हैं, विभिन्न सांविधिक और असांविधिक कल्याण योजनाओं के कार्य का पुनरीक्षण करना;

(ii) वर्तमान कल्याण निधि योजनाओं के कार्य में सुधार अथवा नयी योजनाओं को शुरू करने के लिये आवश्यक सिफारिशें करना;

(iii) ऐसे उद्योगों की जांच करना और सुझाव देना जहां कोयला खान कल्याण निधि तथा अभ्रक खान कल्याण निधि जैसी निधियां बनाई जा सकती हैं

(iv) सामान्य ग्रामीण श्रमिकों और विशेषकर कृषि श्रमिकों के कल्याण की योजनायें शुरू करने के लिये उपाय सुझाना; और

(v) ऐसे किसी सम्बद्ध मामले पर विचार करना जिसे समिति उपयुक्त समझे।

(ग) वर्तमान कार्य-क्रम के अनुसार, दिसम्बर, 1968 के अन्त तक।

Supply of Foodgrains to J&K

2062. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Narain Swarup Sharma:
Shri Sharda Nand:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Bal Raj Madhok:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of and the rates at which foodgrains were supplied by the Centre to Jammu and Kashmir each year during the last 21 years; and

(b) the number and the rates at which foodgrains were distributed in the State each year?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a)

Year	Quantity supplied (in '000 tonnes)	The rates of supply
1947 . . .	8	Prior to 1956, supplies of foodgrains were arranged

1948	19
1949	54
1950	26
1951	9
1952	12
1953	23
1954	37
1955	50
1956	49
1957	73
1958	92
1959	53
1960	54
1961	27
1962	44
1963	62
1964	68
1965	151
1966	229
1967	153

partly from imports and partly through surplus States. Thr rates charged by the surplus States are not available. A statement is laid on the Table of the House showing the pool prices of the cereals imported by the Government of India from different sources during the period 1947 to 1955 (Placed in Library. *See* No. LT 1546/68). Another statement is laid on the Table of the House. Prices at which foodgrains were supplied to Jammu and Kashmir from the Central pool from 1956 onwards .(Placed in Library. See No. LT 1546/68)

(b) The requisite information is not available with the Central Government. The Jammu and Kashmir Government has been asked to supply the information and it will be placed on the Table of the Sabha when received.

Posts of Line-Men in Delhi Telephone District

2063. Shri Ram Swarup Vidyarthi: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many posts of Line-men are lying vacant in the Delhi Telephone District;

(b) if so, the total number of posts lying vacant at present; and

(c) the action taken to fill up these posts and the time by which these posts would be filled up?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). 44 posts are lying vacant.

(c) The vacant posts will be filled by candidates now undergoing training who would be completing training on 5-9-1968.

Telephone Sub-Inspectors in Delhi Telephone District

2064. Shri Ram Swarup Vidyarthi: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of sanctioned posts of Telephone sub-Inspectors under Delhi Telephone District at present and the number of sub-Inspectors working against them; and

(b) the action being taken to fill up the vacant posts and the time by which all the vacant posts would be filled up?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) (a) There are 171 posts of telephone sub-Inspectors in the Delhi Telephone District and 65 posts have been filled up.

(b) Vacancies are likely to be filled by the first week of August, 1968.

उत्तर प्रदश के कुछ जिलों में विषाणुओं (वायरस) के कारण गेहूं को क्षति

2065. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विषाणुओं के फैलने के कारण उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा तथा रूहेल खण्ड डिवीज़नों में पैदा होने वाली मैक्सीकन गहूं को भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्षति कितनी हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार प्रभावित गेहूं स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रजीत शिन्द) : (क) विषाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग के आक्रमण के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में मैक्सीकन गेहूं की फसल को हानि होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से प्राप्त सूचना के अनुसार रबी के पिछले मौसम में फफून्द के कारण मैक्सीकन तथा स्थानीय गेहूं पर "ब्लैक टिप" का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है।

(ख) राज्य के विभिन्न भागों में "ब्लैक टिप" का प्रभाव एक-सा नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की विभिन्न किस्मों पर 0.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ा है। आगरा में यह प्रभाव 4 से 25 प्रतिशत तक था। परन्तु उपज को कोई हानि नहीं पहुंची।

(ग) जी नहीं। प्रभावित गेहूं मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है और कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे पता चले कि प्रभावित गेहूं के खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

कुओं के निर्माण का कार्यक्रम

2066. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार वित्तीय दृष्टि से कुओं के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ करने की स्थिति में है, जिसके अन्तर्गत कुओं के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय अनुदानों से दिया जाना है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में हुए खर्च की जानकारी दे दी है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1967-68 में बिहार सरकार को कुल कितनी राशि का केन्द्रीय अनुदान दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 31-3-1967 तक कुओं के निर्माण के बारे में जो केन्द्रीय सहायता का तरीका था उसके अनुसार भारत सरकार ने 25 प्रतिशत अनुसहायता के रूप में तथा 75 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया। अनुसहायता भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने 50 : 50 की दर पर अपना-अपना भाग दिया। 1-4-1967 से केन्द्रीय वित्तीय सहायता लागू किये नमूने के अनुसार अनुसहायता 15 प्रतिशत तथा ऋण 60 प्रतिशत राज्यों में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये मंजूर किया गया जोकि राज्यों द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये मंजूर की गई राशि के अतिरिक्त है। परन्तु बिहार राज्य सरकार गैर-सरकारी कुओं के लिये अब भी 50 प्रतिशत अनुसहायता दे रही है।

वर्ष 1966-67 में बिहार राज्य सरकार ने 500 कुओं के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वास्तव में 10,623 कुएं खुदवाये। इसी प्रकार 1967-68 में दिसम्बर, 1967 तक 10,000 कुओं के लक्ष्य के मुकाबले 12,400 कुएं खुदवाये। योजना सम्बन्धी चर्चा में 1968-69 के लिये 16,000 कुओं का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ख) और (ग). केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार योजना-वार सहायता देना बन्द कर दिया है। पुनरावर्तित प्रक्रिया के अनुसार विकास के मुख्य मदों जैसे "कृषि विकास", "लघु सिंचाई", आदि, के लिये सहायत दी जाती है जिस पर राज्य सरकार ने पहले 9 महीनों में वास्तव में व्यय किया हो तथा अगले तीन मास के लिये व्यय का अनुमान लगा रखा हो। परन्तु यह सारी सहायता भारत सरकार द्वारा सारे व्यय की मंजूरी के लिये निर्धारित की गई राशि के अन्तर्गत आती हो। 1966-67 तथा 1967-68 में "लघु सिंचाई" के लिये व्यय के निम्न अनुमानित आंकड़े बताये (जिसमें कुओं का कार्यक्रम भी शामिल है) तथा प्रत्येक के सामने इन वर्षों में अस्थाई रूप से छोड़ी गई राशि दी हुई है :—

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुमानतः आंकड़े	दी गई सहायता		
		ऋण	अनुदान (लाखों में राशि)	कुल
1966-67	915.00	804.00	55.50	859.50
1967-68	1146.00	687.60	171.90	859.50

नवम्बर-दिसम्बर, 1967 में वार्षिक योजना के बारे में हुई चर्चा में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने कहा कि 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में राज्य के कुएं निर्माण कार्यक्रम पर 47 लाख रु० तथा 80 लाख रु० की क्रमशः राशि व्यय की गई।

ग्राम दान

2067. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दान के जिन क्षेत्रों में थोड़ी भूमि दी गई है उनका सामान्य रूप से तथा जिन क्षेत्रों में अधिक भूमि दी गयी है उनका विशिष्ट रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास करने के व्यापक कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : चौथी योजना में ग्रामदान क्षेत्रों में विकास के विशेष कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है।

बिहार पंचायती राज विधान

2068. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के प्रवर्तन को स्थगित रखा हुआ है; और

(ख) क्या बिहार राज्य में कृषि तथा कृषि विकास के विभिन्न प्रक्रमों को इसके परिणाम-स्वरूप ठेस पहुंच रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख): राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लोक कार्य क्षेत्र

2069. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में बिहार तथा अन्य राज्यों में लोक कार्य क्षत्रों (ग्राम्य) को कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : नवम्बर, 1966 से केन्द्रीय क्षेत्र के लोक कार्य क्षेत्रों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। राज्य क्षेत्र के लोक कार्य क्षेत्रों को भी चालू वित्तीय वर्ष से केन्द्रीय सहायता रोक दी गई है।

हावड़ा में तथा हरियाणा में चार रेलवे स्टेशनों पर जब्त किया गया मक्का छोड़ा जाना

2070. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने हावड़ा और हरियाणा के चार रेलवे स्टेशनों पर जब्त पड़े मक्का के बड़े स्टाक को छोड़ दिये जाने तथा बेचे जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।]

मन्नावनूर भेड़ पालन प्रक्षेत्र तथा अनुसंधान संस्था

2071. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) पालानी पहाड़ियों में मन्नावानूर भेड़ पालन प्रक्षेत्र तथा अनुसंधान संस्था किस तारीख को आरम्भ की गई थी और खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से सरकार द्वारा अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) कितनी भेड़ों का आयात किया गया है तथा भेड़ पालन प्रक्षेत्र में इस समय कतनी भेड़ें हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रक्षेत्र का कार्यालय एक जीर्ण शीर्ण इमारत में है, जिसमें बिजली नहीं है तथा अन्य सुविधायें भी नहीं हैं;

(घ) प्रक्षेत्र को चलाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इस प्रक्षेत्र का वार्षिक व्यय क्या है;

(ङ) इमारतों तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण न करने के क्या कारण हैं तथा इमारतों तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्मण कब तक हो जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान उपकेन्द्र मन्नावनूर (कोडेनाल) जिला मदुरई की स्थापना नवम्बर, 1964 में की गई थी जबकि मद्रास सरकार ने लगभग कुल 1320 एकड़ भूमि (जिसमें 804 एकड़ वन भूमि भी शामिल है) सौंप दी थी। यह उपकेन्द्र मालपुरा (राजस्थान) स्थित केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्थान के एक भाग के रूप में खोला गया है।

इस केन्द्र पर 31–3–1968 तक 1.57 लाख से अधिक रुपया व्यय हो चुका है।

(ख) 967 की अवधि में आस्ट्रेलिया से 138 कोरीडेल भेड़ों का आयात किया गया था। इसके अतिरिक्त गंसा (कुल्लू) स्थित उपकेन्द्र से कुछ "साउथ डाउन" व "रोमनी मार्श" "भेडें" मन्नावनूर उपकेन्द्र को भेजी गई थीं।

30-6-1968 को कुल संख्या निम्नप्रकार थी :—

1. कोरीडेल	195
2. कोयम्बटूर	141
3. साउथ डीन	6
4. रोमर मार्श	7
5. कोरीडेल एक्स कोयम्बेटूर	8
	357

(ग) भेड़-फार्म का कार्यालय राज्य सरकार के मेटर्निटी सेंटर में स्थित है जो उपकेन्द्र की स्थापना होने तक भूमि सहित उपकेन्द्र को सौप दिया गया है। मन्नावनूर में जो उपकेन्द्र की प्रथम बार स्थापना हुई उस समय स्टाफ व कार्यालय के लिये लिये कुछ विद्यमान अस्थायी ढांचों का नवीकरण करवाया गया था और भेड़े रखने के लिये कुछ अस्थायी शैड भी तैयार किये गये थे। उसके पश्चात् निम्न सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई थी:—

(क) कुछ आवश्यक भागों की बाड़ पूरी की गई;

(ख) बिजली लगाने की व्यवस्था की जा रही है;

(ग) जलसंभरण के लिये भी व्यवस्था की जा रही है।

(घ) इस समय मुन्नावनूर स्थित उपकेन्द्र में अधिकारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 8 है जबकि स्वीकृत संख्या 13 है। इस केन्द्र पर वार्षिक औसत व्यय की मात्रा 0.53 लाख डालर है।

(ङ) और (च) : जरूरी स्टाफ के निवास स्थानों व कार्यालय और प्रयोगशाला भवन आदि के लिये भवन निर्माण करने का निर्णय हो चुका है। इन भवनों के निर्माण के लिये आवश्मक अनुमान तैयार कर लिये गये हैं और उनकी जांच की जा रही है। इन भवनों का शीघ्र निर्माण करने के लिये प्रयास किये गये हैं।

'ज्यूल बाक्स' टेलीफोन रिसीवर

2072. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "ज्यूल बाक्स" नये टेलीफोन रिसीवर को बनाने की लागत क्या है तथा प्रति वर्ष कितने "बाक्स" बनाये जायेंगे;

(ख) क्या यह प्रचलित 'प्रियदर्शिनी' नामक रिसीवर से अधिक अच्छा है और यदि हां, तो किस तरह :

(ग) क्या अगले पांच वर्षों में निजी तथा सरकारी प्रयोग के लिये टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि होगी, और यदि हां, तो कितनी; और

(ख) सरकारी टेलीफोनों के लिये किस प्रकार के रिसीवर प्रयोग में लाये जायेंगे और क्या वे अधिक टिकाऊ होंगे और क्या उनमें रोजमर्रा के प्रयोग से होने वाली टूट-फूट से बचाव की क्षमता होगी

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक नये प्रकार का टेलीफोन उपकरण इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में विकसित किया गया है किन्तु अभी इस नये उपकरण का कोई नाम नही रखा गया है। इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड म इस नये टेलीफोन के विकास की लागत लगभग 7000 रुपये रही है। इस नये उपकरण का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है किन्तु आशा है कि 1969-70 में 15,000 से 20,000 उपकरणों का निर्माण किया जायगा। अमरीका के इण्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कार्पोरेशन ने एक भिन्न प्रकार के टेलीफोन उपकरण का व्यापारिक-नाम "ज्वेल बाक्स" रखा है।

(ख) रूप और आकार के अतिरिक्त इसमें "प्रियदर्शिनी" के बनिस्बत कोई प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं।

(ग) जी हां। यदि अपेक्षित वित्तीय स्रोत उपलब्ध हो सके तो 1969-74 के दौरान 15,00,000 नये टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है।

(घ) सार्वजनिक टेलीफोन-घरों में एक नये और सुधरे हुए प्रकार के सिक्का-संग्राहक-पेटिका (कायन क्लैक्टिंग बाक्स) वाले टेलीफोन काम में लाने का प्रस्ताव है। बम्बई टेलीफोन वर्कशापों में इनके आदि रूप (प्रोटोटाइप) बनाये जा रहे हैं। पहले इन पेटिकाओं (बाक्सों) को परीक्षण के तौर पर लगाया जायेगा और सफल परीक्षण के बाद सार्वजनिक टेलीफोन-घरों के लिये इनका निर्माण किया जायेगा। आशा है ये नयी सिक्का-संग्राहक-पेटिका वाले टेलीफोन अधिक बेहतर सेवा दे सकेंगे तथा लापरवाही से किये गये इस्तेमाल के कारण होने वाली टूक-फूट का सामना करने के लिये अधिक सुदृढ़ होंगे।

गन्ने का उत्पादन

2073. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के अन्त तक गन्ने का कितना उत्पादन होने की आशा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे): 1967-68 में गन्ने की पैदावार के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, यह आशा की जाती है कि गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में प्राप्ति कमी होने के बावजूद भी गन्ने की पैदावार 1966--67 जितनी अर्थात् 92726.2 हजार मीटरी टन होगी।

कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के लिये समितियां

2075. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये स्थानीय कार्यान्वयन समितियां गठित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या ऐसी कार्यान्वयन समितियां गठित की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम कजोरा कोयला खान

2076. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टन कजोरा कोयला खान के प्रबन्धकों ने कोयला खानों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है ;

(ख) किस तारीख से उन्होंने उन्हें कार्यान्वित करना आरम्भ किया ;

(ग) क्या 15 अगस्त, 1967 से कार्यान्विति की तिथि के बीच की अवधि के लिये बकाया का भुगतान कर दिया है ;

(घ) मजदूरों को अभी कितनी बकाया राशि का भुगतान शेष है ; और

(ङ) इसे कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) सिफारिशें पूर्णत: क्रियान्वित नहीं की गई हैं।

(ख) 3 जून, 1968।

(ग) जी नहीं।

(घ) एक लाख और साठ हजार।

(ङ) प्रबन्धकों से सिफारिशों के पूर्ण पालन के लिए अनुनय किया जा रहा है ?

Dowry Prohibition Law

2077. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2203 on the 13th June, 1967 and state:

(a) whether the requisite information from the State Governments and

the Union Territories regarding Dowry Prohibition law has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Mohd. Yunus Saleem): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1547/68].

(c) Does not arise.

Leather Industries at Kanpur

2078. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8482 on the 25th April, 1968 and state:

(a) the persons of such leather establishments who are responsible for not providing interim assistance in accordance with the recommendations of the Wage Board; and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government against the agencies of the establishments violating the recommendations of the Wage Board?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Jaisukhlal Hathi): (a) Only one concern in Kanpur namely M|S Army and Police Equipment Supply Co., Kanpur has not implemented the recommendations fully.

(b) The State Government are taking action to secure compliance by the concerned managements.

Study of problems of farmers

2079. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8479 on the 25th April, 1968 and state:

(a) the problems of the farmers in respect of which studies have been conducted;

(b) whether Government propose to lay on the Table a copy of each of these studies;

(c) the manner in which the said organisation contributed to the social, economic and cultural development of the young and lady farmers of U.P.;

(d) the names of Government and other institutions which are working in the interest of the farmers and to which the said organisation has extended its cooperation;

(e) the suggestion made in the matter of framing national and international agricultural policies; and

(f) the district-wise details of the amounts collected and spent by the said organisations and the dates on which the amounts were collected and spent and the dates on which the said organisation organised meetings, seminars, demonstrations and the names of the countries to which the delegations were sent and of those from where delegations were received by the organisation?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No regular study of farmers' problems has been conducted by U.P. Krishak Samaj.

(b) Does not arise.

(c) No specific work is being carried out by the U.P. Krishak Samaj for young and lady farmers of U.P.

(d) The organisation has extended its cooperation to U.P. State Agro-Industrial Corporation (Public Sector Undertaking), Panchayati Raj Institutions, Agricultural Schools and Colleges.

(e) No specific suggestions have been made. The recommendations made in the seminars are forwarded to the Government and Bharat Krishak Samaj from time to time for consideration.

(f) Information relating to the district-wise details of the amounts collected and spent, meetings, seminars and demonstrations held is not available. Delegates were exchanged by the Samaj on reciprocal basis with the U.S.A. and G.D.R.

Fair Price Foodgrains Shops in Gorakhpur

2080. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8480 on the 25th April, 1968 and state:

(a) whether the information regarding homes and addresses of persons allotted Fair Price Foodgrains shops in Gorakhpur has since been collected from U.P. Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1548/68].

(c) Does not arise.

बिहार में टेलीफोन

2081. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरघाट (माधवपुर) हरलखी, वसीपट्टी, जयनगर, लदानिया, लोकाहा को एक दूसरे के साथ और उपमंडल मधुवनी के मुख्यालय, मधुवनी के साथ टेलीफोन के द्वारा मिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि जयनगर और दरभंगा के बीच टेलीफोन लाइन में प्राय: गड़बड़ रहती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जयनगर और दरभंगा के बीच दोहरी टेलीफोन लाइन बिछाने का सरकार का विचार है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हरलखी, वसीपट्टी और लखानिया में पहले से ही सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं । ये सावजनिक टेलीफोन घर मूलत: जयनगर एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं जिसका सीधा कनेक्शन मधुवनी और दरभंगा स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों से है ।

लोकाहा में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर पहले से ही कार्य कर रहा है, जिसका मूल सम्पर्क निर्मली एक्सचेंज से है । निर्मली और दरभंगा एक्सचेंज ट्रंक परिपथ पर सीधे जुड़े हुए हैं । लोकाहा में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है । सितम्बर, 1968 तक शहरघाट (माधवपुर) में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया जायेगा । इस सार्वजनिक टेलीफोन घर को सोतामढ़ी एक्सचेंज के साथ जोड़ दिया जायेगा । चूंकि उपर्युक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर टेलीफोन एक्सचेंजों से जुड़े हुए हैं, उनपर आपस में बातचीत की जा सकती है और मधुवनी एक्सचेंज से भी बात हो सकती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दूसरा मार्ग उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि जयनगर दरभंगा के बीच पर्याप्त परिपथों की व्यवस्था न होने के कारण मौजूदा भौतिक युग्म पर कैरियर प्रणाली के अध्यारोपण के माध्यम से दो अतिरिक्त परिपथों की व्यवस्था करने की योजना है । कार्य के छ: महीने की अवधि में पूरे होने की संभावना है ।

बिस्फी खण्ड कार्यालय, दरभंगा

2082. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी खण्ड का वर्तमान मुख्यालय मधुवनी खण्ड के 'पहीका' में स्थित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार खण्ड मुख्यालय को 'बिस्फी' से स्थानान्तरित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो खण्ड कार्यालय को बिना विलम्ब बिस्फी में स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :(क) और (ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, शीघ्र ही खण्ड मुख्यालय को बिस्फी स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, जब वहां इस समय बनाई जा रही इमारतें तैयार हो जाएंगी ।

Procurement of Foodgrains

2083. Shri Maharaj Singh: Bharati: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the traders have purchased a negligible quantity of wheat during the current year and the entire wheat could not come in the market on account of various difficulties experienced in regard to its purchase by Government;

(b) if so, whether Government have decided to purchase wheat that would come in tht market in a lesser quantity because of the monsoon and also the wheat that would come in the market along with the Kharif crops after the monsoon; and

(c) the quantity of coming Kharif foodgrains which Government have decided to purchase and the rates thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde): (a) It is not correct to say that the traders have purchased a negligible quantity of wheat. The market arrivals this year have been substantially higher than the previous years.

(b) As already announced Government will purchase any quantity of wheat of fair average quality offered to it for sale at the procurement prices upto the end of the season i.e. upto 31st March 1969.

(c) Decision in this regard will be taken at the commencemnet of the kharif season.

Public Call Office in Dasna, Meerut

***2085. Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the time by which the decision taken by Government regarding the installation of public call office during the current year at Dasna in Meerut district of Uttar Pradesh would be implemented?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): A final decision has not yet been taken on the subject of installation of Public Call Office at Dasna, District Meerut. The matter is still under examination.

धान का समाहार

2086. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उन धान उत्पादकों की संख्या कितनी है जिन में से प्रत्येक के पास 6 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है ;

(ख) कृबीनतम 'प्रति व्यक्ति' फसल के आधार पर उनमें से कितने व्यक्तियों से समाहार के प्रयोजनार्थ की वसूली के आदेश जारी किये गये थे ;

(ग) सरकार के लक्ष्य से वसूली कितनी कम रही ; और

(घ) कमी के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल में 6 एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि रखने वाले अधिशेष धान उत्पादकों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ख) लगभग 1,38,000 उत्पादकों को लेबी नोटिस जारी किए गए थे ।

(ग) जारी किये गये लेबी नोटिसों की कुल मात्रा और एकत्रित वास्तविक मात्रा में चावल के हिसाब से लगभग 53,000 मीटरी टन का अन्तर था ।

(घ) (i) बहुत से बड़े उत्पादकों ने सरकार के विरूद्ध न्यायालय में अन्तरिम व्यादेश प्राप्त कर लेबी के अन्तर्गत सुपुर्दगी रोक ली थी ।

(ii) अमन की फसल , जैसा कि मूलतः आशा थी वैसी अच्छी न होने के कारण खुले बाज़ार में ऊंची कीमतें होने से उत्पादकों का प्रतिरोध ; और

(iii) राज्य में राजनैतिक अनिश्चितता के परिणामस्वरूप 'अमन' के अधिप्राप्ति सीज़न के अधिकांश भाग में कानून और व्यवस्था में बारबार विघ्न पड़ने के कारण के प्रवर्तन में कठिनाई ।

पत्तनों एवं गोदी के लिए मजूरी बोर्ड

2087. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तनों और गोदियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने में निरन्तर विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार को यह प्रतिवेदन किस तारीख तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) मजूरी बोड की जटिल मामलों को निपटाना पड़ता है, जिनमें विस्तृत जांच की जरूरत होती है । इसके अलावा बोर्ड को विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना पड़ता है ।

(ख) यह रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है ।

बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को ऋण

2088. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह बर्मा और श्रीलंका से देश को वापस आये व्यक्तियों को दिये गये, वसूल न किये जा सकने वाले, ऋण के पूरे बोझ को वहन करती रहे ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (ग) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को दिये गये ऋण के वसूल न हो सकने के कारण हुये घाटे को केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में वहन करती है । कुछ राज्य सरकारों द्वारा सुझाव दिये गये हैं कि ऐसे घाटों को केन्द्रीय सरकार को शत प्रतिशत वहन करना चाहिये । मामला विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

2089. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि पश्चिमी बंगाल के बाढ़ग्रस्त तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, वर्तमान वर्षा ऋतु में खेती योग्य एक एकड़ भूमि भी बिना खेती के न रहे ;

(ख) क्या कृषकों में बीजों, उर्वरकों, मवेशियों के खरीदने तथा अन्य सम्बन्धित कारणों और मवेशियों के चारे के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राज्य सरकार की कृषि योजनाओं की जांच पड़ताल कर ली है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को आवश्यक सहायता देने की पेशकश की है ;

(ग) क्या इस वर्ष के लिए बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों को भू-राजस्व की अदायगी से वियुक्त कर दिया गया है और क्या विशेष रूप से इस वर्ष के लिए, ऋणों की अदायगी में चूक करने वाले व्यक्तियों को भी कृषि ऋण लेने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की पुनर्वास सम्बन्धी समिति

2090. श्री समर गुह : : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1964 के पश्चात् आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने तथा पश्चिम बंगाल सरकार के सुझावों को भी स्वीकार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और आंशिक (घ) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 28-12-1967 को प्रस्तुत की थी जिसमें असरफाबाद के भूत-पूर्व शिविर-स्थान तथा पांच वेग्रैन्ट होम्स में रह रहे 1139 विस्थापित परिवारों के बारे में सिफारिशें की गई हैं । सिफारिशों में मुख्य रूप से इन परिवारों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के विषय में कहा गया है ।

भारत सरकार ने प्राय: सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन परिवारों के पुनर्वास के लये 41.64 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने यह विचार प्रकट किया है कि नये प्रव्रजक गैर-कृषक परिवारों को पुनर्वास सहायता राज्य के अन्तर्गत ही दी जाये, जब कि पश्चिम बंगाल में भूमि की कमी के फलस्वरूप नये प्रव्रजक कृषक परिवारों को पुनर्वास सहायता राज्य के बाहर आयोजित करनी पड़ेगी । मामला विचाराधीन है ।

Bharat Sewak Samaj

2091. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision in regard to the demand made in Parliament for checking the Accounts of the Bharat Sewak Samaj;

(b) if so, the name of the Organisation which would conduct the inquiry and the terms of reference thereof; and

(c) in case no decision has been taken about conducting the inquiry, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (c). Action has been taken to verify the extent to which the accounts of the Bharat Sewak Samaj and of the Ministries and other Central agencies, which gave it financial assistance from time to time, tally. The question of an enquiry into the accounts of the Bharat Sewak Samaj, in so far as they relate to Central assistance, the agency to conduct it, its terms of reference and other details, is being examined in further consultation with the Ministries and others concerned.

निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राजनीतिक दलों का सम्मेलन

2092. **श्री मधु लिमये :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1968 में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राजनैतिक दलों के सम्मेलन में विचार किये गये विषयों पर कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि जब तक कोई नया दल चुनाव में 4 प्रतिशत मत न प्राप्त करे, उसे मान्यता नहीं दी जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या आयोग ने इस बात पर उचित ध्यान दिया है कि यदि ऐसा निर्णय न हुआ तो देश में राजनैतिक विखण्डन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम): (क) और (ख). दोनों विषयों पर निर्वाचन आयोग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) नये नियम बनाने में निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के विखण्डन की प्रवृत्ति पर ही नहीं बल्कि अनेक अन्य बातों पर भी विचार कर रहा है ।

Complaint of corruption in Delhi Milk Scheme

2093. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have received any letter complaining of corruption in the Delhi Milk Scheme specifying the following charges:

(i) the milk token is being sold at the rate of Rs. 5 to Rs. 15 per token and the higher officials share this income;

(ii) employees are paid large amounts as overtime allowance in an irregular manner and the sanctioning authority shares it;

(iii) the milk is purchased at higher than the market rate around Delhi from the agents who give more commission;

(iv) no proper account is maintained of the daily sale and purchase;

(v) a Gazetted Officer who had gone to a foreign country, had been drawing his salary through a clerk of his office and this was within the knowledge of officers there but no action was taken against him;

(vi) the General Manager is not paying any attention to the corruption prevalent there;

(b) whether Government are conducting an enquiry into the above mentioned charges; and

(c) if so, whether Government would take necessary action against the guilty officer and employees after the enquiry is completed?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes Sir, Govt. received a letter.

(b) No, Sir. It has not been possible to conduct an enquiry as the indentity of complainant could not be established and there was no opportunity of getting the details without which no enquiry can proceed. Charges at (i) and (ii) are general not being directed against specific officers, these charges are not susceptible of verification. As regards charge No. (ii), the Delhi Milk Scheme being a public utility service, exigencies of service, such as breakdown of processing machinery or of vehicles employed for milk procurement and distribution, non-attendence of employees make payment of overtime allowance unavoidable. This is done strictly according to rules. Charges at (iii) and (iv) are not correct. As regards charge at (v), the officer concerned had authorised drawal of his pay through a clerk, who, however, misappropriated it subsequently. The clerk has been suspended and the case handed over to the police. (vi) This is not correct.

(c) Does not arise.

Jute production

2094. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have collected figures of the Jute production during the year 1967-68;

(b) if so, the State-wise details thereof;

(c) whether jute was imported during the year 1967-68; and

(d) if so, the value thereof and the rate at which it was purchased?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving state-wise estimates of Jute Production is enclosed.

(c) Yes, Sir.

(d) Rs. 177.44 lakhs worth of Jute at the price of Rs. 337.32 per bale was purchased.

STATEMENT

Production of Jute 1967-68

(Thousand bales of 180 kgs each)

STATE	1967-68 Final Estimate
Assam	1049.1*
Bihar	832.6*
Orissa	335.6*
Uttar Pradesh	186.6*
West Bengal	3853.7*
Tripura	91.6
TOTAL	6359.2*

*Based on the preliminary results of randon sample crop-cutting surveys.
Note :—Jute is not grown to any appreciable extent in other States and Union Territories.

Assistance to Poonch area inhabitants

2095. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the time of Pakistani aggression in the year 1965, the persons of the Poonch area, who had left India and had fled away to Pakistan, were paid Rs. 600 per family and the persons of that area who had remained in India were paid Rs. 120 per family in the form of assistance, as reported in the Indian Express dated the 6th July, 1968; and

(b) if so, the reasons for this discrimination?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). The Government of India have sanctioned resettlement assistance on the scales indicated in the attached statement, for the residents of Rajouri-Poonch area who were uprooted during the Indo-Pakistan conflict of August-September, 1965 and who returned to their original places of residence soon after the cease-fire.

The Government of India have not sanctioned any relief or resettlement assistance for those people of the Rajouri-Poonch area who went across the cease-fire line during the conflict. Sales of rehabilitation assistance for the residents of Rajouri-Poonch area, who are uprooted during the Indo-Pakistan conflict of August-September, 1965, and who had returned to their original places of residence soon after the cease-fire.

(i) Maintenance grant varying from Rs. 100.00 to Rs. 300.00 depending upon the size of family to enable them to maintain themselves till the next harvest.

(ii) Repair to houses:

(a) Upto Rs. 500.00 for re-construction of houses completely destroyed;

(b) Upto Rs. 300.00 for the repair of houses damaged.

In addition, a tree and two poles or two trees to be provided in either case, by the State Government from its forests.

(iii) Trade Loan:

Rural areas upto Rs. 2.000.00 only.
Urban areas upto Rs. 5,000.00 only.

(iv) Ex-gratia grant of Rs. 500.00 for reconstruction of shops damaged, destroyed during the hostilities.

Price of Foodgrains

2096. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of foodgrains are constantly falling but the prices of fertilizer, water, labour and other agricultural equipment are going up;

(b) whether it is also a fact that there is a great discontentment among the farmers at present;

(c) if so, whether Government would endeavour to bring down the prices of essential agricultural inputs in proportion to the prices of foodgrains; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Prices of foodgrains which had risen during 1966 and 1967 as a result of shortfall in production brought about by two successive years of drought have registered some fall in the current year. Despite this fall, the prevailing market prices of foodgrains continue to be generally higher than those in 1965 and 1966. Further, support is being provided to the market at the procurement prices which contain an element of incentive. Prices of agricultural inputs, particularly those relating to chemical fertilisers have shown some rise in the past few years. But this higher cost has been generally compensated for by the substantially higher output, resulting from the adoption of new technology.

(c) and (d). Government's policy is that while a watch is kept over the prices of essential agricultural inputs, farmers receive increasing facilities in the form of credit and ready availability of inputs so that the necessity for higher investment does not become a disincentive.

मूंगफली के मूल्यों में गिरावट

2097. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अमरीका से सोयाबीन तथा सोयाबीन के तेल के आयात की अनुमति दिये जाने के कारण देश में मूंगफली के मूल्यों में अत्यधिक कमी हो गई है;

(ख) क्या मूंगफली के उत्पादन में भी कमी हो गयी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जाँच की है, जिससे विदेशी मुद्रा की और किसानों की हानि हुई है; और

(घ) सोयाबीन और सोयाबीन के तेल के आयात को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 2 वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी होने के कारण 1963 के अन्त से मई 1967 तक मूंगफली के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई । मानसून प्रारम्भ होने और 1967 में रबी की फसल अच्छी होने के कारण जून-जुलाई 1967 में एक दम मूल्य गिरने शुरू हो गये । वर्तमान मूल्य 1964 के इसी समय के मूल्य के समतुल्य है । यह कहना उचित नहीं है कि सरकार द्वारा अमरीका से सोयाबीन के तेल के आयात को अनुमति देने के कारण मूंगफली के भाव बहुत गिर गये हैं ।

(ख) 1967–68 के लिये मूंगफली के उत्पादन का अनुमान 58.29 लाख मीटरी टन है जो 1966–67 के 44.11 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना में 32.2 प्रतिशत अधिक है और 1965–66 के 58.88 लाख मीटरी टन अधिकतम उत्पादन से भली भांति मेल खाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) सितम्बर 1967 के करार के अनुसार 82,000 मीटरी टन की मात्रा का क्रय स्थगित आधार पर किया जा रहा है ताकि सोयाबीन के तेल के आयात के कारण मूंगफली के आन्तरिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये । इस क्रय को नियमित करने का प्रस्ताव है । साथ ही आयात हुये तेल को इस प्रकार रिलीज करने का प्रस्ताव है कि मूंगफली के तेल के मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे न गिरने पाये । सोयाबीन की थोड़ी सी निश्चित किस्मों का आयात केवल बीज वर्धन के लिये किया जाता है ताकि देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

केरल के लिये खाद्यान्नों का सम्भरण

2098. **श्री सीताराम केसरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई पहले पक्ष में दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे के कारमैनों द्वारा हड़ताल के कारण केरल को खाद्यान्न के संभरण में बाधा पड़ी थी;

(ख) क्या केरल को खाद्यान्न पहुंचाने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) हालांकि फायरमैनों की हड़ताल के कारण केरल स्थित खाद्य निगम के डिपों को खाद्यान्न भेजने में अस्थायी विघ्न पड़ा था लेकिन उस राज्य के खाद्य निगम के डिपों से खाद्यान्न देने में कोई बाधा नहीं पड़ी थी क्योंकि उस अवधि में सप्लाई में बाधा न पड़ने देने हेतु उन डिपों में स्टाक उपलब्ध था ।

(ख) और (ग). काकीनाडा से कोचीन को लगभग 10,000 मीटरी टन चावल समुद्री स्टीमरों द्वारा भेजने और बड़े स्टेशनों पर पड़े कुछ माल के डिब्बों से चावल उतारने और उसे सड़क के रास्ते केरल को भेजने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं । तथापि, क्योंकि हड़ताल समाप्त हो गई थी और आन्ध्र प्रदेश से रेल द्वारा चावल भेजना शुरू हो गया था, अत: समुद्री स्टीमरों और सड़क से संचलन आवश्यक नहीं समझा गया था ।

Irregularities in Milk Supply by D.M.S.

2099. **Shri Sitaram Kesri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the irregularities in milk supply in Delhi by the Delhi Milk Scheme since a few month back;

(b) whether Government are also aware that the milk supplied to the token-holders is not even one-fourth or one-sixth of the quantity of milk which is indicated on their tokens;

(c) whether Government's attention has also been drawn to the fact that many token-holders are denied even the supply of milk and the difficulty which has to be faced by such token-holders in these circumstances is completely ignored by the authorities;

(d) if so, the reaction of Government thereto; and

(e) the steps being taken by Government for the proper supply of milk?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir. Some complaints regarding irregularities in supply of milk by Delhi Milk Scheme have been received.

(b) No, Sir.

(c) Complaints regarding non-issue of milk to token holders have been received.

(d) The complaints are immediately enquired into, and the person concerned punished when there is sufficient material for doing so.

(e) Delhi Milk Scheme has taken the following steps to ensure proper supply of milk:—

(i) Milk depots of the Scheme are inspected very frequently.

(ii) Unauthorised issue of milk from milk depots controlled by checking each milk token against a "tickler" maintained by the depot staff.

(iii) Unauthorised milk tokens are being eliminated by checking with ration cards or ticklers.

(iv) Sale of milk to non-token holders is prohibited.

(v) Complaints against irregularities in distribution of milk at the milk depots are promptly attended to. Enquiry is made on the spot and the complainant contacted personally to the extent possible. Strict action is taken against depot staff found responsible for irregularities.

Strike in Shoe Factory, Karolbagh, New Delhi

2100. Shri Sitaram Kesri: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the strike going on for some days past in a Shoe Factory in Karolbagh, New Delhi;

(b) whether Government's attention has also been drawn to 11 more workers of the said factory having been arrested while staging a demonstration for the release of their 13 fellow-workers;

(c) whether Government have received any memorandum from the workers of the said factory in this regard; and

(d) if so, the action taken by Government to end the strike and Government's reaction to their demands?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Yes, Sir. Government is aware of the strike by employees and subsequent lockout by the management of Stylish Footwear Factory, Karolbagh.

(b) Yes, Sir.

(c) A communication was received by the Deputy Labour Commissioner, Delhi, wherein it was alleged that the workers were pushed out of the factory with the help of the police wihout giving any notice.

(d) The matter is at present under the consideration of the Delhi Administration.

Unemployed Engineers

2101. Shri Sitaram Kesri: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of Graduate Engineers who got themselves registered in the Employment Exchanges during the last five years in search of employment;

(b) the number of those Engineers out of them who have been provided employment so far; and

(c) the steps being taken by Government to provide employment at the earliest to the remaining trained engineers?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir): (a) and (b) Number of Graduate Engineers:—

Year	Registered with Employment Exchange at the end of	Placed in Employment during the year through Employment Exchanges
1963	1758	648
1964	2175	782
1965	3426	860
1966	4335	678
1967	6951	1101

(c) In May, 1968, certain measures recommended by the Planning Commission for the creation of employment opportunities for engineers were approved by Government. These measures are detailed in the statement placed on the table of the House on 26-7-1968 in reply to Starred Question No. 138.

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

2102. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों में से कितने लोगों के जीविकोपार्जन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) उनमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें जीविकोपार्जन के लिये सरकारी सहायता की आवश्यकता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) अब तक पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या 50·16 लाख है। इनमें से 41.78 लाख व्यक्ति विभाजन की अवधि से 31 दिसम्बर, 1963 के अन्तर्गत आये थे। इनके मामले में कुछ अवशिष्ट कार्य की मदों को छोड़कर जिनका पुनर्विलोकन समीक्षा समिति द्वारा

किया जा रहा है, प्राय: पूर्ण पुनर्वास कार्य समाप्त हो चुका है । यह जानने के लिये कि इनमें से कितने व्यक्तियों का जीविकोपार्जन की दृष्टि पुनर्वास नहीं हुआ है, एक विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी जिसके लिये लगभग 15 वर्षों और उससे अधिक अवधि में विभिन्न राज्यों में पुनर्वास प्रगति की छान-बीन करनी पड़ेगी । इस प्रकार का सर्वेक्षण करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं समझा जाता ।

2. 1-1-1964 को और उसके बाद आये हुये लगभग 8·38 लाख नये प्रव्रजकों में से इस समय पुनर्वास के लिये 11,457 परिवार (5,269 व्यक्ति) सहायता शिविरों में हैं जिनके लिये पुनर्वास योजनायें तथा कार्यक्रम चालू हैं । इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 6 लाख नये प्रव्रजक हैं जिनके लिये पुनर्वास सहायता की आवश्यकता होगी । राज्य सरकार से परामर्श करके उनके मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी कलकत्ता में तालाबन्दी

2103. श्री क० लकप्पा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ने अपने वर्कशाप में तालाबन्दी की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं और कितने कर्मचारियों को जबरी छुट्टी दे दी गई है; और

(ग) तालाबन्दी को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी तारातोला रोड, कलकत्ता ने 8-7-68 को तालाबन्दी घोषित की ।

(ख) तालाबन्दी के नोटिस के अनुसार कारण यह था कि श्रमिकों ने कारखाने के अन्दर गड़बड़ की और इसमें शरीक श्रमिकों की संख्या लगभग 2000 थी ।

(ग) यह कारखाना द्विपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप 16-7-1968 को पुन: खुल गया

महाराष्ट्र में डोम्बीवाली स्थित डाकघर

2104. श्री क० लकप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में मध्य रेलवे का डोम्बीवाली का डाकघर बहुत ही जीर्णशीर्ण हालत में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक कर्मचारियों को अंधेरे में काम करना पड़ता है और खिड़कियों की कमी के कारण जनता को घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हाँ, तो वहाँ पर नया डाकघर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । बिजली की रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है और डाक-सम्बन्धी काम के लिए खिड़कियां भी काफी संख्या में हैं ।

(ग) डाक घर के लिए किराये की एक अन्य उपयुक्त इमारत प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

अनाज के लिये गोदाम

2105. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में अब तक कितने गोदाम बनाये गये हैं और उनमें कितना अनाज जमा किया जा सकता है;

(ख) खाद्य निगम के पास कितने गोदाम हैं और 30 जून, 1968 को इनमें कितना गेहूं, चावल तथा अन्य अनाज जमा थे;

(ग) इस समय बाजार में तथा किसानों के पास बिक्री के लिये कितना गेहूं पड़ा हुआ है; और

(घ) खरीदने, परिवहन अथवा गोदाम की व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण कितना गेहूं क्षति-ग्रस्त हो जाने का खतरा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा दो वर्षों में बनवाए गोदामों के केन्द्रों की संख्या और उनकी कुल भण्डारण क्षमता इस प्रकार है :—

	1967-68	1968-69
केन्द्रों की संख्या . . .	14	10
क्षमता (मीटरी टन में) . .	53,550	2,43,950

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास 30 जून, 1968 को लगभग 500 भण्डागार थे और उनमें 18·83 लाख मीटरी टन खाद्यान्न रखे हुए थे ।

(ग) और (घ). काश्तकारों के पास गेहूं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, मंडियों में आने वाले गेहू की क्षति रोकने के लिए खरीदने, परिवहन, तथा संचयन करने के पर्याप्त प्रबन्ध हैं ।

Fallow Land in U.P.

2106. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fallow land belonging to Government is lying unused in Mathura, Uttar Pradesh;

(b) if so, he names of the areas in which such land is lying and the acreage of such land in each area;

(c) whether Government propose to distribute this land among the landless people and the ex-Servicemen for cultivation and if so, the basis thereof;

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.

(c) All vacant land in Uttar Pradesh was vested by Government in the Gaon Sabhas after abolition of Zamindari. The Gaon Sabhas let it out in accordance with the provisions of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and the Rules made thereunder. The landless agricultural labourers are accorded a high priority in allotment of such land. Landless ex-Servicemen are also eligible for such lands. The allotment is made by Gaon Sabhas in the normal course and no special orders in this respect are called for.

(d) Does not arise.

Small vans to Calcutta for Rural Service

***2107. Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to provide small vans and scooters for carrying mail in rural areas as in the case of Delhi, Bombay and Calcutta;

(b) if so, the time by which this scheme would be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The proposition will the uneconomical.

मोकामेह में अनाज जमा करने का डिपो

2108. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोकामेह (बिहार) में केन्द्रीय सरकार के अनाज के डिपों में कितना अनाज जमा किया जा सकता है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त डिपो में पंजाबी गेहूं की 15,000 बोरियां हाल ही में खराब हो गयी हैं और अब वह गेहूं मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रहा है;

(ग) इतना अधिक गेहूं के खराब हो जाने के कारण सरकार को रुपयों में अनुमानत: कितनी हानि हुई है;

(घ) इस क्षति के लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं और क्या इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1967 में ही मोकामाह स्थित ज: डिप. थे, को भारतीय खाद्य निगम के हवाले कर दिया था। उसकी क्षमता 76,000 मीटरी टन है।

(ख) और (ग) जी नहीं। रेल मार्ग के दौरान क्षति ग्रस्त हुये गेहूं में से केवल लगभग 15 मीटरी टन पंजाब गेहूं जिसका मूल्य लगभग 10,000 रुपये है मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया था ।

(घ) और (ङ) पंजाब से रेल मार्ग के दौरान वर्षा होने से अनाज क्षति ग्रस्त हो गया था। भारतीय खाद्य निगम ने रेल मंत्रालय के पास एक दावा दायर कर दिया है जो कि आवश्यक जांच करने के बाद निर्णय करेगा।

Arrear against Bihar Government

2109. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than Rs. 1 lakh are outstanding against Bihar Government on account of telephone charges and if so, the amount outstanding against each of the former Governments of Bihar since 1967 General Elections;

(b) whether it is also a fact that about Rs. 15,000 are outstanding against Government on account of telephone charges in Patna;

(c) if so, the reasons for which such heavy sums are outstanding for recovery;

(d) whether Government have taken any action for recovering the said amounts; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Abolition of Tata's Zamindari in Bihar

2110. Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of **Food, and Agricolthre** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the first Sanyukta Vidhayak Dal Government in Bihar had introduced a Bill in the Bihar Legislative Assembly for abolition of Tatas' Zamindari;

(b) if so, the outlines thereof;

(c) whether Government propose to take any action for the abolition of Tatas' Zamindari on that basis; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde): (a) Yes.

(b) The object of the Bill is to bring within the purview of the provisions for abolition of intermediary tenures in the Bihar Land Reforms Act, 1950, lands which had been acquired for industrial purposes under the Land Acquisition Act, 1894 and which were, by insertion of Section 2-B under the Bihar Land Reforms (Amendment) Act, 1960, exempted from the operation of Bihar Land Reforms Act.

(c) and (d). The matter is under consideration.

ईंधन के काम आने वाले वृक्ष उगाने के कार्यक्रम

2111. **श्री कं० हाल्दर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि गोबर को मूल्यवान उर्वरक के लिए बचाने की योजना के अंश के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में सब भर में ईंधन के काम वाले शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष उगाने के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जावे;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) वन विज्ञान कार्यक्रम विषयक सब-ग्रुप ने, जो कृषि विभाग ने नई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए नियुक्त किया था, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर ध्यान-पूर्वक विचार किया है और 1969–70 से 1973–74 की अवधि में एक लाख हैक्टेअर भूमि में ईंधन के काम आने वाले तथा शीघ्र उगने वाली किस्मों के वृक्ष लगाने का एक वृहत आकार का अनन्तिम कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ।

नेपाल को गेहूं का सम्भरण

2112. श्री हरदयाल देवगुण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार से गेहूं के सम्भरण के लिये कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त निवेदन मान लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) . महा महिम नेपाल की सरकार के अनुरोध पर मार्च, 1968 में किसी समय भारत द्वारा नेपाल को 10,000 मीटरी टन गेहूं बेचने हेतु एक करार हुआ था बाद में नेपाल सरकार ने सूचित किया कि नेपाल की खाद्य स्थिति में सुधार हो जाने के कारण उन्हें अब इस गेहूं की आवश्यकता नहीं है । अत: इस करार को रद समझा गया । इस कार के अंतर्गत गेहूं की कोई सप्लाई नहीं की गयी थी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में गोदामों का निर्माण

2113. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री देवव्रत बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के गोदामों का निर्माण करने के लिये किसी गैर सरकारी उपक्रम ने सरकार को पेशकश की है और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी ह ।

(ख) सरकार द्वारा दिये गये विज्ञापन के प्रत्युत्तर में पेशकश प्राप्त हुई हैं और वे इस समय विचाराधीन हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों के लिये दिल्ली में भूमि

2114. श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए कुछ विस्थापित लोगों को हाल ही में दिल्ली में भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका आधार क्या था; और

(ग) जिनको भूमि दी गई है क्या उनके नाम दी गई कुल भूमि और भूमि देने का आधार दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, हां ।

(ख) कालका जी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाटों की अलाटमेन्ट की पात्रता की शर्तें प्रैस नोट्स दिनांक 4 जनवरी, 1966 तथा 13 अगस्त, 1967, में दी गई हैं जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं ।

(ग) एक विवरण, जिसमें अब तक प्लाट अलाट किये गये व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं, सभा पटल पर रखा जाता है पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1549/68] अलाटमैन्ट का आधार वही है जोकि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

2115. श्री हेम राज : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से कितने प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हुए;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार मिल गया है और कितने बेरोजगार हैं; और

(ग) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्य किया करने का प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) 63,093 ।

(ख) भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार तथा बेरोजगारी के बारे में ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी 1965 में उत्तर प्रदेश में तथा दिल्ली में 1966 में नमूना परिमाप करने के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से लगभग 90% पहले से ही रोजगार में हैं ।

हाल ही में भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से अक्तूबर, 1965 में पास हुए, उनके रोजगारी दर्जे के बारे म अखिल भारतीय सर्वेक्षण आरम्भ किया है ।

(ग) काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित लोगों को सामान्य रूप से रोजगार सहायता प्रदान की जाती है ।

अधिवक्ता अधिनियम पुनर्विलोकन समिति

2116. श्री हेम राज :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या विधि मंत्री 11 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7031 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या विनिश्चय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) अधिवक्ता अधिनियम पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक शीघ्र ही ससद् म पुरः स्थापित किया जाएगा ।

भारतीय बीज निगम द्वारा खराब बीजों की सप्लाई

2117. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने शिकायत की है कि भारतीय बीज निगम द्वारा खराब बीज सप्लाई किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास मंत्री का वह वक्तव्य देखा है जिसमें खराब बीजों की सप्लाई तथा राज्य सरकारों की शकियतों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो खराब बीज सप्लाई किये जाने के लिए जिम्मेदार बीज निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) खराब बीजों की सप्लाई के बारे में शिकायतें कुछ राज्य सरकारों से राष्ट्रीय बीज निगम को मिली हैं । सन् 1968 में निगम को मिली शिकायतों और उन

पर की गई कार्यवाही के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या एल० टी० 1550/68 है ।] सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री के वक्तव्य को भी प्रेस रिपोर्ट में देखा है । हिमाचल प्रदेश सरकार से अभी तक सरकारी तौर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी उस सरकार के साथ इस मामले पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत सलाहकार समितियां आदि

2118. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से संबंधित विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों के नाम क्या हैं तथा उन्हें क्या कार्य दिए गए हैं;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्त्ता कितने-कितने हैं; तथा सरकारी अधिकारी कितने-कितने हैं;

(ग) क्या सदस्यों की नामज़दगी एक ही बार के लिए होती है; और यदि नहीं, तो एक ही सदस्य की नामज़दगी कितनी बार हो सकती है और एक बार की नमज़दगी की अवधि कितनी है; और

(घ) वर्ष 1967–68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और संकलित होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

संचार विभाग में भ्रष्टाचार के मामले

2119. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि के दौरान उनके विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी और अन्य दण्डनीय अपराधों के कितने मामलों का पता लगा और कितने अधिकारी (श्रेणीवार) तथा अन्य व्यक्ति उसमें अन्तर्ग्रस्त थे;

(ख) कितने मामलों में मुकदमे दायर किये गये और कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये;

(ग) 1967–68 में कितने मामले पकड़े गये थे, कितनों में अपराध सिद्ध हुआ और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Super-Markets

2120. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Super Markets opened in the various parts of the country are still running in loss; and

(b) the steps taken to check the overhead expenditure and improve the functioning of the Super Markets?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) Out of 38 Super Bazars operating during the year 1966-67, 23 were in profit and the rest in loss. The cooperative year (ending June 1968) has just ended and the profit and loss position of the Super Bazars for this period, i.e., 1967-68 would be known after some time when their accounts are finalised and audited.

(b) The steps taken to check the overhead expenditure and improve the functioning of the Super Bazars include, among others, rationalisation of staffing pattern, increase in sales turn over, diversification of business, adoption of business efficiency norms, arrangements for procurement of consumers goods directly from manufacturers and streamlining of administrative and accounting procedures.

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के गोदामों पर छापे

2121. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमा किये गये अनाज को पकड़ने के लिए जून, 1967 से मई, 1968 तक उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर खाद्यान्नों के भण्डारों पर छापे मारे गये थे और कितना अनाज बरामद किया गया; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). यह सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त करनी होगी जिसे उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के समस्त थानों से एकत्रित कर संकलित करना होगा । सभी जिलों से सूचना संकलित हो जाने पर भी वह बहुत विस्तृत होगी । यहां यह उल्लेखनीय है कि उसे एकत्र करने में जो समय व श्रम लगेगा उतना शायद उसके परिणाम से लाभ न हो पाये ।

उत्तर प्रदेश में पशुचिकित्सालय

2122. **श्री विश्वनाथ पाण्डय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय हैं ;

1806(Ai)LSD—8.

(ख) उनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और कितने नगरों में ;

(ग) उनमें से कितने चिकित्सालय ग्रामों में बिना डाक्टरों के कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इन चिकित्सालयों पर कुल कितना वार्षिक व्यय होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में भूमिदान योजना के अन्तर्गत भूमि

2123. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आचार्य विनोबा भावे की भूमिदान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक कितने एकड़ भूमि प्राप्त हुई है;

(ख) भूमिदान योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कितने व्यक्तियों को भूमि दी गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमिदान योजना के लिये कुछ वित्तीय सहायता भी मंजूर की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 31 मार्च, 1968 तक 4,35,478 एकड़ ।

(ख) 73,318 व्यक्तियों को कुल मिलाकर 2,10,091 एकड़ भूमि अलाट की गई है ।

(ग) जी हां ।

उत्तर प्रदेश में अनाज का गोदामों में जमा किया जाना

2124. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि पंजाब और हिरयाणा से राज्य के गोदामों में अनाज का संग्रह रोका जाना चाहिऐ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार को आशंका हुई कि राज्य में उपलब्ध भण्डारण स्थान कहीं उत्तर प्रदेश में अधिप्राप्त अनाज के लिये पर्याप्त न हो ।

(ग) पंजाब और हरियाणा से गेहूं का प्रेषण उत्तर प्रदेश की पूरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश के गोदामों को उपयुक्त ढंग से विनियमित किया गया था ।

पत्रकार तथा गैर-पत्रकार

2125. **श्री अनन्तराव पाटिल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो विभिन्न मजूरी बोर्डों तथा उनकी भिन्न-भिन्न सिफारिशों के कारण पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के काम के बीच सामंजस्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों के अधिक वेतन तथा भत्तों और उनके द्वारा प्रायः हड़ताल करने के कारण भी दक्षता और उत्पादन में कमी हुई है जिसके फलस्वरूप समाचार-पत्र उद्योग को विशेषकर छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र संस्थानों को बहुत घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार दोनों वर्गों के कर्मचारियों के लिये एक ही मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का है जिसका निर्देश पद इस प्रकार हो कि मजूरी को उत्पादन के साथ जोड़ा जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिये पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्डों का एक ही अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र सदस्य थे ।

(ख) चूंकि दोनों मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को अभी पूरी तरह से लागू करना है इसलिये विभिन्न समाचार-पत्रों पर इन सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव का अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मजूरी बोर्डों द्वारा हाल ही में श्रमिकों के इन दोनों वर्गों की मजूरी-दरों की जांच की गई है और उनकी सिफारिशें अब क्रियान्वित की जा रही हैं । अतः इस प्रयोजन के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अनाज का इकट्ठा किया जाना

2126. **श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेयर हाउसिंग कारपोरेशन इस वर्ष अच्छी फसल का अनुमान लगाने में असफल रहा जिसके कारण अनाज को इकट्ठा करने की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या निदेश दिये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भाण्डागार निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का जिस हद तक खाद्य निगम या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें या किसान अथवा व्यापारी वर्ग प्रयोग करना चाहते हैं उसे छोड़ कर चूंकि वे प्रत्यक्षतः खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति या संचयन नहीं करते हैं, फलतः इस वर्ष अच्छी फसल का अनुमान लगाने में असफल रहने और पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भाण्डागार निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता जिसका अभी तक अधिक प्रयोग नहीं किया गया था, वस्तुतः उसका अब अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा से गेहूं का निर्यात

2127. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने विरोध प्रकट किया है कि भारत के खाद्य निगम ने उस राज्य से गेहूं बाहर भेजने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिकायत का कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत का महान्यायवादी

2128. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री जुगल मंडल :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान महान्यायवादी ने इस वर्ष अगस्त में अपना पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के उन्होंने क्या कारण बताये हैं और

(ग) क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां, 15-9-68 से।

(ख) महान्यायवादी ने इसलिए त्यागपत्र दिया है कि उनका यह विचार है कि उन्होंने सरकार की सेवा पर्याप्त अवधि तक कर ली है और उनकी आय इतनी हो गई है कि उन्हें ऐसे उच्च पद से अवयक्ति मिलनी चाहिये।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

आसनसोल में केंडवा बाजार का भूमि में धंसना

2129. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता बार-बार यह मांग करती रही है कि 6 जुलाई, 1968 को आसनसोल में केंडवा बाजार के एक भाग के भूमि में धंसने की घटना जैसी घटनाओं की जांच द्वारा विशेषज्ञों द्वारा कार्रवाई की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) खान सुरक्षा के महानिदेशालय के विशेषज्ञों द्वारा भूमिधसावों की जांच की गई । निदेशालय ने उप मण्डल अधिकारी, आसनसोल को पहले ही सुझाव दिया था कि केंडवा गांव के आपदग्रस्त क्षेत्र में एहतियात के तौर पर मकान खाली करा लिये जायें । यह बताया गया है कि संकट का कारण चालू खानें नहीं हैं किन्तु वे खानें हैं जिनमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के आरम्भ में काम हुआ था और जिनमें लगभग 60 वर्ष पूर्व काम बन्द कर दिया गया था ।

बंजर तथा कृषि योग्य भूमि का नियतन

2130. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागजात में दर्ज 3.42 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि और 1.74 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य बेकार पड़ी भूमि में से कितनी भूमि किसी को भी नहीं दी गयी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसे लोगों को जो इस भूमि को दो वर्षों की अवधि में कृषि योग्य बनाना चाहते हैं, तालुक मुख्यालयों में इस भूमि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकारों को निदेश देने का है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे भूमि देने के कार्य में अब तक कितनी सफलता मिली और किन तरीकों से; और

(घ) 2.09 करोड़ हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी रहने के क्या कारण हैं, जबकि यह भूमि बोई जाने वाली भूमि का छटा भाग बनती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

(क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). गांव और ताल्लुक मुख्यालयों के प्राधिकारियों के पास आवश्यक जानकारी है जो अनुरोध करने पर प्राप्त की जा सकती है। भूमि राज्य का विषय है अतः इस विषय में केन्द्र की ओर से कोई निदेश जारी नहीं किया गया है। फिर भी भूमि आवंटन नियमों के अनुसार सरकारी भूमि को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है। भूदान भूमि का सर्व सेवा संघ द्वारा बांटा गया है। कृषक और निर्धन वर्गों को दी जाने वाली भूमि का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य का नाम	कृषि योग्य बेकार भूमि	भूदान में प्राप्त भूमि का वितरण
1. आसाम	3,020	509
2. आंध्र प्रदेश	13,090	1,03,399
3. उड़ीसा	1,663	1,13,345
4. उत्तर प्रदेश	9,442	2,10,091
5. केरल	0,484	5,774
6. मद्रास	3,111	21,519
7. दिल्ली	—	180
8. पंजाब	1,679	3,601
9. गुजरात	3,332	50,984
10. महाराष्ट्र	6,407	1,07,111
11. मध्य प्रदेश	23,457	1,56,506
12. मैसूर	7,226	3,181
13. पश्चिमी बंगाल	1,220	3,898
14. बिहार	5,064	3,31,842
15. राजस्थान	28.350	24,781
16. हिमाचल प्रदेश	—	2,531
17. जम्मू और काश्मीर	उपलब्ध नहीं	5

(घ) आंशिक रूप से कृषि सुविधाओं की कमी और मुख्यतः भूमि को कृषि योग्य बनाने से पूर्व उसमें अधिक धन लगाने की कठिनाई के कारण इस समय खाली पड़ी सब कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं की जा सकती। स्रोतों के सीमित होने के कारण भूमि को कृषि योग्य बनाने और उसको बांटे जाने का कार्यक्रम, राज्य सरकारों द्वारा योजना क्षेत्र में निर्धारित धन की उपलब्धता के अनुसार बनाया जाता है।

खेतिहर मजदूर

2131. **श्री लोबो प्रभु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग को कारखानों के श्रमिकों के समान खेतिहर मजदूरों के बारे में भी प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो मजदूरों के इस बड़े वर्ग की उपेक्षा करने का क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि खेतिहर मजदूरों के बारे में कम्प्यूटरों से प्राप्त परिणामों के कारखानों के श्रमिकों के प्रतिकूल होने पर उन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा;

(घ) क्या खेतिहर मजदूरों को अन्य रोजगार न मिलने पर सरकारी कार्यों में न्यूनतम मजदूरी पर पूर्ण रोजगार देने की योजना पर विचार करने का आयोग को सुझाव देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनकी सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह आयोग के विचारार्थ विषयों के क्षेत्र के अन्तर्गत है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चौथे साधारण निर्वाचन के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट

2132. **श्री लोबो प्रभु :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा उन पर विनिश्चिय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिश्चय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विनिश्चय कब तक कर लिया जाएगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं; अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार विधि में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा कर रही है। निर्वाचन आयोग अपनी प्रस्थापनाएं निवेदित करते समय, निःसन्देह उन

सिफारिशों पर भी विचार करेगा जो चौथे साधारण निर्वाचन पर आयोग की रिपोर्ट में की गई हैं। आयोग का विचार निर्वाचन पद्धति और प्रक्रिया में सुधार करने सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों पर मुख्य निर्वाचन आफिसरों से एक सम्मेलन में विचार विमर्श करने का है जो कि वह आगामी सितम्बर के प्रथम सप्ताह में करने जा रहा है। भारत सरकार निर्वाचन आयोग के सुविचारित मतों और ठोस प्रस्थापनाओं की प्राप्ति के पश्चात् इस विषय में विनिश्चय करेगी।

साधारण निर्वाचनों के दौरान परिवहन के प्रदाय पर रोक लगाने के लिये विधान

2133. **श्री लोबो प्रभु :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि साधारण निर्वाचनों में मतदाताओं के लिए खुले आम सवारी की व्यवस्था की जाती है क्या सरकार मतदाता तथा उसके परिवार के व्यक्तिगत प्रयोग के सिवाय सभी किस्म के परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी तथा इसके लिये विधान बनायेगी और मतदान केन्द्र से दो मील से अधिक दूरी पर रहने वाले मतदाताओं के लिये साधारण निर्वाचनों में सवारी की व्यवस्था करने पर विचार करेगी; और

(ख) क्या सरकार ग्राम अधिकारियों तथा नगर पालिका और पंचायत अधिकारियों द्वारा पहचान पत्र दिये जाने पर भी विचार करेगी ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) निर्वाचन आयोग, निर्वाचकों के निःशुल्क प्रवहण के लिए गाड़ियों को भाड़े पर लेने या उप्राप्त करने को प्रभावपूर्णतया रोकने के लिये प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में विधि के उपबन्धों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाना तो शायद सम्भव हो सकेगा किन्तु मतदान केन्द्रों से दो मील से अधिक दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए निःशुल्क प्रवहण का उपबन्ध करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। इसके अतिरिक्त यह है कि जिन राज्यों में मध्यावधि निर्वाचन हुए हैं या होंगे उनको हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन यह व्यवस्था है कि किसी भी मतदाता का मतदान केन्द्र उसके निवास स्थान से दो मील से अधिक की दूरी पर हो।

(ख) निर्वाचकों की बृहत् संख्या के कारण सभी मतदाताओं को पहिचान पत्र देना व्यावहारिक नहीं होगा। इसमें खर्च भी अत्यधिक होगा। इसके अतिरिक्त यह कभी भी निश्चित नहीं हो सकता कि पहिचान पत्र वास्तव में ठीक व्यक्तियों को ही दिए जाएंगे, परिणामस्वरूप प्रतिरूपण आसान हो जाएगा।

दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो प्रबंधकों और सहायकों की बरखास्तगी

2134. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के डिपों प्रबन्धकों और सहायकों के मनमाने ढंग से बरखास्त किये जाने के बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों और विभिन्न संघों की ओर से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) डिपो स्टाफ की सेवाओं को समाप्त करने के विरुद्ध 15 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी हां।

टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में चेतावनी

2135. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मीठालाल मीना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस देश में बड़े विशाल पैमाने पर टिड्डी दल के आने के खतरे की चेतावनी सरकार को दी है;

(ख) टिड्डी दल के कब आने की सम्भावना है;

(ग) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस खतरे को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस वर्ष मई में बताया कि अरबियन पैनिनसुला तथा अफरीका के समीपवर्ती क्षेत्रों में टिड्डी स्थिति गम्भीर रूप धारण कर रही है । परिणामस्वरूप गर्मी के महीनों में टिड्डियों का गम्भीर आक्रमण हुआ। तब से चार दल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तथा राजस्थान के जैलोर जिलों में वास्तव में 9 तथा 18 जुलाई 1968 के बीच दाखिल हुए।

(ग) समस्त क्षेत्र में वर्तमान टिड्डी दलों को मोड़ने के लिये संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से खाद्य तथा कृषि संगठन ने 2,85,000 डालरों के खर्च पर एक विशेष कार्यक्रम चलाया है।

(घ) टिड्डी चेतावनी तथा नियंत्रण संगठन जिसका मुख्य कार्यालय जोधपुर में है, राजस्थान, गुजरात तथा हरियाना के मरु क्षेत्रों में टिड्डियों के सर्वेक्षण तथा नियंत्रण सम्बन्धी एक नियमित कार्यक्रम चल रहा है । विभिन्न सामरिक महत्व के स्थानों पर स्थित 34 टिड्डी-सीमा स्थान हैं। इस संगठन के पास 15,000 टोन्ज कीटनाशक औषधियां, 10,000 उपकरणों के भाग, 150 गाड़ियां और 54 वायरलैस सैट हैं। हवाई सर्वेक्षण तथा नियंत्रण के लिए भी प्रबन्ध किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त मरु-स्थल का टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए खाद्य तथा कृषि आयोग के सदस्य के रूप में भारत सरकार आयोग द्वारा शुरु किए गए टिड्डी नियंत्रण कार्यों में भाग लेता है।

संसद्-कार्य विभाग

2136. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक संसद् के कार्य का सम्बन्ध है उनके विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करने के बारे में क्या कार्य किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रालय संसद् कार्य विभाग को पर्याप्त सहयोग नहीं दे रहे हैं; और

(ग) विभाग के कार्य में सुधार किये जाने के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने संसद् कार्य विभाग के लिए निम्नलिखित कार्य नियत किए हैं :—

(1) संसद् के दोनों सदनों के बुलाने और मंत्रावसान करने की तिथियां, लोक-सभा का विघटन; संसद् में राष्ट्रपति का अभिभाषण ।

(2) दोनों सदनों में विधि सम्बन्धी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन और समन्वय ।

(3) सदस्यों द्वारा सूचित किये गये प्रस्तावों पर संसद् में चर्चा के लिए सरकारी समय का नियतन ।

(4) दलों के नेताओं, और उप-मुख्य सचेतकों से सम्पर्क ।

(5) विधेयकों सम्बन्धी प्रवर और संयुक्त समितियों की सदस्यता के लिए सदस्यों की सूचियां ।

(6) सरकार द्वारा गठित समितियों और निकायों पर संसत्सदस्यों की नियुक्ति ।

(7) विभिन्न मंत्रालयों की संसत्सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समितियों का अभिकरण ।

(8) मंत्रियों द्वारा संसद् में दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति ।

(9) गैर सरकारी सदस्यों, विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख ।

(10) मंत्रिमंडल की संसद्-कार्य सम्बन्धी समिति को सचिवालय सम्बन्धी सहायता ।

(11) संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम ।

(12) संसद् अधिकारियों के वेतन और भत्ता अधिनियम ।

(13) प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह ।

(14) संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का समन्वय ।

(15) देखने योग्य स्थानों के सरकार द्वारा आयोजित संसत्सदस्यों के दौरे ।

(16) संसत्सदस्यों के स्वतत्वों, विशेषाधिकारों और सुविधाओं सम्बन्धी, मामले ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है ।

चावल तथा खरीफ फसल के खाद्यान्नों की वसूली

2137. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल तथा खरीफ की फसल के अन्य खाद्यान्नों की वसूली में बहुत कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार वसूली में कमी के होते हुए भी राज्यों की चावल की मांग को पूरा कर सकेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्यों की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए क्या क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खरीफ की अधिप्राप्ति का सीज़न अभी समाप्त नहीं हुआ है । तथापि, यह आशा है कि सितम्बर, 1967 में कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि में पर्याप्त अन्तर होगा । इसके कारण ये हैं :—

(1) सितम्बर और दिसम्बर, 1967 के बीच मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां जिससे विशेषतया उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों में फसलों को क्षति पहुंची थी ।

(2) कुछ राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता ।

(3) लगातार दो फसलें खराब हो जाने से चालू अच्छी फसल के पर्याप्त भाग का उत्पादक स्तर पर भण्डार तैयार करने के लिये उपयोग ।

(4) मोटे अनाजों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्धों में ढील जिससे कमी वाले राज्यों में बाजार उपलब्धि में सहायता मिली लेकिन इन से सरकारी अधिप्राप्ति घट गयी ।

(ख) और (ग). सभी राज्यों की चावल सम्बन्धी मांग पूरी करना कभी भी सम्भव नहीं हुआ है और न ही चालू वर्ष में ऐसा करना सम्भव होगा । केन्द्रीय पूल से चावल की सप्लाई जैसा कि अतीत में किया जाता रहा है, केन्द्र के पास चावल की उपलब्धि और कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं के आधार पर की जाएगी । राज्यों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिये चावल के साथ गेहूं और मोटे अनाजों की उपयुक्त मात्राएं भी सप्लाई की जायेंगी ।

उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा बलिया जिले में नल-कूप

2138. **श्री विश्वनाथ पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा बलिया जिलों में तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार द्वारा कितने नलकूप खुदवाये गये ;

(ख) ऐसे नलकूपों पर कितना कुल व्यय हुआ ;

(ग) क्या इन जिलों में चौथी पंचवर्षीय योजना में नलकूप खोदने के लिये कोई उपबन्ध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर पूर्व रेलवे के तमुरिया स्टेशन पर अनाज का खराब होना

2139. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के तमूरिया रेलवे स्टेशन पर आया हुआ, 14 वैगनों मे भरा गेहूं खराब पाया गया क्योंकि डिब्बे खुले हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उसे किस अधिकारी अथवा व्यक्ति ने बुक किया था और वह किस स्टेशन से बुक किया गया था ;

(ग) क्या अनाज के ऐसी लापरवाही से खराब होने के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (घ). बिहार राज्य सरकार को तमूरिया रेलवे स्टेशन पर न्यू काण्डला से बुक

की गयी 12 खुली वैगनों में भरी लगभग 2,260 आयातित गेहूं के बोरियां प्राप्त हुई थीं। रास्ते में तिरपालों के हट जाने या फट जाने के कारण वर्षा से गेहूं क्षतिग्रस्त हो गया था। गेहूं की सफाई का कार्य तुरन्त शुरू किया गया था। बिहार सरकार और रेल मंत्रालय के अधिकारी इस बात का मिल कर अन्दाजा लगा रहे हैं कि गेहूं किस हद तक क्षतिग्रस्त हुआ है ।

पूना को जाने वाले गेहूं की क्षति

2140. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में हाल ही में जब गेहूं के बोरे उतारे गये तो उन में से पंजाब के गेहूं से भरे हुए कई बोरे वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो इस खेप में वस्तुतः कितनी मात्रा में खाद्यान्न भेजे गये थे ;

(ग) समुचित देखभाल न किये जाने के क्या कारण थे, जिससे यह गेहूं, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी, बर्बाद हो गया ; और

(घ) क्या इस समूचे मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). 23 जून और 20 जुलाई, 1968 की अवधि में पंजाब की गेहूं के 4,730 बोरे तिरपालों से ढकी खुली वैगनों में पूना में प्राप्त हुए। रास्ते में तिरपालों के अपने स्थान से हट जाने फट जाने से गेहूं के बोरे वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गये थे। खाद्यान्नों की कितनी मात्रा क्षतिग्रस्त हुई है, इस बारे में केवल तभी कुछ जानकारी प्राप्त होगी जब गेहूं की सप्लाई का कार्य जो अभी जारी है, पूरा हो जाता है। महराष्ट्र राज्य सरकार इस क्षतिग्रस्त गेहूं के बारे में रेल मंत्रालय के पास एक दावा दायर करेगी जो मामले की जांच करने के बाद प्रत्येक दावे के दोष-गुण के अनुसार निर्णय लेता है ।

खाद्य उत्पादन

2141. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम अनुमान के अनुसार वर्ष 1967-68 में देश में अनाज का उत्पादन 10 करोड़ टन हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें (1) गेहूं, (2) चावल तथा (3) अन्य अनाजों की मात्रा कितनी-कितनी होगी ; और

(ग) क्या इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1970-71 तक प्राप्त होने वाले लक्ष्य में संशोधन किया गया है तथा उसे बढ़ा दिया गया है ; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संशोधित लक्ष्य क्या रखा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के अनुसार सन 1967-68 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 95·6 मिलियन टोन्ज होता है ।

(ख) अलग-अलग अनाजों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	1967-68 (मिलियन टोन्ज)
गेहूं	16.6
चावल	37.9
अन्य खाद्यान्न (जिसमें दालें शामिल हैं)	41.1
कुल खाद्यान्न	95.6

(ग) सन् 1970-71 तक खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य अपरिवर्तित है और 1200 लाख मीट्रिक टन है ।

भूमि विकास बैंक

2142. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे किसानों द्वारा आधुनिक कृषि के तरीके प्रयोग करने के उद्देश्य से भूमि विकास बैंकों ने हाल ही में अपनी ऋण प्रक्रियाओं में नवीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण प्रक्रियाओं में क्या संशोधन किए गए हैं और वर्तमान पुनरीक्षित प्रक्रिया क्या है ;

(ग) इस नवीकरण के परिणामस्वरूप छोटे किसानों को क्या मुख्य लाभ होंगे ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि देश के पिछड़े भागों में ऐसे ऋण उपलब्ध हों, क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य में कितने बैंक खोले गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग). अखिल भारतीय सहकारी भूमि विकास बैंक संघ की स्थायी समिति ने 8 और 9 अप्रैल, 1968 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि ऋण "प्रतिभूति अभिमुख होने की अपेक्षा वापसी-अदायगी अभिमुख" होना चाहिए । इस सिफारिश के आधार पर अनेक भूमि विकास बैंक उत्पादी प्रयोजनों के लिए छोटे किसानों को अधिक धनराशि सुलभ करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये अपनी प्रक्रियाओं में संशोधन कर रहे हैं ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें स्थिति दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-1551/68] । भूमि बन्धक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी कर्मगार

2144. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी कर्मगारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वर्तमान परिवर्तनशील कारणों के आधार पर महंगाई भत्ता निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपने दावे पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). संशोधित योजक कारक के आधार पर मंहगाई भत्ते की अदायगी का मामला नियोजकों और श्रमिकों के बीच तय किया जाना है ।

गोहत्या विरोधी आन्दोलन

2145. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति का विचार पुनः गोहत्या विरोधी आन्दोलन को आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति से सरकमर को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

सीधा टेलीफोन सम्पर्क

2146. **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में अब तक कितने नगरों के लिये राजधानी के साथ ग्राहकों द्वारा डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन सम्पर्क की व्यवस्था की गई ;

(ख) 31 मार्च, 1970 तक कितने नगरों के लिये दिल्ली के साथ सीधे टेलीफोन सम्पर्क की व्यवस्था की जायेगी ।

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इन्द्र कुमार गजराल) : (क) 1967-68 के दौरान तीन और 1968-69 के दौरान कोई नहीं । इस सुविधा की व्यवस्था परियात की आवश्यकताओं के आधार पर और जब सहधुरीय केबिल या सूक्ष्मतरंग प्रणालियों के द्वारा ऊंचे दर्जे के परिपथों के बड़े ब्लाक उपलब्ध हों तभी की जाती है ।

(ख) चौदह ।

मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

2147. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री अंबुचेजियान :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि भत्ते ही मजूरी बोर्डों को किसी संविधि के अन्तर्गत नियुक्त किया जाये तथापि सरकार द्वारा अन्तिम रूप में स्वीकार की गई उनकी सिफारिशें दोनों पक्षों पर संविधिक रूप से लागू होनी चाहिएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है । राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित मजूरी बोर्ड पद्धति कृत्यकारिणी समिति की रिपोर्ट में इस प्रकार का एक सुझाव आयोग को भेजा गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मोकामेह में अनाज का खराब होना

2148. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 के उत्तरार्ध में मोकामेह केन्द्रीय अन्न गोदाम के साइडिंग पर खुले मालडिब्बों में पंजाब के गेहूं की 2000 से भी अधिक बोरियां उतारे बिना पड़ी रहीं ;

(ख) क्या वह गेहूं बड़ी मात्रा में खराब हो गया था अथवा उसे कीडा लग गया था ; और

(ग) समय पर माल न छुड़ाने के कारण कितना विलम्ब शुल्क दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सच है कि जून के महीने में भारतीय खाद्य निगम के मोकामेह डिपो में खाद्यान्नों का भारी संचलन और मजदूरों की कमी होने के कारण कुछ वैगनों से माल उतारने में देरी हुई थी ।

(ख) जी नहीं।

(ग) इन प्रेषणों के बारे में रेलवे द्वारा अब तक कोई विलम्ब शुल्क नहीं मांगा गया है और न ही निगम ने कोई विलम्ब शुल्क दिया है।

टेलीफोन ग्राहकों द्वारा टेलीफोन की खरीद

2149. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टेलीफोन ग्राहकों को यह आश्वासन दिया था कि 2500 रुपये देने पर टेलीफोन उनका हो सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने टेलीफोन ग्राहकों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें 10 वर्ष उसके लगभग अवधि के लिए कोई किराया नहीं देना होगा ;

(ग) क्या सरकार अपने आश्वासन से पीछे हट गई है और आश्वासन दिये गये 10 वर्षों के बीतने से पहले ही उसने किराया लेना आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गजराल) : (क) जी नहीं। 'अपना टेलीफोन योजना' नाम की एक योजना 1949 में लागू की गई थी जिसके द्वारा एक उपभोक्ता सरकार से टेलीफोन किराये लेने की सामान्य योजना से अलग कुछ विशेष शर्तों पर इसे किराये पर रख सकता था। इस योजना के अनुसार कोई उपभोक्ता कलकत्ता और बम्बई जैसे स्थानों पर 2500 रुपये और कुछ अन्य स्थानों पर 2000 रुपय आरम्भ में एक मुश्त जमा कराने पर 20 वर्षों की अवधि के लिए टेलीफोन को प्रयोग में लाने का हकदार हो जाता है। किन्तु कानपुर के मामले में प्रारम्भ में जमा की जाने वाली एकमुश्त रकम 1000 रुपये निश्चित की गई थी जिसके द्वारा कोई उपभोक्ता दस वर्षों की अवधि के लिए टेलीफोन का प्रयोग कर सकता है।

(ख) जी नहीं। उपभोक्ताओं को स्थानीय कालों और अनुरक्षण के लिए कुछ प्रभार की अदायगी करनी पड़ती थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा से मक्का का निर्यात

2150. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हरियाणा से मक्का के निर्यात पर से पाबन्दी के हटाये जाने के बाद हरियाणा के व्यापारियों ने विभिन्न राज्यों को भेजने के लिये मक्का की बहुत बड़ी मात्रा बुक की थी ;

1806(Ai)LSD—10.

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को कितनी मक्का का निर्यात किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि हरियाणा में बहुत सी मक्का खराब हो गई क्योंकि भारतीय खाद्य निगम मक्का को रखने के लिये उचित प्रबन्ध नहीं कर सका ;

(घ) यदि हां, तो कितने मूल्य की मक्का खराब हो गई और गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकी ; और

(ङ) राज्यों को कितनी मक्का पहुंची तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) हरियाणा से मक्का पर से 28-3-1968 से प्रतिबन्ध हटा लिये गये थे। 20-7-1968 तक हरियाणा से पश्चिमी बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के गन्तव्य स्थानों को व्यापारिक खाते में क्रमश: 943 मीटरी टन, 69 मीटरी टन और 23 मीटरी टन मक्का बुक की गयी थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम का गैर-सरकारी खाते में संचलन करने का कोई मतलब नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में होटलों में रात्रि का भोजन

2151. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में होटलों में रात्रि भोजन में "हाट डाग" तथा "हम्बर्गर" दिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें गोमांस होता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनमें कौनसा मांस होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनमें से कुछ "हम्बर्गर" देते हैं, जिसमें गोमांस होता है।

(ग) जहां तक "हम्बर्गरस" का सम्बन्ध है प्रश्न ही नहीं होता। उनके "हाट डेग" में पोर्क सासेज विद्यमान होता है।

बिहार में मध्यावधि निर्वाचन

2152. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधान-सभा के मध्यावधि मतदान के लिये पूरा इन्तजाम कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य में के सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त शीघ्र ही पटना जाएंगे और सभी हितबद्ध दलों के परामर्श से निर्वाचन के लिए अस्थायी कार्यक्रम तैयार करेंगे।

सड़कों और रेलों द्वारा उर्वरकों की ढुलाई

2153. श्री को० सूर्यनारायण : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 तक पिछले दो वर्षों में विभिन्न देशों से कितने मीटरिक टन उर्वरकों का आयात किया गया और विभिन्न पत्तनों से रेलों द्वारा और सड़क के रास्ते कितने-कितने मीटरी टन उर्वरक राज्यों में उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा गया ; और

(ख) रेलों तथा सड़क परिवहन निकायों को प्रति 100 मीटरिक टन उर्वरकों की ढुलाई के लिए कितनी-कितनी राशि (औसत दर में) दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

आंकड़े मीटरी टनों में

(क)	वर्ष 1966-67	वर्ष 1967-68
1. उर्वरकों का कुल आयात †	23,83,415	32,00,929
2. रेलों द्वारा ले जाई गई मात्रा	17,63,118	19,22,975
3. सड़क के रास्ते ले जाई गई मात्रा	4,20,244	7,49,042

†नोट : (1) इसमें वर्ष के 31 मार्च को डिसचार्ज होने वाले जहाजों में टनेज शामिल है।

(2) आयातित मात्रा में और भेजी गई मात्रा में अन्तर होने का कारण है (1) जहाजों में टनेज (2) गोदामों में स्टाक (3) कोस्टल स्टीमरों आदि द्वारा ले जाए गए स्टाक।

(ख) रेल द्वारा तथा सड़क के रास्ते उर्वरकों के लाने लेजाने की औसतन दरें निम्न प्रकार हैं :—

	प्रति 100 टन कि० एम०
रेल द्वारा . . .	5.00 रुपये
सड़क द्वारा	16.00 रु० से 20 रु०

सड़क के रास्ते उर्वरकों को ले जाने का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो परिवहन एजेन्सियों के साथ दर निश्चित करती है। ये दरें एक समान नहीं हैं।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में परिवर्तन

2154. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संघ के 15 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में अर्थात् संघ राज्य क्षेत्रों और नागालैंड तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को अपवर्जित करके भारत संघ में 15 राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मनमाने परिवर्तन के क्या कारण हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजतियों के लिए आरक्षित स्थानों की दशा में निर्वाचकों की संख्या माध्यस्तर पर, ऊपर भाग (क) में निर्दिष्ट सामान्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों की संख्या से अधिक क्यों है ; और

(ग) भारतीय मतदाताओं में से हरएक के मत को यथासंभव निकटत: समान बनाने तथा वर्तमान संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान परिसीमन द्वारा हुए राजनीतिक अधिप्रतिनिधित्व में अन्तर के निराकरण के लिए सरकार द्वारा किए जाने के लिए प्रस्थापित उपाय क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद यूनुस सलीम) : (क) संविधान के अनुच्छेद 81 (2) (क) को दृष्टि में रखते हुए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में मनमाने परिवर्तन की कोई गुंजायश ही नहीं है और भारत के 15 राज्यों में (जम्मू-कश्मीर राज्य और नागालैंड तथा संघ राज्यक्षेत्रों का अपवर्जन करते हुए) वस्तुत: कोई मनमाना परिवर्तन किया भी नहीं गया है। हर एक राज्य को लोक सभा में आवंटित स्थानों और उस राज्य की जनसंख्या के बीच अनुपात सभी 15 राज्यों के लिए एक ही है अर्थात् 8,72,924 यह अनुपात परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अधीन नियुक्त परिसीमन आयोग द्वारा उसके आदेश सं० 1 तारीख 20 मार्च, 1963 से अवधारित किया गया था। निस्सन्देह राज्यों के अन्दर इस अनुपात में मामूली परिवर्तन हुआ है किन्तु ऐसा मामूली परिवर्तन अनेक कारणों से अपरिवर्जनीय था। प्रथमत: परिसीमन आयोग अधिनियम की धारा 8 का परन्तुक यह अपेक्षा करता है कि किसी राज्य की विधान सभा के स्थानों की संख्या लोक सभा में उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का पूर्ण सांख्यिक गुणज होगी। उत्तर प्रदेश राज्य में यह पूर्ण सांख्यिक गुणज, संविधान के अनुच्छेद 170 (1) द्वारा राज्य विधान सभा की सदस्य संख्या पर लगाई गई अधिकतम सीमा के कारण 5 से अधिक नहीं हो सकता था। यदि यह गुणज अन्य सभी राज्यों के लिए अपना लिया जाता तो इन राज्यों

की विधान सभाओं के सदस्यों की कुल संख्या को काफी घटाना पड़ता। अतः परिसीमन आयोग के सामने विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न पूर्ण सांख्यिक गुणज अपनाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था जिससे कि उनकी विधान सभाओं की सदस्य संख्या उससे पूर्व की सभाओं की सदस्य संख्या से बहुत कम न हो जाए, यद्यपि अधिकांश राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि हो चुकी थी। यही कारण है कि विद्यमान गुण उत्तर प्रदेश में 5 से लेकर आसाम और हरियाणा में 9 तक है। अनुच्छेद 81(2) (क) के अनुसार अवधारित अनुपात से थोड़े परिवर्तन का अन्य कारण यह है कि गैरीमेन्डरी से बचने और मतदाताओं तथा सभा और संसदीय दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में सम्पृक्त अन्यों की सुविधा सुनिश्चित करने की दृष्टि से भौतिक लक्षणों, भौगोलिक संरेखणों, संचार सुविधा, लोक सुविधा और प्रशासनिक इकाइयों को ध्यान में रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त, सभी संपृक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए अधिनियम द्वारा ही यह उपबन्धित किया गया था कि हर एक सभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा जिससे वह पूर्णतः एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हो जाए। इन सभी कारणों और बातों के होते हुए भी अनुच्छेद 81(2) के अधीन अवधारित अनुपात से परिवर्तन किसी भी ओर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ख) आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की दशा में निर्वाचक सामान्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों से सारतः अधिक नहीं हो सकते।

(ग) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हर एक भारतीय मतदाता का मत सभी 15 राज्यों में यथासंभव निवटतः समान है और राजनीतिक अधिप्रतिनिधित्व में कोई अन्तर नहीं है। अतः ऐसे किसी अधिप्रतिनिधित्व के निराकरण के लिए कोई उपाय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कीड़ों के कारण फसलों की हानि

2155. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीड़ों के कारण वर्तमान फसलों और अधिक उपज देने वाली भावी फसलों को होने वाली हानि के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा किये जाने वाले अध्ययन की, जिसका उद्घाटन श्री बी० पी० पाल ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में 21 मई 1968 को अथवा उसके आसपास किसी अन्य तारीख को किया था, उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं;

(ख) बढ़ते हुए इस खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस समय देश में प्रतिवर्ष कीड़ों मकोड़ों से कितने मूल्य की फसलें नष्ट की जाती हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : कृषि की गहनता के साथ ही साथ जिसमें अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों के प्रयोग और नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों के काफी अधिक प्रयोग भी सन्निहित हैं, अनेक रोगों तथा कीटाणुओं, जिनका कि आमतौर पर सीमित महत्व है, के विनाशकारी अनुपात बढ़ गये हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं :—

फसल	रोग	कीटाणु
चावल . .	बैक्टेरियल ब्लाइट	स्टैमबोरर
	टुनगोन (विरस)	गाल मिज
गेहूं .	लूज स्मट	एफिड्स
	लीफ ब्लाइट्स	कट वार्म्स
बाजरा .	इरगोट	—
ज्वार .	शूगरी डिज़ीज	स्टैम बोरर
मक्का	डाउनी मिलड्यू	स्टैम बोरर

नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों के बड़ी मात्रा में प्रयोग से काफी अच्छी फसल प्राप्त हुई परन्तु इसके साथ ही साथ रोग में बढ़ोत्तरी और कीटाणुओं की समस्यायें भी पूर्णतः विद्यमान थीं। इस बारे में वैज्ञानिक काफी सतर्क रहे। समय पर रोगों की जांच की गई और उन से छुटकारा पाने के लिये उपाय खोजे गये।

(ख) विनाशकारी रोगों और कीटाणुओं से बचाव करने के उपायों के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की सिफारिशों के विषय में विस्तार कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया और उन्हें फील्ड स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) देश भर में रोगों तथा कीटाणुओं से फसलों को होने वाली हानि का अनुमान लगाना एक कठिन समस्या है। भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि तथा जलवायु वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। रोगों तथा कीटाणुओं से फसल को होने वाली हानि भी कई प्रकार की हैं तथा वे समस्त वर्षों व समस्त क्षेत्रों में एक सी नहीं रहती। देश भर में रोगों और कीटाणुओं से फसलों को होने वाली कुल हानि औसतन लगभग 15-20 प्रतिशत आंकी गई है।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य

2156. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पश्चिम बौरिया पुनर्वास योजना संख्या एक और दो का निर्माण तथा विकास कार्य योजना अनुसार अभी तक पूरा

नहीं हुआ है और कि सड़कें, नालियां, नलकूप खोदने, पार्कों तथा प्राइमरी स्कूल आदि बनाने का काम अपूर्ण है अथवा उसको अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है जबकि इसके लिये 1951 में ही बजट में व्यवस्था कर दी गई थी;

(ख) इस समय वहां पर रहने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) वहां पर कितने शरणार्थियों को भूमि दी गई थी और अब तक कितने शरणार्थी यहां से चले गये हैं; और

(घ) योजना अनुसार निर्माण कार्य को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ख) बौरिया योजना संख्या एक में 146 परिवार (20 अनधिवासी परिवारों को मिला कर) और बौरिया योजना संख्या दो में 144 परिवार (17 अनधिवासी परिवारों को मिला कर)।

(ग) 146 परिवारों को बौरिया योजना संख्या एक में और 144 परिवारों को बौरिया योजना संख्या दो में प्लाट अलाट किये गये थे। उनमें से क्रमश: 20 और 17 परिवार छोड़ कर चले गये हैं।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

Increase of cost of Money Order Form

†2157. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have increased the cost of money order form also; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). The cost of the Money Order form has not been increased. Prior to 1st July, 1968 an advance commission of 3 Paise was being recovered at the time of supply of each Money Order form. This commission was lated adjusted when the money order was booked. From 1st July, 1968 this advance commission has been raised to 5 Paise and this is also adjusted against the commission at the time of booking the money order. This change was effected with a view to avoiding public inconvenience in the matter of small change and to expedite the work at the public counters. The public are not required to pay anything extra over the Money Order commission.

आयातित खाद्यान्नों और उर्वरकों पर विलम्ब शुल्क

2158. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1967-68 तथा अप्रैल से जून, 1968 में खाद्यान्न और उर्वरक आयात करने पर जहाज मालिकों को कुल कितना विलम्ब शुल्क दिया; और

(ख) इतना अधिक विलम्ब शुल्क दिये जाने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) 1967-68 और अप्रैल से जून, 1968 तक की अवधि में खाद्यान्नों और उर्वरकों के लिये विलम्ब शुल्क के रूप में वास्तव में दी गयी कुल धन राशि क्रमशः 49·54 लाख रुपये और 42·80 लाख रुपये थीं ।

(ख) घाट हेतु जहाजों की अधिक प्रतीक्षा करने का मुख्य कारण बन्दरगाहों पर भारी आमद का होना था । 1966-67 को छोड़ कर 1967-68 में खाद्यान्नों का आयात पिछले वर्षों के किसी भी वर्ष से अपेक्षाकृत अधिक हुआ था और उर्वरक के आयात का रिकार्ड सबसे अधिक था ।

Decision of Strike by P. & T. Employees in Jaipur

†2159. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Class III and Class IV employees of Post and Telegraph Department held a meeting in Jaipur during the Third week of June, 1968 and put forward certain demands and decided to go on strike if their demands were not fulfilled;

(b) if so, the demands made by them; and

(c) the action taken by Government to meet their demands and to avert the strike?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Government has no information on the subject.

(b) and (c). The question does not arise.

मनीपुर से आसाम को पशुओं का ले जाया जाना

2160. **श्री एम० मेघ चन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर से राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 से होकर आसाम और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिदिन पशु ले जाये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या मनीपुर सरकार बिना किसी प्रतिबन्ध के पशुओं को बिक्री के लिये तथा निर्यात के लिये ले जाने की अनुमति दे देती है;

(ग) क्या पशुओं को इस प्रकार बड़ी मात्रा में ले जाये जाने से इस देश की कृषि की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी गई जानकारी मनीपुर प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Publication of Telephone Directory in Hindi

†2161. **Shri Bharat Singh Chauhan**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the progress made so far in publishing the Telephone Directories in Hindi in Delhi and other speaking States; and

(b) whether Government are in a position to give an assurance to publish the Directory within some definite period?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The progress so far made in publishing telephone directories in Hindi in Delhi and other Hindi speaking States has been as under:

1. **U.P. State.**—Two issues of Hindi directory namely December, 1966 and April, 1968 for U.P. Circle have already been brought out.

2. **Bihar State.**—The first issue namely November, 1967 for Bihar Circle has already been brought out.

3. **Rajasthan and Madhya Pradesh States.**—Directories are under print now and are expected to be brought out by August, 1968 by the Rajasthan and Madhya Pradesh Circles respectively.

4. **Delhi State.**—The directory is under print and will be brough out by Delhi Telephone District by September, 1968.

5. **Haryana State.**—The Punjab Circle has been directed to bring out a Hindi telephone directory for Haryana State and Chandigarh as early as possible. At present, work relating to Translation is in progress and tenders are being called to appoint suitable printers.

(b) Printing of Hindi directory will be a continuous process and it will be seen from above that except for Haryana State, in other Hindi speaking States Hindi directories either have been brought out or are expected to be brought out, at the dates mentioned above. Regarding Haryana, no precise date is possible to be given at this stage.

कालकाजी कालोनी, दिल्ली में प्लाट

2162. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी में प्लाट पाने वालों से सरकार ने कहा है कि प्रीमियम की दूसरी किश्त तथा 3 प्रतिशत भूमि का किराया जमा करायें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्लाट पाने वालों को प्लाटों का कब्जा दिये बिना नियमों के अन्तर्गत उनसे भूमि किराया नहीं लिया जा सकता ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्लाट पाने वालों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रीमियम की दूसरी किश्त को तदनुसार पुनरीक्षण करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि का किराया प्रतिवर्ष अप्रैल में पेशगी वसूल किया जाता है ; जिस तिथि से अलाटी को प्लाट का कब्जा लेने के लिये कहा जाता है उस तिथि से वसूल की गई राशि समंजनीय होती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अलाटियों ने पहले ही आदेश प्रीमियम का 20 प्रतिशत जमा करा दिया है । उन्होंने बकाया की अदायगी पांच किश्तों में करनी थी । सरकार ने सहर्ष इस राशि को पांच किश्तों की बजाय सात किश्तों में अदा करने की आज्ञा दी दे है । सरकार ने यह भी निश्चिय किया है कि उन्हें पूरे वर्ष का भूमि का किराया जमा कराने के स्थान में आधे वर्ष का किराया जमा कराने के लिये कहा जाये । प्रीमियम तथा भूमि के किराये की घटाई गई देय राशि के संबंध में अलाटीयों को शीघ्र ही नये सिरे से पत्र लिख दिये जायेंगे ।

Procurement of Foodgrains

2163. Shri Sharda Nand: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the procurement of foodgrains was recently postponed in Uttar Pradesh markets despite its being available; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anan aheb P. Shinde): (a) and (b). The Food Corporation of India is continuing purchases although the State Government has temporarily suspended procurement operations in view of the onset of the rainy season.

Post Offices in the Country

†2164. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of post offices in the country at present; and

(b) the total number proposed to be opened by Government during the next three months?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 1,00,029.

(b) 600 (Approx.).

Telephones in the Country

†2165. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of telephones in the country at present; and

(b) the target for the expansion of telephone facility during the next ten years?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The total number of telephones in the country as on 31-3-1968 was 10.18 lakhs.

(b) During 1968-69 itself it is proposed to add 1.33 lakh telephones throughout the country. The Fourth Five Year Plan (1969—74) for expansion of telephone facilities is under finalisation and it is tentatively proposed to add 15 lakh telephones during 1969—74, provided adequate resources are available. The exact details for the next five years (1974—79) programme are likely to be finalised towards the end of Fourth Plan period.

Automatic Telephone Exchanges

†2166. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of automatic exchanges in the country and the names of cities where such facility has been made available; and

(b) the names of cities where such exchanges would be installed during the second phase of this scheme?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The number of automatic exchanges in the country as on 31-3-1968 was 1984. A list of the names of the cities where the automatic exchanges are located is laid on the Table [Placed in Libary. *See* No. LT-1552/68].

(b) In the next three years we hope to instal automatic exchanges in over 600 stations througout the country. Of these a list of 102 towns where automatic exchanges of 100 lines and above are likely to be installed is given in Annexure II [Placed in Library. *See* No. LT-1552/68]. The balance will be small automatic exchanges of less than 100 lines capacity and these will be installed based on demands.

Memorial Post Cards in the Memory of Mahatma Gandhi and other Leaders

†2167. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether any proposal is under consideration of Government to issue memorial post cards depicting Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose; and

(b) if so, the date when such post cards would be issued?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujaral): (a) and (b) A proposal to issue memorial postcards depicting Mahatma Gandhi on the occasion of his birth centenary on 2nd October, 1969, is under consideration. There is no proposal at present to issue such postcards in respect of Pt. Nehru or Subhas Chandra Bose.

Teleprinters required by States

†2168. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) the number of Teleprinters required by each State from the Central Government in 1968-69 and the number of Hindi teleprinters demanded out of them; and

(b) the action being taken by Government to meet their demands?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No. of firm demands for teleprinter circuits received during 1968-69 by State Governments is as follows:

(i) Kerala Government—8

(ii) Maharashtra Government—1.

Maharashtra Government demanded 2 Hindi Teleprinter Machines.

(b) Teleprinter circuits alongwith T/P machines have since been allotted.

राष्ट्रीय युवक आयोग

2169. श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री न० कु० सोंधी :
श्री प० गोपालन : श्री वेदव्रत वरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक राष्ट्रीय युवक आयोग स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के उद्देश्य क्या होंगे ;

(ग) क्या यह आयोग मुख्यतया एक केन्द्रीय संस्था के रूप में अथवा राज्य सरकारों के साथ सहयोग से कार्य करेगा ; और

(घ) इस आयोग के खर्च के लिये वित्त कैसे जुटाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी हां, राष्ट्रीय युवक आयोग स्थापित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

(ख), (ग) व (घ), अन्तिम निर्णय अभी लेने रहते हैं और योजना का ब्यौरा, जैसे आयोग के उद्देश्य, उसके कार्य तथा वित्त, अभी तैयार करना रहता है ।

आय-कर अधिकरण

2170. **श्री वेदव्रत वरुआ** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर की अपीलों के मामलों के निपटारे के लिये और अधिकरण स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने मामले अविनिश्चित पड़े हैं ;

(ग) कितने और अधिकरण स्थापित करने की प्रस्थापना है ; और

(घ) इस बारे में कब तक अन्तिम रूप से विनिश्चय किये जाने की सम्भावना है ?

विधि उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) पहली जून, 1968 को आय-कर अपीली अधिकरण के सामने लम्बित मामलों की संख्या 57,757 थी ।

(ग) चार ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य

2171. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता के पश्चात् वनरोपन, वन संरक्षण और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत त्रिपुरा में कई भूमियां तथा अन्य आदिम जातियों के बहुत से व्यक्तियों को समय समय पर विस्थापित तथा भूमिहीन बनाया जाता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1947 से अब तक इस प्रकार आदिम जाति के कितने व्यक्तियों का विस्थापित किया गया है ;

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके अन्तर्गत उनका पुनर्वास किया गया है ; और

(घ) उनमें से कितने अब भी विस्थापित तथा भूमिहीन हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० आर० चव्हान) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता

2172. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता के बारे में हाल में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) अखिल भारतीय आंकड़ों को तुलना में त्रिपुरा में ग्रामीण ऋणग्रस्त लोगों की प्रतिशतता कितनी कम या अधिक है ;

(ग) त्रिपुरा में इस समय ग्रामीण ऋण के लिये बैंक की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस समय क्या प्रबंध किये गये हैं और बैंक से ऋण की सुविधायें कितने प्रतिशत लोगों को उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) त्रिपुरा में समस्त ग्रामीण जनता को बैंक की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) 30-6-66 को त्रिपुरा में त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक के चार कार्यालयों के अतिरिक्त 387 कृषि और 7 गैर कृषि प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां थीं। 1966-67 में प्राथमिक कृषि

सहकारी ऋण समितियों की संख्या में 20 की वृद्धि । एक भूमि बंधक बैंक भी वहां पर है। इनके अतिरिक्त युनाइटेड कोमर्शियल बैंक यूनाईटेड बैंक ग्राफ इंडिया की शाखायें भी अगरतला में कार्य कर रही हैं। स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया की शाखा भी धर्म नगर में कार्य कर रही है । वर्तमान में ये बैंक त्रिपुरा में बैंकिंग सुविधायें प्रदान कर रहे हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों ने 76 लाख रुपये के अल्पकालीन और मध्यावधि ऋण प्रदान किये थे । 1966-67 में 24.30 लाख रुपये की राशि तक के अल्पकालीन और मध्यावधि ऋण प्रदान किये गये थे। 1967-68 में प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों का लक्ष्य 40लाख रुपयों के अल्पकालीन और मध्यावधि ऋणों का था । सहकारी समितियों द्वारा तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक दिये गये दीर्घावधि के अन्तर्गत 15.15 लाख रुपया बाकी था। 1966-67 में सहकारी समितियों द्वारा 2.63 लाख रुपये के दीर्घावधि ऋण प्रदान किये गये ।

1965-66 में 10.39 लाख की ग्रामीण जनसंख्या में से 3.10 लाख को सहकारी ऋण समितियां लाभ पहुंचा रही थीं । इस प्रकार सहकारी समितियों द्वारा लाभान्वित ग्रामीण जनता की प्रतिशतता 29.84 है । सहकारी समितियों को दृढ किया जा रहा है । राज्य सहकारी बैंक को सरकार की प्रत्याभूति पर रिजर्व बैंक द्वारा ऋण की सुविधा दी जाती है । राज्य कृषि सहकारी निगम स्थापना संबंधी संसद में पारित बिल के अनुसार केन्द्र प्रशासित त्रिपुरा में भी एक ऐसे निगम की स्थापना होगी । निगम स्थापना के बाद उन क्षेत्रों में कार्य करेगा जहां अभी तक सहकारी ऋण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है या जहां यह व्यवस्था दुर्लभ है ।

त्रिपुरा में सहकार आन्दोलन

2173. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में सहकार आन्दोलन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) त्रिपुरा में मानव-जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सहकार आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए त्रिपुरा में विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० गुरुपादस्वामी) : (क) दूसरी योजना के आरम्भ में त्रिपुरा में 150 सहकारी समितियां थीं, जिनके 9398 सदस्य और 4.34 लाख रुपए की अंश पूंजी थी । दूसरी योजना अवधि के अन्त में ये समितियां बढ़कर 570 हो गई, जिनके 66082 सदस्य और 26.97 लाख रुपए की अंश पूंजी थी । तीसरी योजना अवधि के अन्त में 659 समितियां थीं, जिनके 81369 सदस्य और 41.20 लाख रुपए की अंश पूंजी थी । 30 जून, 1967 को 673 समितियां जिनके 87661 सदस्य थे जो आबादी का 35 प्रतिशत भाग है ।

(ख) जैसा कि देश के शेष भागों में है, त्रिपुरा में सहकारी समितियों को अंश पूंजी प्रबंध उपदान, कार्यकर पूंजी आदि के रूप में स्वीकृत प्रतिरूप के आधार पर सहायता दी जाती है।

(ग) 1968-69 के लिए त्रिपुरा का वार्षिक कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

विवरण

त्रिपुरा में 1968-69 के लिए सहकारी विकास का वार्षिक कार्यक्रम

1. 50 चल सकने वाली/चल सकने की सम्भावना वाली अथवा प्राथमिक ऋण समितियों का गठन।

2. निम्न को (अंश पूंजी, ऋण प्रबन्ध उपदान आदि द्वारा) मजबूत बनाना :—

(1) शीर्ष सहकारी बैंक।

(2) भूमि बन्धक बैंक।

(3) प्राथमिक विपणन समितियां।

(4) केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार।

(5) बहु-विभागी भण्डार।

3. राज्य सहकारी संघ को प्रशिक्षण, सदस्य शिक्षा, विज्ञापन तथा प्रचार के लिए अनुदान

4. एक विपणन संघ की स्थापना।

5. उपभोक्ता भण्डारों की 10 शाखाओं का गठन।

6. 2 खेती समितियों का गठन।

7. 1 (जिला स्तरीय) श्रमिक सहकारी समिति का गठन।

8. 1 रिक्शा चालकों की समिति का गठन।

9. विपणन तथा ग्राम सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोज्य वस्तुओं के वितरण की योजना का विस्तार।

10. ऋण स्थिरीकरण निधि का निर्माण।

मंत्री का अगरतला का दौरा

2174. श्री किरित विक्रम देव वर्मन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह 12/13 जून, 1968 को अगरतला गये थे और यदि हां, तो उनके इस दौरे का प्रयोजन क्या था ;

(ख) क्या उनका ध्यान आर्थिक पिछड़ेपन, विशेषकर औद्योगिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी, आदिम जाति कल्याण, संचार साधनों के अभाव से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की ओर दिलाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा की किन-किन विशिष्ट समस्याओं की ओर उनका ध्यान दिलाया गया था और इस बारे में उन्होंने क्या कहा था ; और

(घ) क्या त्रिपुरा के विकास के लिये उनको मांगों के कोई ज्ञापन प्रस्तुत किये गये थे और यदि हां, तो किन संगठनों द्वारा और उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। उनके जाने का उद्देश्य उस क्षेत्र की संचार और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना था।

(ख) जी हां।

(ग) (i) त्रिपुरा को गेहूं भेजना (ii) रेल लाइन का निर्माण (iii) सुरक्षा पुलिस संबंधी व्यवस्था (iv) हवाई मार्ग चालू करना (v) टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलेक्स सुविधाएं आदि सहित अनेक समस्याएं उनके ध्यान में लाई गईं।

(घ) त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको त्रिपुरा के लिए रेल और हवाई परियात सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में एक पत्र दिया गया था। उस पत्र के उद्धरण संबंधित संघीय मंत्रियों को भेजे गए हैं।

इसके अतिरिक्त उनको निम्नलिखित ज्ञापन भी प्राप्त हुए थे ;

(i) दैनिक गण अभिजन, अगरतला से ज्ञापन क्रम संख्या एफ० एस० (डी० जी० एस०) 68–69/355 दिनांक 12–6–1968।

(ii) त्रिपुरा राज्य संचार समिति, अगरतला से ज्ञापन क्रम संख्या पी० टी० 68–69 दिनांक 12–6–1968।

(iii) अध्यक्ष, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अगरतला से ज्ञापन क्रम संख्या 2454/टी० पी० सी० सी०/68 दिनांक 12–6–68।

ये मुख्यत: त्रिपुरा राज्य में डाक तार सुविधाओं की आवश्यकता से संबंधित हैं और डाक-तार विभाग इनकी विस्तृत जांच कर रहा है।

Facilities for Stocking Foodgrains

2175. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are prepared to provide some facilities to the traders for stocking foodgrains in view of the shortage of godowns; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Such facilities are already available in the warehouses of the Central and State Warehousing Corporations and traders can also utilize them.

(b) Does not arise.

समुद्री जहाजों के डीजल इंजन

2176. **श्री प० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निर्मित समुद्री जहाजों के डीजल इंजन बहुत दोषपूर्ण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मछली पकड़ने की नौकाओं के स्वामी तथा चालक इन इंजनों की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें करते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मछली पकड़ने की नौकाओं को दिये जाने वाले इंजनों का स्तर सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) तथा (ख). देश में निर्मित समुद्री जहाजों के डीजल इंजन कई वर्षों से प्रयोग में लाये जा रहे हैं। हमारे तटों के पास मछली पकड़ने वाली लगभग 1500 नौकाओं में ऐसे इंजन लगे हुए हैं। कुछ नमूने संतोषजनक सिद्ध नहीं हुए तथा उनकी मांग नहीं है। दूसरे काफी मात्रा में उपयोग किये जा रहे हैं। देश में निर्मित इंजनों के बारे में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनको दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। देश में निर्मित समुद्री जहाजों के डीजल इंजन अधिक रूप से अधिक रफ्तार के इंजन थे जब कि मछली पकड़ने वालों में से कुछ कम रफ्तार के इंजनों को प्राथमिकता देते हैं। फिर भी देश में अब कम रफ्तार के इंजनों का निर्माण हो रहा है। दूसरे प्रकार की शिकायतों का सम्बन्ध विभिन्न मशीनरी त्रुटियों से है।

(ग) जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में टेक्नीकल विकास के महानिदेशक के द्वारा निर्माताओं से बातचीत की जा रही है। कुछ मामलों में सुधार करने के लिये निर्माताओं ने व्यापक जांच की है। पर्याप्त स्तर बनाये रखने के लिये इंजनों की किस्मों का ठीक प्रकार से ध्यान रखा जावेगा।

गोदी श्रमिक

2177. **श्री सी० रे० चक्रपाणि:**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोदी श्रमिक (विनियमन तथा रोजगार) योजना के अन्तर्गत

स्थायीकरण योजना में शामिल किये जाने के लिये विभिन्न गैर-सरकारी नौका मालिकों द्वारा कोचीन पत्तन में नियुक्त लाइटरमैनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) विचाराधीन ।

टेलीप्रिण्टर

2178. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास द्वारा निर्मित टेलीप्रिंटरों की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) क्या यह पूर्णतया देश में बने पुर्जों से बनाया गया है अथवा इसमें कुछ विदेशी पुर्जे का प्रयोग किया गया है ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक अंग्रेजी टेलीप्रिंटर मशीन (फीता मोडल) का मूल्य 6,200 रुपये है।

(ख) और (ग). एक टेलीप्रिंटर मशीन के कोई 2000 पुर्जों में से अब लगभग 30 का आयात किया जा रहा है। ये वे खरीदी जाने वाली मदें हैं जिनकी निर्माण-क्षमता अभी भारत में स्थापित नहीं हुई है। आयातित पुर्जों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	संख्या
1. मोटरें	2
2. कैपेसिटर्स	4
3. बाल बेयरिंग	6
4. बिजली के कांटेक्ट्स	3
5. बिजली के अन्य हिस्से-पुर्जे	15

बर्मा से स्वदेश लौटे व्यक्ति

2179. **श्री गादिलिंगन गौड़** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से स्वदेश लौटे हुए सब व्यक्तियों को पूर्णतया बसाया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें किस-किस राज्य में बसाया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). 1-7-1968 तक बर्मा से लगभग 1,63,000 व्यक्ति (लगभग 46,600 परिवार) आये हैं। एक विवरण, जिसमें उन व्यक्तियों को दी गई राज्यवार सहायता का ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रखा गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1553/68]**

सब्जी मंडी डाकघर में आग लगना

2180. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मई, 1968 को दिल्ली में सब्जीमण्डी बाजार में डाकघर पूर्णतया जल गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह हानि फल व्यापारी संघ से वसूल करने का है, क्योंकि उनकी असावधानी के कारण आग लगी थी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) नकदी और कीमती सामान की कोई हानि नहीं हुई है। आग के कारण नष्ट हुए डाकघर के फर्नीचर और फिटिंग का मूल्य लगभग 3000 रुपये है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Employment in Madhya Pradesh

2181. Shri S. C. Daxit: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons offered employment in Madhya Pradesh during the last three Five Year Plans; and

(b) the number of unemployed persons in rural and urban areas of Madhya Pradesh during the years from 1960 to 1967?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir): (a) Precise information is not available. However, according to the estimates made by Madhya Pradesh Government in the draft Fourth Five Year Plan, the total employment provided during the Third Plan was of the order of 9 lakhs.

Estimates for the First and Second Plans are not available.

(b) The only information available relates to the number of persons seeking work with Employment Exchanges which gives some idea of the trends in urban unemployment. Separate statistics relating to the unemployed persons in the rural areas are not available.

A statement showing the number of work-seekers on the register of the Employment Exchanges at the end of each year for the period 1960—67 is given below:

STATEMENT

Year	No. of applicants on live register of Employment Exchanges in Madhya Pradesh at the end of the year
1960	59,091
1961	75,279
1962	1,22,209
1963	1,46,860
1964	1,45,685
1965	1,61,251
1966	1,77,147
1967	1,80,319

Amount for Land Conservation to Madhya Pradesh

2182. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount allocated to Madhya Pradesh for land conservation during 1967-68; and

(b) the amount spent on the said work during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) A total outlay of Rs. 180.80 lakhs was approved for Soil Conservation Schemes under Statement. In addition, a sum of Rs. 41.00 lakhs was allocated for the Centrally Sponsored 1967-68 for Scheme of Soil Conservation in the catchment of the Chambal and Hirakud River Valley Projects, and Rs. 10.00 lakhs for the spill over patt of the Centrally Sponsored Scheme for Reclamation of Wastelands and Resettlement of Landless Agricultural Labour.

(b) According to the report received from the Government of Madhya Pradesh, the anticipated utilization is Rs. 261.94 lakhs in the execution of State Soil Conservation, Schemes, and Rs. 45.50 lakhs under the Centrally Sponsored Scheme of Soil Conservation in River Valley Projects of Chambal and Hirakud. The actual expenditure incurred under the Centrally Sponsored Scheme for Reclamation of the Wastelands and Resettlement of landless agricultural labour has not been reported.

Assistance to Jabalpur Agricultural University

2183. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount and the nature of the Central assistance given to Jabalpur Agricultural University and College in Madhya Pradesh during 1967-68; and

(b) the amount proposed to be given during 1968-69?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) A grant-in-aid amounting to Rs. 20,00,000 (Rupees twenty lakhs) was given to the Jabalpur Agricultural University during 1967-68. The grant was given towards items of developmental nature *viz.* construction of college buildings, boys hostel, staff quarters, health centre, guest house, inter-national travel cost, books for library, students aid fund, development of instructional farm facilities and equipment for agriculture, Veterinary and Agricultural Engineering colleges.

(b) The financial assistance that could be made available as per approved pattern of assistance during 1968-69 to Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya will depend on the progress of expenditure on the continuing items sanction in 1967-68 and the acceptance of the recommendations of the I.C.A.R. team that visited this University recently. It is expected that the University would be able to utilize as much or even more assistance during 1968-69 as they did during 1967-68.

Land Mortgage Banks

2184. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the programme of the Land Mortgage Banks in regard to giving loans and issuing bonds in Madhya Pradesh during 1968-69; and

(b) the amount of aid given to these banks in 1967-68?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) The supported programme for floatation of debentures by the Madhya Pradesh Central Land Development Bank during 1968-69 has been tentatively settled at Rs. 3 crores.

(b) The Central Government provided a loan of Rs. 43.40 lakhs through the State Government for supporting the ordinary debenture programme of the Madhya Pradesh Central Land Development Bank during 1967-68.

सीमावर्ती जिलों में सूक्ष्म तरंग व्यवस्था

2185. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सूक्ष्म तरंग व्यवस्था द्वारा कुछ सीमावर्ती जिलों का सम्प दश के अन्य भागों के साथ स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन सीमावर्ती क्षत्रों का सम्पर्क सूक्ष्म तरंगों द्वारा स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ग) इस पर कितना धन खर्च होने की संभावना है ;

(घ) इस परियोजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ङ) इससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। कुछ सीमवर्ती क्षेत्रों के साथ पहले से ही सम्पर्क स्थापित कर दिया है।

(ख) सूक्ष्म तरंग व्यवस्था से सीमा के सिलीगुडी, दारजिलिंग, कूच बिहार, शिलांग, गोहाटी, तेजपुर, जोरहाट, जालंदर, डलहौजी, पठानकोट, उधमपुर, जम्मू, श्रीनगर, अम्बाला, शिमला, तथा चंडीगढ़ नगरों को पहले ही मिला दिया है। जिन अन्य सीमावर्ती नगरों को मिलाने का सुझाव है, वे हैं : डिब्रूगढ़, तिनसुखिया, सिलचर अगरतला, कोरिया, इम्फाल, मुजफ्फरपुर नैनीताल, राजकोट, जामनगर, कांदला, भुज तथा बीकानेर।

(ग) लगभग 7.42 करोड़ रुपये।

(घ) तीन से चार वर्ष तक।

(ङ) पर्याप्त तथा भरोसा करने लायक संचार व्यवस्था उपलब्ध की जायेगी। कुछ मार्गों पर एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध की जायेगी।

चीनी का बाजार में भेजा जाना

2186. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हह सच है कि उत्तर प्रदेश ने चीनी मिलों में चीनी का 50 प्रतिशत स्टाक बिना बिका पड़ा है तथा बहुत से मिल मालिक श्रमिकों की मजूरी तथा सरकार को देय राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी जांच की है कि वर्तमान स्थिति किन कारणों से उत्पन्न हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों ने चीनी के उत्पादन का लगभग 58·5 प्रतिशत बेचा और माल प्रेषित कर दिया था। 7·5 प्रतिशत और चीनी निर्मुक्त की गयी है। जब तक अगले वर्ष के उत्पादन से चीनी उपलब्ध नहीं होती तब तक उत्पादन के शेष के 34 प्रतिशत की निर्मुक्ति वर्ष के बाकी महीनों में की जाएगी। जिन चीनी मिलों ने कर्मचारियों की मजूरी और राज्य सरकार को देय राशि नहीं दी है उनके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। उत्पादन शुल्क के बारे में केन्द्रीय सरकार को देय राशि चीनी कारखनों द्वारा चीनी उठवाने से पूर्व दी जाती है।

अकार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से स्वास्थ्य को खतरा

2187. **श्री नीतीराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरकों के लगातार प्रयोग से खाद्यान्नों में खतरनाक मात्रा में नाइट्रेट तत्व इकट्ठे हो सकते हैं;

(ख) क्या शरीर में मिल जाने के बाद ये नाइट्रेट तत्व रुधिवर्णिका (हैमो-ग्लोबिन) में जहर फैला सकते हैं और आक्सीजन परिवहन व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं ;

(ग) क्या भोजन में काफी मात्रा में नाइट्रेट तत्व होने से श्वास तंत्र के बेकार हो जाने से मृत्यु हो सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रभाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). नाईट्रेट युक्त उर्वरकों के प्रयोग के फलस्वरूप खाद्यान्नों में मिले नाइट्रेट से उत्पन्न विषैलेपन के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। फिर भी, यह मामला अभी तक वैज्ञानिकों में विवादपूर्ण है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

उर्वरकों का आयात

2188. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968–69 में 35 करोड़ डालर के मूल्य के उर्वरकों का आयात किया जायेगा;

(ख) क्या इसमें से 20 करोड़ डालर के मूल्य के उर्वरक का संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किया जायेगा,

(ग) क्या अमरीका के जहाज प्रति टन 54 डालर भाड़ा लेते हैं जबकि अन्य जहाज 18 डालर प्रति टन लेते ह जिसके फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका से आयात कि जान वाले उर्वरकों का यहां पहुंचने पर मूल्य अन्य देशों से आयात किये जाने वाले उर्वरकों की तुलना में अधिक हो जाता है; और

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किये जाने वाले उर्वरकों के यहां पहुंचने पर मूल्य तथा स्वदेशी उर्वरकों के कारखानाद्वार में कितना अन्तर है और विदेशी उर्वरकों के कारखाना द्वारा मूल्य को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिबशिन्दे) : (क) और (ख). वर्ष 1968–69 में उर्वरकों के लिए कुछ आयात बिल 3000 लाख डालर होने की आशा है । इसमें से 1600 लाख डालर के मूल्य के उर्वरक का आयात संयुक्त राज्य अमरीका से किया जायेगा ।

(ग) संयुक्त राज्य नान-प्रोजेक्ट लोन की शर्तों के अनुसार कुल टनेज का कम से कम 50 प्रतिशत संयुक्त राज्य फलैग वाले जहाज में ऐसे जहाजों की उपलब्धता की स्थिति में पहुंचना है । परन्तु वास्तव में संयुक्त राज्य फलैग वाले जहाजों की अनुपलब्धि के कारण पिछले दो वर्षों से इस प्रतिशतता को प्राप्त नहीं किया गया है । 1967–68 में संयुक्त राज्य फलैग वाले जहाजों का लदान लगभग 15 प्रतिशत ही सीमित रहा । परन्तु संयुक्त राज्य फलैग वाले जहाजों के लदान का प्रतिशत अप्रैल-जून, 1966 के दौरान ये लगभग 34 प्रतिशत तक बढ़ गया । संयुक्त राज्य फलैग वाले

जहाज़ों का भाड़ा 39·23, 56·45 डालर तक है जबकि पिछले 5 महीनों की अवधि में अन्य जहाज़ों का भाड़ा 14·00 से 18·50 डालर तक था। उपरोक्त कारण से संयुक्त राज्य अमरीका से आयातित उर्वरक का मूल्य अन्य स्रोतों से आयात किये जाने वाले उर्वरक के मूल्य की तुलना में अधिक है।

(घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1555/68]।

कुछ प्लान्टस की लागत को कम करने के उपाय किये जा रहे हैं और अन्यों को आधुनिक किया जा रहा है जिससे कि वे अपनी पूरी क्षमता से तथा कम लागत पर कार्य कर सकें। निर्माणाधीन उर्वरक प्लान्टस आधुनिकतम तकनीकलोजी पर आधारित हैं और वे कम लागत पर नेप्था को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। बड़े आकार के प्लान्ट्स के बनाने तथा आधुनिकतम तकनोलोजी के अपनाने के परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत कम होने की आशा है।

गुजरात सर्किल में पोस्टकार्ड, लिफाफे इत्यादि की कमी

2189. **श्री द० रा० परमार** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सर्किल में सरकारी ट्रेजरी के माध्यम से नासिक प्रेस से प्राप्त बन्द बंडलों में डाक सामग्री अर्थात् पोस्टकार्डों और डाक टिकटों के कम होने के कुछ मामले पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1967–68 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों से डाक व तार विभाग द्वारा कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा सरकार को कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) सिक्योरिटी प्रेस नासिक से लेकर डाकखानों तक सभी स्तरों पर कमी के ऐसे मामलों के बारे में क्या कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसे होने वाले मामलों की संख्या 63 है और निबल हानि की रकम 194·91 रुपए है।

(ग) जी हां।

(घ) अभी तक निश्चित जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं हो सका है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक विभाग में पदोन्नतियां

2190. **श्री द० रा० परमार :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि यदि डाक विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी किसी दीर्घ-कालीन रिक्त स्थान के लिये पदोन्नति से इन्कार कर देता है तो उस वरिष्ठ अधिकारी पर एक कनिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठता मिल जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक विभाग के अनुसूचित जाति के निरीक्षक को उस समय वरिष्ठता नहीं दी जाती है जब उससे वरिष्ठ व्यक्ति उच्च चयन ग्रेड में पदोन्नति से इन्कार कर देता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार वभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यदि डाक तार विभाग का एक कर्मचारी एक दीर्घकालीन रिक्त-स्थान पर पदोन्नति के लिए इन्कार करता है तो उसको आगामी छः महीने की अवधि में दीर्घकालीन या अल्पकालीन किसी भी रिक्त-स्थान पर पदोन्नति का मौका नहीं दिया जाएगा । उक्त अवधि के बाद यदि उसकी पदोन्नति की जाती है तो वह उस अवधि के दौरान पदोन्नति किये हुए सभी कर्मचारियों से अवर स्थान पर रहेगा । अल्पकालीन पदोन्नति को इन्कार करने से इस प्रकार वरिष्ठता का अधिकार समाप्त नहीं होता ।

(ख) अनुसूचित जाति के निरीक्षकों के लिए ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नही है । उक्त आदेश सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में डाक स्टेशनरी

2191. **श्री द० रा० परमार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में लोगों को डाकघरों से उचित समय पर अपेक्षित और पर्याप्त मात्रा में डाक 'स्टेशनरी' नहीं मिलती है ;

(ख) क्या उस विभाग ने जिला खजाना के माध्यम की बजाय मुख्य डाकघरों के माध्यम से डाक 'स्टेशनरी' वितरण करने की नीति को बदल दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन निरीक्षकों को कितना सवारी भत्ता, यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता दिया जाता है जो डाक स्टेशनरी वितरण करने की विभाग की नीति बदलने के कारण अहमदाबाद से गुजरात सर्किल में विभिन्न डाकघरों को डाक स्टेशनरी ले जाते हैं ;

(ङ) क्या स्टेशनरी ले जाने के लिये सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जाती है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक-टिकटों और डाक-स्टेशनरी की कुछ कमी रही है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । 15 मई, 1968 से बढ़ी हुई दरें लागू किये जाने के बाद डाक-टिकटों और स्टेशनरी की भारी मांग को पूरा करने के लिए डाक-टिकटों के नियन्त्रक ने अहमदाबाद खजाने को काफी मात्रा में डाक-टिकट और स्टेशनरी गुजरात में अन्य जिला खजानों को वितरित करने के निवेदन के साथ भेजी । चूंकि खजाना अधिकारी, अहमदाबाद ने यह ज़िम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया, इसलिये पोस्टमास्टर जनरल, अहमदाबाद को वितरण की व्यवस्था करनी पड़ी । यह सेवा भंग न होने देने की दृष्टि से किया गया ।

(घ) लगभग 1400 रुपये ।

(ङ) तथा (च). डाक-टिकट और स्टेशनरी डाक-कर्मचारियों द्वारा सामान्यतः ले जाई जाने वाली निर्दिष्ट रक़म की सीमाओं के भीतर थी, इसलिये सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में मंत्री

2192. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन से सम्बन्धित एक मामले में हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कृष्ण राव ने यह समुक्ति दी है कि स्वतंत्र तथा ऋजु निर्वाचन सुनिश्चित कराने और निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि ऐसे अभ्यर्थी को, जो मंत्री पद धारण करता हो, अपने आपको शासकीय परिधान से मुक्त कर लेना चाहिए ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि मंत्रियों को निर्वाचन से पूर्व पद अवश्यक्त कर देने चाहिएं ।

खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए उर्वरकों की आवश्यता

2193. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1974 तक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 15 करोड़ टन करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को कितने उर्वरकों की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1973–74 में समाप्त होने वाला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नही किये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

डाक व तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक

2194. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1966 से डाक व तार विभाग में कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक भर्ती किये गये ;

(ख) ऐसे नैमित्तिक श्रमिक कुल कितने हैं, जिन्होंने दो वर्ष की अविरल सेवा पूरी कर ली है ; और

(ग) कुल कितने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित संस्थानों में नियुक्त कर दिया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसके प्राप्त होने और संकलित किये जाने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

मजूरी निर्धारण व्यवस्था

2195. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मोहम्मद इस्माइल : **श्री अब्राहम :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मजूरी ढांचा निर्धारण व्यवस्था में परिवर्तन करने का है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस को ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) त्रिपक्षीय मजरी बोर्ड जबानकर चुने हुए उद्योगों में मजूरी निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति का राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है । मजूरी बोर्डों के कार्य में विलम्ब को दूर करने के उपाय सुझाने तथा उनकी सिफारिशों को पूर्णतया लागू कराने के लिये स्थाई श्रम समिति ने एक त्रिपक्षीय समिति की भी स्थापना की है ।

वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने के प्रश्न पर उपरोक्त दोनों निकायों की सिफारिशों के आधार पर विचार होगा ।

इंजीनियरी उद्योग के लिए मंजूरी बोर्ड

2196. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री पी० राममूर्ति
श्री मुहम्मद इस्माईल
श्री भगवान दास :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री इन्द्रजी गुप्त :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) बोर्ड ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बोर्ड को ऐसे जटिल मामलों को निपटाना पड़ता है जिनमें विस्तृत जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता होती है । अब बोर्ड का कार्य समाप्त होने वाला है और यह आशा की जाती है कि वह अक्तूबर, 1968 के अन्त तक रिपोर्ट पेश कर देगा ।

डाक तथा तार विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

2197. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :
श्री नम्बियार :
श्री अब्राहम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए विश्राम सहित 8 घंटे की ड्यूटी की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सिफारिश डाक व तार विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक व तार विभाग के ड्राइवरों और डिस्पेच राइडरों को 8 घंटे से अधिक समय तक काम करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो डाइवरों और डिस्पेच राइडरों से 8 घंटे से अधिक काम लिये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) बीच-बीच में विश्राम की अवधि को शामिल करने के कारण ड्यूटी 8 घंटे से ऊपर बैठ जाती है, किन्तु वास्तव में गाड़ी चलाने के घंटे 8 घंटे से भी कम ही बैठते हैं ।

सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

2198. श्री प० गोपान :
श्री रामानी :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री इन्द्रजी गुप्त :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी द्वितीय मजूरी बोर्ड द्वारा कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन कब पेश किये जाने की संभावना है ; और

(ग) प्रतिवेदन के पेश किये जाने में देरी के क्या कारण हैं और मजूरी बोर्ड के काम को शीघ्रता से पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस बोर्ड ने आम जनता की सुनाई का कार्य पूरा कर लिया है और यह अब अपनी सिफ़ारिशों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुला रहा है ।

(ख) बोर्ड अक्तूबर के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा करता है ।

(ग) इस बोर्ड को बड़े उद्योग से संबंधित जटिल मामलों को निपटाना है और इसे अनेक पक्षों के विचार सुनने हैं । जैसा कि ऊपर कहा गया है, बोर्ड की रिपोर्ट अब पूरी होने वाली है ।

भविष्य निधि की बकाया राशि

2199. श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री एस्थोस :
श्री वि० कु० मंडल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी, लिमिटेड और म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर पर क्रमशः मई, 1962 और मार्च 1963 से भविष्य निधि की 40.24 और 6.80 लाख रुपये की राशि बकाया है :

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इन मिलों के प्रबन्धकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 30 अप्रैल, 1966 को न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लि० और म्यूर मिल्स लिमिटेड की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि क्रमश: 50.74 लाख और 6.86 लाख रुपये थी ।

(ख), (ग) और (घ). **न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड** :— कम्पनी की जायदाद राज्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा कुर्क कर ली गई है ।

न्यू मिल्स लिमिटेड :—भविष्य निधि की बकाया राशि को भू-राजस्व की तरह वसूल करने की कार्यवाही प्राधिकृत नियन्त्रक के अभिवेदन पर आस्थिगित की गई और प्राधिकृत नियंत्रक को बकाया राशि को जनवरी, 1968 से किश्तों में अदा करने की छूट दी गई । प्राधिकृत नियन्त्रक ने यह प्रार्थना की है, कि बकाया राशि अदा करने की अवधि एक साल और बढ़ा दी जाय ।

अभियोजन :—दोनों मिलों के प्रबन्धकों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है ।

केन्द्रीय श्रमिक संघ की सदस्यता

2200. **श्री पी० राममूर्ति** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रामानी :
श्री उमा नाथ :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों की सदस्यता का पता लगाने के लिये हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न संगठनों में अपनी कितनी सदस्यता बताई थी और उनकी वास्तविक सदस्यता क्या है ;

(ग) क्या इस संगठनों द्वारा बताई गई सदस्यता तथा उनकी वास्तविक सदस्यता में काफी अन्तर है ;

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं और सदस्यता की वास्तविक संख्या का पता लगाये जाने के बाद प्रत्येक संगठन की सदस्य संख्या कितनी कम हो गई ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 31 दिसम्बर, 1966 को चार केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों की बताई गई तथा सत्यापित सदस्यता और इन दोनों का अन्तर नीचे दिया जाता है ।

संगठन	बताई गई सदस्यता	सत्यापित सदस्यता	अन्तर
(1) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस	19,96,499	14,05,465	5,91,034
(2) हिन्द मजदूर सभा	7,67,838	4,33,015	3,34,823
(3) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	11,49,781	4,32,852	7,16,929
(4) संयुक्त मजदूर कांग्रेस	1,98,350	93,454	1,04,896
योग . .	41,12,468	23,64,786	17,47,682

(घ) बताई गई और सत्याप्रित सदस्यता के अन्तर के कारण हैं—स्थानिक प्रत्यक्ष जांच जो बताई गई सदस्यता की अपेक्षा कम सदस्यता बताती है, वार्षिक विवरणियों का न भेजा जाना, रिकार्डों का प्रस्तुत न किया जाना, पंजीकरण का रद्द किया जाना, ट्रेड यूनियनों का पंजीकृत न होना तथा उनका केन्द्रीय संगठन से सम्बद्ध न होना ।

भविष्य निधि की बकाया राशि

2201. **श्री पी० पी० एस्थोस** **श्री रमानी :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1964 से पांडीचेरी की एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल्स स्वदेशी काटन मिल्स और श्री भारती मिल्स पर भविष्य निधि के क्रमश: 6.00 लाख रुपये 17.07 लाख रुपये और 12.36 लाख रुपये बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) 31 मई, 1968 को इन तीन मिलों की और भविष्य निधि की निम्नलिखित राशि बकाया थी :—

	राशि (लाख रु० में)
(i) एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल्स लि० पांडीचेरी	7.39
(ii) स्वदेशी कौटन मिल्स, पांडीचेरी	15.41
(iii) श्री भारती मिल्स लि० पांडीचेरी . . .	12.36

(ख) एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइलस और स्वदेशी कौटन मिल्स के प्रबंधकों को किश्नों में बकाया राशि की अदायगी करने की अनुमति दी गई। कुछ किश्नें अदा करने के बाद उन्होंने बकाया किश्नों की अदायगी स्थगित कराने का सुझाव दिया। स्वदेशी कौटन मिल्स के संबंध में सुझाव अस्वीकार कर दिया गया है। भारती मिल अधिकृत नियंत्रक के अधीन है। पुराने प्रबंधकों ने कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के हक में 10.50 लाख रुपयों का तीसरा बन्धक पत्र पहले ही लिख दिया है।

भविष्य निधि की बकाया रकम को भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूली करना संभव नहीं हुआ है, क्योंकि प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्व वसूली अधिनियम अभी तक पांडीचेरी में लागू नहीं हुआ।

स्टुअर्टस-लाइट कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2202. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टुअर्टस-लाइट, कलकत्ता के कर्मचारियों ने 1 जुलाई, 1968 से हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मांग छंटनी के आदेश को वापिस लेने के संबंध में थी।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य श्रम निदेशालय ने तीन चार बार संयुक्त सम्मेलन बुलाये, लेकिन नियोजनों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण ये सम्मेलन नहीं हो सके। अब नियोजकों ने 31–7–68 को बुलाये गये सम्मेलन में अपने सक्षम प्रतिनिधियों को भेजना स्वीकार कर लिया है।

संयुक्त केन्द्रीय शरणार्थी परिषद पश्चिम बंगाल

2203. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री गणेश घोष :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में संयुक्त केन्द्रीय शरणार्थी परिषद पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

1306(Ai)LSD—11.

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हान) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

सीरामपुर स्टेशन यार्ड पर चावलों का सड़ना

2204. श्री ज्योतिमय वसु :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1968 के "अमृत बाजार पत्रिका" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि खाद्य विभाग की लापरवाही के कारण सीरामपुर के पुराने रेलवे स्टेशन यार्ड के गोदामों में भारी मात्रा में पड़ा चावल मानवीय उपयोग के लायक नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मानवीय उपयोग के लिये अयोग्य हो जाने वाले चावल की कुल मात्रा कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सीरामपुर में भारतीय खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश से तिरपालों से ढके हुये वैगनों में कच्चे चावल के प्राप्त 7656 बोरियों में से लगभग 2420 बोरियां ऐसी पायी गयी जोकि रास्ते में वर्षा से भीग गयी थी । इन बोरियों को जल्दी से खोला गया और इन्हें सुखाने तथा साफ करने का काम प्रगति पर है । इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही क्षतिग्रस्त मात्रा का पता चलेगा । तथापि भारतीय खाद्य निगम को यह आशा है कि प्रभावित चावल का अधिकांश भाग मानव उपयोग के उपयुक्त होगा ।

(ग), (घ) और (ङ). भारतीय खाद्य निगम ने क्षतिपूर्ति के लिये रेलवे के पास दावा दायर किया है जोकि उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिन से यह क्षति हुई है और उनको पुनरावृत्ति रोकने के हेतु उपाय करेगा ।

सुपर बाजार, नई दिल्ली के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

2205. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के सुपर बाजार के कर्मचारियों से प्रबन्धकों के विरुद्ध उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या शिकायतों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० मुरुगवस्वमी) : (क) जी हां ।

(ख) कोई नियमित जांच, नहीं की गई थी, क्योंकि यह आवश्यक नहीं समझा गया था । तथापि, कर्मचारियों की शिकायतों तथा मांगों की जांच की गई थी ।

(ग) कर्मचारी संघ ने दिल्ली प्रशासन को भेजे अपने अभ्यावेदन में जो शिकायतें की थीं वे निम्नलिखित पक्षों से सम्बन्धित थीं :—

(1) निर्वाह मजदूरी की अदायगी ;

(2) सुपर बाजार में अत्यधिक शीर्ष प्रबन्ध अधिकारियों का होना और प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कर्मचारियों को बहुत अधिक बढ़े हुए वेतन देना ;

(3) सुपर बाजार के प्राधिकारियों की श्रमिक विरोधी नीति, अर्थात, कर्मचारी संघ को मान्यता न देना ; और

(4) सुपर बाजार के कार्यकरण का मार्गदर्शन करने के लिए उपभोक्ता समिति का गठन ;

जहां तक निर्वाह मजदूरी की अदायगी करने से सम्बन्धित प्रथम शिकायत का सम्बन्ध है, सुपर बाजार ने प्रबन्ध परामर्शदात्री फर्म की सिफारिश पर मजदूरी-विधान बनाया था । सुपर बाजार के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को जो मजदूरी दी जाती है वह अन्य संस्थाओं में समतुल्य कार्य करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी के मुकाबिले में उचित पाई गई थी । कर्मचारियों द्वारा उठाए गए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी का प्रश्न विवाचक को भेजा गया था जिसने महगाई भत्ते को 13 रु० से 35 रु० तक बढ़ाने का फैसला दिया था। विवाचक के इस फैसले को कार्यान्वित कर दिया गया है ।

अत्यधिक शीर्ष प्रबन्ध अधिकारी रखने के आरोप के बारे में स्थिति यह है कि 2.07 लाख रु० के कुल वेतन बिल के मुकाबिले में पर्यवेक्षी तथा प्रबन्ध कर्मचारियो का कुल मासिक बिल अब केवल 16,000 रु० है । जहां तक प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कुछ प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा बहुत अधिक वेतन लेने का सम्बन्ध है, हिसाब लागाने पर सिवाय एक मामले के आय तथा परिलब्धियां आमतौर पर 22 से 35 प्रतिशत के बीच पाई गई। प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकतर कर्मचारी मार्च, 1968 से अपने मूल संगठनों को वापिस चले गए हैं ।

सुपर बाजार की श्रमिक विरोधी नीति से सम्बन्धित तीसरे आरोप के बारे में स्थिति यह है कि सुपर बाजार ने दो संघों में से एक अर्थात, सुपर बाजार कर्मचारी संघ, जिसका प्रतिनिधित्व बहुत अधिक था, को मान्यता दे दी है। कर्मचारी संघ, जिसे सुपर बाजार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, के केवल 100 के लगभग सदस्य हैं। इसने जनमत-संग्रह में भाग लेने से इंकार किया और आचार संहिता के लिए भी यह राजी नहीं हुआ। सुपर बाजार कर्मचारी संघ की बहुत सी मांगें डा० ज्ञान चंद के विवाचन के लिए भेजी गई हैं और उसके द्वारा दिए गए फैसलों पर अमल किया जा रहा है। सुपर बाजार के प्रबन्धकों और सुपर बाजार कर्मचारी संघ ने सभी झगड़ों को सौहार्दपूर्ण ढंग से तय करने का आपस में फैसला किया है।

जहां तक सुपर बाजार के कार्यकरण के मार्गदर्शन के लिए उपभोक्ता समिति गठित करने की कर्मचारियों की मांग का सम्बन्ध है, सुपर बाजार हर सप्ताह सदस्यों की बैठक बुलाता रहा है, जिसमें लगभग 40 सदस्यों को भाग लेने और सुझाव देने के लिए बुलाया जाता है। सदस्यों की ये बैठकें उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

भारत में निर्वाचन

2206. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्वाचनों पर सरकार का बहुत अधिक खर्च होता है ;

(ख) क्या निर्वाचन खर्च में कमी करने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-नार्वे परियोजना के निदेशक का बार बार तबादला

2207. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नार्वे परियोजना में काम करने वाले निर्देशकों का समय-समय पर तबादला कर दिया जाता है जिससे परियोजना का काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने निर्देशकों का तबादला किया गया है तथा इसके क्या कारण है ? तथा निर्देशक के रूप में वे कितनी देर वहां रहे हैं ; और

(ग) उस व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या ऐतिहासी कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार द्वारा भारतीय पक्ष की ओर नियक्त किये गये निदेशक का समय-समय पर तबादला नहीं किया जाता। इस पद का सृजन 1964 में हुआ था। तब से निदेशक का केवल

एक बार तबादला किया गया है। परन्तु नार्वे सरकार द्वारा नियुक्त हुए परियोजना निदेशक का गत समय में बार-बार तबादला होता रहा है। परियोजना के शुरू से अब तक 15 वर्षों की अवधि में 11 निदेशकों की नियुक्ति हो चुकी है।

(ख) अब तक नार्वे सरकार द्वारा नियक्त निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति हो चुकी है:—

1.	श्री डाइडरिच एच० लुन्ड	अक्टूबर, 1952 से सितम्बर, 1957 तक
2.	श्री गेरहार्ड एम० गेरहार्डसन	सितम्बर, 1957 से अप्रैल, 1958 तक
3.	श्री ट्रिग्वी ग्रास	अप्रैल, 1958 से फरवरी, 1959 तक
4.	श्री अर्नेस्ट रोग हासे	फरवरी, 1959 से जनवरी, 1961 तक
5.	श्री लार्स ओंसागर	अप्रैल, 1961 से दिसम्बर, 1961 तक
6.	श्री पर सेडविन	जनवरी, 1962 से फरवरी, 1962 तक
7.	श्री जान ई० हेरिडे	फरवरी, 1962 से नवम्बर, 1963 तक
8.	श्री इ० डी० वोकमार	नवम्बर, 1963 से सितम्बर, 1964 तक
9.	श्री पर सेंडविन	अक्टूबर, 1964 से फरवरी, 1965 तक
10.	श्री मार्टिन टिविट	मार्च, 1965 से मार्च, 1966 तक
11.	श्री ई० फज़र्मटस	फरवरी, 1966 से अब तक

परियोजना निदेशकों की नियक्ति नार्वे सरकार (नार्वेजनसेज़ेन्स फ़ार इन्टरनेशनल डिवेलपमेंट) द्वारा की जाती है। प्राय: यह नियुक्ति ठेके पर एक वर्ष के लिए की जाती है। ठेके की अवधि समाप्ति होने पर निदेशक नार्वे लौट जाते हैं।

(ग) जहाँ तक भारत सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले निदेशकों का सम्बन्ध है, पद पर नियुक्त होने वाला पहला निदेशक मई, 1967 में अपने मूल विभाग को लौट गया। पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हो चुकी है और दीर्घकालीन नियुक्ति के लिये केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशें प्राप्त करने हेतु कदम उठाये गये हैं। जहाँ तक नार्वे सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले निदेशकों का सम्बन्ध है निरन्तर रूप से चलने वाले प्रबन्धों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। मौजूदा निदेशक फरवरी, 1966 से कार्य कर रहा है और नार्वे सरकार के साथ भावी करार तय करते समय इस पहलू को दृष्टिगत रखा जायेगा।

भारत-नार्वे परियोजना में भारतीय तकनीकी कर्मचारी

2203. **श्री गार्डिलिगन गौड़** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नार्वे परियोजना में भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को उनके समकक्ष नार्वे के तकनीकी कर्मचारियों के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है, ताकि वे इस करार के समाप्त होने के पश्चात् इस परियोजना का प्रशासन तथा कार्य संचालन का काम अपने हाथ में ले सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस करार के समाप्त होने के पश्चात् इस परियोजना के कार्यसंचालन के लिए क्या-क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) नार्वे सरकार के साथ भारत-नार्वे परियोजना सम्बन्धी करार के अनुसार व्यवस्था की गई है कि भारतीय तकनीकी कर्मचारी नार्वे के विशेषज्ञों से तकनीकी कार्यों को अधिकाधिक अपने हाथ में ले सकें। अतः भारतीय तकनीकी स्टाफ को नार्वे के प्रति रूप कार्यों के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है और वे उनके साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

विभिन्न राज्यों में कृषि विकास के लिए विदेशी सहायता

2209. **श्री गाडिलिंगन गौड़:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में कृषि के विकास के लिए विदेशों से कितनी सहायता मिली ; और

(ख) अब तक राज्य वार कितनी राशि का उपयोग किया गया है और इस सहायता के परिणामस्वरूप किस दर पर कृषि का विकास हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और तैयार होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

अधिक उपज वाली फसलों के अन्तर्गत भूमि

2210. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू खरीफ के मौसम में अधिक उपज वाली किस्म के बीजों की बुवाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में लगभग 1 करोड़ 45 लाख एकड़ भूमि में खेती करने की योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का राज्य वार ब्यौरा क्या है तथा योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि लाई जायगी और उनकी योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी ;

(ग) अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिगण सरकार द्वारा यदि कोई प्रस्ताव रखे गये हैं; तो उनका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उनका कहाँ तक अनुमोदन किया है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है तथा इस योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जिस केन्द्रीय दल ने 1967-68 के कृत्रिम कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्यों का दौरा किया था उसने राज्यों के साथ हुए अपने विचार विमर्श के आधार पर 1968 के खरीफ के मौसम में 145 लाख एकड़ भूमि को अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का अखिल भारतीय प्रयोगात्मक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। 1968-69 के कृषि कार्यक्रमों का अन्तिम रूपदेने के लिये जिस केन्द्रीय दल ने राज्यों का दौरा किया था, उसके विचार विमर्श के आधार पर यह लक्ष्य संशोधित कर 131.10 लाख एकड़ कर दिया गया है।

(ख) 131.10 लाख एकड़ का राज्यवार ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दे दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1555/68] इस लक्ष्य निर्धारित भूमि के लिए जो उर्वरकों की मात्रा सझाई है उसके आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता को भी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दे दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1555/68]

इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत के अन्तर्गत सरकार का व्यय केवल अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर है। राज्य सरकारों ने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता निश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं जहाँ उन्हें नियुक्त भी किया गया है। इस पर आने वाली लागत के अनुमानित आंकड़े राज्य सरकार द्वारा निकाले जाने के बाद प्रस्तुत किये जायेंगे। जहाँ आदानों के मूल्य का प्रश्न है यह सम्मिलित होने वाले कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने संशोधनों, सरकारी या सहकारी संस्थाओं से ऋण लेकर अदा किया जाता है।

(ग) और (घ) त्रिपुरा सरकार का अपने क्षेत्र के 6 सघन विकास खंडों में से दो से अधिक उपज देने वाली खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है वर्तमान वर्ष में 5000 एकड़ के क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों को बोया जायेगा, जब कि 1967-68 में केवल 1200 एकड़ भूमि में इन किस्मों को बोया गया था।

सघन कृषि कार्यक्रम (अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम सहित) के ऊपर त्रिपुरा प्रशासन के कृषि कार्यवाही दल ने 1968-69 के लिए 3.5 रुपये की कुल राशि का अनुमोदन किया है। अधिक उपज देने वाली किस्मों की आयोजना के सम्बन्ध में त्रिपुरा सरकार विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर रही है, अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने में जो भी व्यय होगा वह पूर्णतया भारत सरकार को वहन करना होगा क्योंकि त्रिपुरा एक केन्द्र प्रशासित प्रदेश है।

बीकानेर डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा सीधा टेलीफोन

2211. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में तथा वर्ष 1968-69 में अब तक राजस्थान राज्य में बीकानेर डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खुलवाने तथा सीधे टेलीफोन लगवाने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये तथा कितने नामंजूर किये गये;

(ग) श्री गंगानगर जिले की प्रमुख मंडियों, जेतसर, विजयनगर, पीलीबंगा तथा सादूल टाउन के व्यापारियों द्वारा बारबार प्रार्थना किये जाने पर भी इन स्थानों में टेलीफोन न लगाये जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1967-68 वर्ष के दौरान बीकानेर उपमंडल में (बीकानेर राजस्थान सर्कल में दूरसंचार शाखा का केवल उपमंडल है नई मंजूल सीधे टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिये प्राप्त आवेदनों की संख्या 506 थी और 1-4-1668 से 25-7-1968 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 148 थी। सार्वजनिक टेलीफोन घरों के संबंध में कोई औपचारिक आवेदनों की आवश्यकता नही होती पर विभाग उत्तरोत्तर ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन घरों को, जहां वह इनका खोलना औचित्यपूर्ण और लाभकारी समझता हो या प्रशासनिक महत्व, जनसंख्या और दूरी आदि की दृष्टि से कुछ श्रेणी के स्टेशनों पर विभाग की नीति के अनुसार हानि पर खोलना उचित समझता हो, अपनी इच्छा से खोलता है ।

(ख) 1967-68 के दौरान सीधे टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या 344 थीं और 1-4-68 से 25-7-68 की अवधि के दौरान 73 ऐसे और आवेदनों पर मंजूरी दी गई।

1967-68 के दौरान 5 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये । एक और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूर दे दी गई है जिसको स्थापित करना बाकी है।

(ग) तथा (घ). जेतसर में अभी टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है । यहां के लिये एक 50 लाइन के छोटे स्वचल एक्सचेंज की मंजूरी दे दी गई है और ज्योंही छोटा स्वचल एक्सचेंज स्थापित कर दिया जायेगा इस स्थान पर चाहे गये टेलीफोन कनेक्शनों को दे दिया जायेगा ।

विजयनगर (श्री विजयनगर) में सार्वजनिक टेलीफोन घर के स्विच बोर्ड से लोगों को 15 पी० सी० ओ० विस्तार कनेक्शन दे दिये गये है । इस सार्वजनिक टेलीफोन घर को एक नियमित एक्सचेंज में (छोटा स्वचल एक्सचेंज) बदलने के लिये योजना मंजूर कर ली गई है। एक्सचेंज खोलने पर अधिक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

पीलीबंगा में 50 लाइन के मौजूदा एक्सचेंज से दिये गये 29 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे हैं। वहां पर प्रतीक्षा सूची में 27 नाम और हैं परन्तु ट्रंक परियात का भारी काम होने के कारण ट्रंक निर्गमपथ में वृद्धि किये बिना और अधिक कनेक्शन देने संभव नहीं हैं। पीलीबंगा से ट्रंक लाइनों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ एक्सचेंज को 50 लाइनों से 100 लाइनों की क्षमता में बदलने की योजना मंजूर की गई है ताकि प्रतीक्षा सूची पर सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकें।

सादुलटाउन (सादूल शहर) में एक एक्सचेंज है और यहां पर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये प्रतीक्षा सूची पर कोई नाम नहीं है ।

Import of Foodgrains PL—480

2212. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are going to enter into a new agreement with the U.S.A. to import of wheat under PL 480; and

(b) if so, the complete details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) A proposal to that effect is under the consideration of the Government at present.

(b) Formal negotiations with the U.S. Government for the new agreement have not yet been commenced. No details are therefore available.

सहकारी चीनी मिलें

2213. श्री अगड़ी: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो, अब तक प्राप्त हुये प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है और जिन प्रस्तावों पर निर्णय होना अभी बाकी है उनकी संख्या कितनी है और प्रस्तावित मिलों की क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या मैसूर राज्य में गैर सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुए है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है उन मिलों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने हेतु विभिन्न राज्य से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :-

राज्य का नाम	नई सहकारी चीनी मिलों के लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या	चीनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता (लाख मीटरी टन)
मद्रास	4	0.72
मैसूर	3	0.65
आन्ध्र प्रदेश	3	0.48
केरल	1	0.15
उत्तर प्रदेश	6	1.05
उड़ीसा	2	0.27
गुजरात	7	1.32
महाराष्ट्र	14	2.64
बिहार	11	2.64
हरियाणा	1	0.24
योग	52	10.16

(ग) और (घ). जी हां। मैसूर राज्य से गैर सरकारी क्षेत्र (दोनों सहकारी तथा संयुक्त पूंजी क्षेत्रों) में नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु सात आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। इनका ब्यौरा सभापटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1556/68]

कृषि के विकास के लिये पंजाब को अनुदान

2214. **श्री स० अ० अगड़ी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य को कृषि के विकास के लिये इस वर्ष 71 करोड़ रुपये दिये गये हैं और यदि हां, तो किस विशेष प्रयोजन के लिये यह राशि दी गई है;

(ख) क्या किन्हीं अन्य राज्यों को भी इस वर्ष ऐसे ही कोई विकास-ऋण दिये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार, उनका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) जी नहीं। चालू वर्ष के दौरान कृषि विकास के लिये अभी तक किसी भी राज्य को विकास ऋण नहीं दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में विभिन्न राज्यों में कृषि कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये कुल 203·67 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना स्वीकृत की गई है। इस व्यय का राज्यवार तथा कार्यक्रमवार वितरण सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1551/68**] वर्तमान पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायता का को ऋण तथा अनुदान के रूप में राज्यों द्वारा किये गये पहले तीन भागों के वास्तविक कार्य तथा अन्त के अनुमानिक कार्य के आधार पर स्वीकृति की जाती है।

कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों को बीज, उर्वरक तथा कीटन जैसे आवश्यक आदानों के लिये अल्प-अवधि ऋण (गैर-योजना) भी स्वीकृत किये जाते हैं विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गई ऐसे ऋणों की राशि सभापटल पर रखे गये विवरण 11 में दी गई है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1557/68**]

Mohini Sugar Mills (Bihar)

2215. Shri Lakhan Lal Kapoor: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the management of Mohini Sugar Mills, Warisaliganj, District Gaya in Bihar State have closed down the mill for the past two years resulting in labour unemployment and difficulties to cane-growers;

(b) whether it is also a fact that sugarcane has been grown in nearly 40 lakh acres around Warisaliganj which would go unutilised due to closure of the mill; and

(c) if so, whether Government propose to compel the management to start the mill or takeover the mill on the refusal of the management to do so?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Mohini Sugar Mills, Warisaliganj, District Gaya, did not work for one season only, i.e. 1967-68.

(b) The State Government of Bihar has reported that cane acreage has not so far been properly assessed but in the said factory area, it may be around 7-8 thousand acres. The sugarcane grown last year by the growers in the factory area was diverted by the State Government to the Guraru Sugar Factory. In the event of the Mill not working during 1968-69, it is expected, that the State Government would make similar alternative arrangements to dispose of the cane.

(c) There is no proposal at present to take over the management of Mill.

कृषि भवन तथा संसद् भवन में दूध के डिपुओं के कर्मचारियों का तबादला

2216. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के नार्थ ब्लाक, कृषि भवन और संसद् भवन के स्थित दूध डिपुओं के सहायक दूध वितरण अधिकारी तथा दूध वितरण अधिकारी उन डिपुओं के कार्यभार पर ध्यान दिये बिना ही अपनी मर्जी से वहां के कर्मचारियों का स्थायी अथवा अस्थायी रूप से तबादला कर देते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार मनमर्जी से तबादला करने से सेवा में बिगाड़ पैदा हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार मनमर्जी से तबादला करने के क्या कारण हैं और इस प्रकार की बातों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है, और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जो ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर सकते और जिन्हें स्थिति का सही ज्ञान नहीं होता, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में वेरावल में मत्स्य पालन उद्योग के विकास की परियोजना

2217. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में वेराबल में मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिये कोई नई परियोजना आरम्भ की गई है,; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, समामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं । मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिये, विशेषकर वेरावल के संदर्भ में किसी नई योजना के बारे में हमें जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

गुजरात राज्य में कैरा जिले में डाकघर

2218 **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में कैरा जिले में कितने डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) कैरा जिले के कितने गावों में डाकघर नहीं हैं ; और

(ग) इस जिले के लिये वर्ष 1968-69 में कितने नए डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 19।

(ख) कोई नहीं। कैरा जिले के 497 गावों में से जिनमें डाकघर नहीं हैं, 344 गावों में दैनिक और 100 गावों में एकान्तर दिन पर, 13 गावों में सप्ताह में दो बार और 40 गावों में सप्ताह में एक बार डाक की व्यवस्था है।

(ग) 1968-69 में कैरा जिले में सत्रह नये डाकघर खोलने को पहिले से ही मंजूरी दी जा चुकी है और इसी वर्ष 10 और डाक घर खोलने की मंजूरी देने की संभावना है।

गिरि वन के बबर शेर

2219. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गिरि वन के बबर शेरों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) देश में जंगली जानवरों के परिरक्षण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश वीर शास्त्री) : (क) और (ख) . आवश्यक जानकारी गुजरात राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

चीतों का सफाया

2220. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में से चीतों का बड़ी तेजी से सफाया हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चिड़ियाघरों के चीतों को मिलाकर देश में अब थोड़े से ही चीते बचे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तेजी से उनके सफाया होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में वन्य पशुओं तथा चीतों के परिरक्षण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार के नोटिस में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिससे यह पता चल सके कि देश में चीतों का बड़ी तेजी से सफाया हो रहा है । फिर भी, देश में 'देसी चीतों' की नस्ल बहुत पहले से मिट चुकी है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं होते ।

(घ) देश में चीतों के बचाव व परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) राज्यों के वन्य प्राणी संरक्षण व वन अधिनियमों के अन्तर्गत चीतों के शिकार पर नियंत्रण लगा दिया गया है ।

(2) जीवित या मृत चीतों, उनके अंगों व उनके उत्पादों के वाणिज्य आधार पर निर्यात करने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रोत्साहन बोनस

2221. श्री जे० एस० पटेल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम विभाग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रोत्साहन मजूरी तथा उत्पादन बोनस योजनाएं आरम्भ की हैं ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) और (ख) प्रोत्साहन मजूरी तथा उत्पादन बोनस योजनाओं को आरम्भ करने से श्रम यूरो का कोई संबंध नहीं है ।

परन्तु श्रम यूरो को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में प्रोत्साहन मजूरी और उत्पादन बोनस के श्रम उत्पादिता पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करने को कहा गया है ।

पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य

2222. श्री गणेश घोष : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत अप्रैल से जून, 1968 तक में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, हावड़ा, नादिया, 24 परगना, बांकुरा तथा पुरूलिया जिलों में चावल का औसत मूल्य क्या रहा था ;

(ख) गत जून में इन जिलों में परीक्षणात्मक राहत (टेस्ट रिलीफ) तथा कृपादान राहत (ग्रेटिट्यूसस रिलीफ) के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रखा गया है ; और

(ग) उपरोक्त जिलों में संशोधित राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिये जून 1968 में कितना (1) चावल, (2) गेहूं, (3) माइलो तथा (4) अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) : (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे सभी बातों के बारे में सूचना भेजें और प्राप्त होते ही एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाएगा ।

आयरलैंड द्वारा सुअरों की सप्लाई

2224. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आयरलैंड खाद्य तथा कृषि संगठन के "भूख से मुक्ति अभियान" के अन्तर्गत भारत को कुछ अच्छी किस्मों के सुअर सप्लाई कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या सूअरों के साथ आवश्यक उपकरणों सहित कुछ सूअर विशेषज्ञ भी भेजे जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो ये सूअर किन स्थानों में रखे जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आयरलैण्ड भूख से मुक्ति अभियान खाद्य तथा कृषि संगठन के "भूख से मुक्ति अभियान" के अन्तर्गत भारत को अच्छी किस्म के सूअर सप्लाई करने को सहमत हो गया है। सन् 1968 के अन्त तक उनके पहुंचने की सम्भावना है ।

(ख) 130 शुद्ध नस्ल के सूअर ।

(ग) दो वर्षों के लिए एक परियोजना प्रबन्धक और तीन सप्ताहों के लिए एक सूअर परिचारक की सेवायें उपलब्ध होंगी ।

(घ) इन सूअरों को प्रादेशिक सूअर प्रजनन केन्द्र, गन्नावम् , आन्ध्र प्रदेश में रखा जाएगा ।

Damage to crops by bulldozers in Rajasthan Canal Project Area

2225. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no compensation has so far been paid to the hundreds of farmers whose standing crops have been destroyed by bulldozers during the course of construction of the Rajasthan Canal over so many years;

(b) whether it is also a fact that the farmers whose agricultural land was acquired for construction of canal have not been given any alternative land in compensation of the land acquired even after a lapse of 7-8 years; and

(c) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Cooperative Seed Store and Cooperative Banks in U.P.

2226. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have ascertained that when the seed stores in U.P. are closed in June, 1968, the Godown Supervisors take away cleaned wheat of good quality from there and keep uncleaned wheat of inferior quality in its place which is afterwards supplied to the farmers;

(b) whether it is also a fact that when the wheat is stored in the godowns about two or three maunds of powder is supplied to each godown but in the sowing season the increased quantity of wheat (which increases) by mixing the powder is sold privately by the employees of seed stores; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No such complaint was received by the State Government.

(b) Only small quantities of pesticides are used before storing the seeds, and they do not have any material effect on the weight of the seeds.

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कारखाने

2227. श्री देवेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है, जिनमें दस से अधिक व्यक्ति काम करते हैं ; और

(ख) इन राज्यों में कारखाने के कर्मचारी की औसत वार्षिक आय कितनी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रम ब्यूरो के निदेशक के पास उपलब्ध 1966 से संबंधित सूचना के अनुसार, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के ऐसे कारखानों की संख्या जो विवरणियां भेजते हैं और जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं, क्रमश: 3,457 और 6,934 थी ।

(ख) निर्माण उद्योग में काम करने वाले ऐसे श्रमिकों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जिनको 400 रु० प्रति माह से कम मिलता है, वर्ष, 1966 में क्रमशः 2029 रु० और 2,482 रु० थी (इंडियन लेबर स्टेटिसटिक्स, 1968) ।

औद्योगिक सम्बन्धों पर अध्ययन दल

2228. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों का अध्ययन करने के लिए गठित किये गये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को न कि सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ख) और (ग) इस समय सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस पर विचार किया जायेगा ।

खाद्यान्नों के लिये सीधा खरीद केन्द्र

2229. **श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में हापुड (उत्तर प्रदेश) में एक सीधा खरीद केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को अपनी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में तथा बिचौलियों को हटाने में इस से क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे सीधा केन्द्र खोलने का है ?

खाद्य, कृषि, सादामुयिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इससे किसानों को अपने खाद्यान्नों का उचित मूल्य मिलने का आश्वासन मिलता है ।

(ग) जी हां, जब कभी भी और जहां कहीं भी आवश्यक होगा ।

आन्तरिक उपग्रह संचार

2230. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आन्तरिक उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित करने के लिये संचार उपग्रह के चेयरमैन के साथ हाल ही में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) संचार उपग्रह निगम (कम्यूनिकेशंस सैटेलाइट कार्पोरेशन) के अध्यक्ष से हुई वार्ता उपग्रह संचार के क्षेत्र को व्याप्त करते हुए सामान्य प्रकृति की थी। देश में घरेलू-उपग्रह-संचार-प्रणाली स्थापित करने के विषय में किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया ।

पश्चिम बंगाल में हुए अनाज सम्बन्धी दंगों के बारे में लाहिड़ी आयोग का प्रतिवेदन

2231. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री सुरजीत लाहिड़ी की टिपणी की ओर दिलाया गया है, जिन्हें 1968 में पश्चिमी बंगाल में हुए अनाज सम्बन्धी व्यापक दंगों तथा हिंसात्मक प्रदर्शनों की जांच करने वाले जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो श्री लाहिड़ी की मुख्य टिप्पणी तथा सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या मामले की आगे जांच करने के लिए एक अन्य आयोग स्थापित करने अथवा इसी आयोग का पुनर्गठन करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिबशिन्दे) : (क) श्री सुरजीत लाहिड़ी द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य की समाचारपत्रों में प्रकाशित एक रिपोर्ट सरकार के नोटिस में आयी है ।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1966 में पश्चिमी बंगाल सरकार ने श्री सुरजीत लाहिड़ी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया था जिसे उसकी कार्यवाही पूरी होने से पहले मार्च, 1967 में ही भंग कर दिया गया था। सरकार प्रेस रिपोर्ट में व्यक्त विचारों को मान्यता नहीं दे सकती है। सरकार ऐसा कोई आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं रखती है और न ही अब उसे पुनर्गठित करना चाहती है ।

चीनी मिलों के पास पड़ा स्टाक

2232. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के पास बहुत बड़ी मात्रा में चीनी के स्टाक पड़े हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय चीनी का 5 प्रतिशत स्टाक बिना बिका पड़ा है तथा मिल मालिकों को चीनी का अधिकांश भाग खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने के शीघ्र बाद चीनी के भाव बढ़ कर 520 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गये थे, जो इस समय भाव 285 रुपये प्रति क्विंटल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : शिन्दे) : (क) और (ख) चीनी कारखानों द्वारा चीनी की बिक्री मासिक निर्मुक्ति के द्वारा विनियमित की जाती है जोकि उन्हें उनके उत्पादन के अनुपात में की जाती है। 1967-68 में उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों ने 8.13 लाख मीटरी टन चीनी तैयार की थी जिसमें से 22 मई तक 58.5 प्रतिशत चीनी प्रेषित कर दी गयी थी। अन्य 7.5 प्रतिशत चीनी निर्मुक्त कर दी गयी। जब तक अगले वर्ष के उत्पादन से चीनी उपलब्ध नहीं होती तब तक उत्पादन के शेष 34 प्रतिशत की निर्मुक्ति वर्ष के शेष महीनों में की जाएगी। नवम्बर, 1967 में आंशिक विनियन्त्रण की नीति के लागू होने के तुरन्त बाद खुले बाजार में चीनी का बिक्री मूल्य चढ़ कर 520 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था लेकिन इस समय 320 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में मतदान आयु का कम किया जाना

2233. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जायेगी ताकि अल्पवयस्क भी साधारण निर्वाचन में भाग ले सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भी विद्यार्थियों के संगठनों से इसी प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि भारत में मतदान आयु घटा दी जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास

2234. श्री दे० आमात : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धी० ना० देव : **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री गु० च० नायक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का मूल उद्देश्य दण्डकारण्य क्षेत्र का समन्वित विकास करना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार इस मूल उद्देश्य से भटक गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का विचार अपने नियत्रणाधीन क्षेत्र के निवासी अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी लेने का है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दण्डकारण्य में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्व्यवस्थापन तथा आदिम जातियों के हितों की उन्नति की विशेष रूप से ध्यान म रखते हुए, क्षेत्र के समेंकित विकास की योजना को प्रभावी तथा अति-शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये 1958 में दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की स्थापना की गई थी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य

2235. **श्री दे० आमात :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री धी० ना० देव : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य विकास प्राधिकर कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सहायता दी जानी है ;

(ख) उस क्षेत्र में रहने वाले आदिम जातीय लोगों को क्या क्या लाभ दिये जाते हैं तथा उन्हें पुनर्वास के लिये कितनी सहायता दी जानी है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों और आदिम जातीय लोगों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा उन्हें दी जाने वाली पुनर्वास सहायता में बहुत अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों तथा दण्डकारण्य क्षेत्र में रहने वाले आदिम जातीय लोगों को दी जाने वाली पुनर्वास सहायता तथा सुविधाओं के पैमाने दिये गये हैं,सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 1558/68]

(ग) दोनों मामलों में कार्यक्रमों तथा सहायता के स्वरूप भिन्न है इसलिये असमानता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । पूर्ण रूप से कृषि योग्य बनाई गई भूमि दोनों विस्थापित व्यक्तियों तथा आदिम जातीय लोगों को आलाट की जाती है । एक कृषक विस्थापित परिवार को दी जाने

वाली 3,183 रु० की राशि ऋण के रूप में होती है और उसे ब्याज सहित वसूल किया जाता है जब कि आदिम जातीय परिवारों के मामले में मंजूर की गई 2,565 रु० की सारी धन राशि सीधे अनुदान रूप में होती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय

2236. **श्री कृ० गु० देशमुख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र में प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जायेगा ;

(ख) इस विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करने में किन बातों में ध्यान को रखा गया था ;

(ग) क्या इस स्थान के चयन में सरकार का कोई नियंत्रण अथवा हाथ है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार से सलाह ली गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में बहुत बड़ी राशि दिये जाने पर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नियंत्रण नहीं रखे जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां, विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय के लिए अहमदनगर जिले का रहुरी नामक स्थान का चुनाव किया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को यह पता नहीं है कि स्थान का चुनाव करने के लिए राज्य सरकार ने किन बातों को ध्यान में रखा है ।

(ग) इस स्थान के चुनाव में केन्द्रीय सरकार का कोई नियन्त्रण या हाथ नहीं है ।

(घ) जहां तक केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करने की बात है, प्रश्न ही नहीं होता ।

(ङ) भारतीय कृषि अनसंधान परिषद् सहायता के स्वीकृत प्रतिमान के आधार पर विकास की विशिष्ठ मदों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । यह सहायता भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से दी जाती है । परन्तु विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य-अधिनियमनों के अन्तर्गत की जाती है और उनका प्रबन्ध इन अधिनियमनों के अनुसार निर्मित कार्य परिषदों या प्रबन्ध मण्डलों या अन्य निकायों द्वारा किया जाता है । प्रायः इन निकायों में राज्य अधिनियमों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधित्व रखने की व्यवस्था होती है । परन्तु कृषि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थायें हैं, अतः उन के प्रशासन पर परिषद् का अपना कोई

नियंत्रण नहीं है। केन्द्रीय सरकार स्थान के चुनाव के बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में इस बात की व्यवस्था मौजूद है कि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय के स्थान का चुनाव राज्य सरकार करेगी ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारी

2237. **श्री प्र० रं० ठाकुर:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2287 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं ,तो यह जानकारी कब सभा पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिबशिन्दे) :

(क) तथा (ख) आश्वासनों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी एक विवरण 29-7-1968 को सभा पटल पर रखा था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विस्थापित व्यक्ति

2238. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथ पुनर्वास** मंत्री 25 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8537 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमुह में अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब तक उपलब्ध की जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास उपमंत्री (श्री डी० आर० चव्हान) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्दमान प्रशासन से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से आये जो 2761 परिवार 1949 तथा 1963 के बीच अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसाये गये थे उनमें से पूर्वी पाकिस्तान में लागू आदेशों के अनुसार, 2138 परिवार अनुसूचित जातियों के थे । इनमें से 46 परिवार द्वीपसमूह को छोड़कर चले गये थे या वापिस भेज दिये गये थे ।

(ग) जानकारी पहले ही 29 जुलाई, 1968 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है ।

महाराष्ट्र में नकली उर्वरक का विक्रय

2239. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1968 के ब्लिट्ज में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में 20 लाख के मूल्य का नकली उर्वरक बेचा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). जी हां । अवमानक उर्वरकों का, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के निर्दिष्ट विशेष निर्देशों के अनुरूप बैठने, विक्रय करना आदेश का उल्लंघन है और एसोन्शियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है । राज्य सरकारों को इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को कठोर दण्ड का अधिकार है । महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों से, जिनका इस विषय में सम्बन्ध है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अविलम्नीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चेकोस्लोवकिया-रूस विवाद

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : श्रीमन, नियम 197 और संविधान के अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । संविधान के अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत सरकार का कर्तव्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का है ।

चेकोस्लोवाकिया और रूस मित्र राष्ट्र हैं । यदि हमने उनके मामले में कोई हस्तक्षेप किया, तो वे देश हमारे शत्रु बन जायेंगे । हमारा पिछला अनभव भी यही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी पहलुओं पर विचार करके इस ध्यान आकर्षण सूचना को स्वीकार किया है । एक माननीय सदस्य ने मुझे बताया कि उन्होंने भी पिछले दिन ध्यान आकर्षण सूचना दी थी । श्री समर गुह का नाम उसमें था, अत: उनका नाम सूची में चौथे स्थान पर रखा जायेगा ।

Shri Kanwal Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, I beg to draw the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public Importance and request that a statement be made thereon:

"Czeck-Soviet Dispute and efforts made by Government of India in that regard."

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमन्, जैसा कि इस सभा को विदित है कुछ मास पूर्व चैकोस्लोवाकिया में नये नेताओं ने कार्य भार संभाला। वे उस देश की नीतियों में और आन्तरिक ढांचे में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। इससे वार्सा संधि के सदस्यों में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई। इस समय रूस तथा चैकोस्लोवाकिया के साम्यवादी दलों में बातचीत चल रही है और इसके परिणाम अभी ज्ञात नहीं है। भारत सरकार नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर इस समय अपना मत व्यक्त करना ठीक नहीं समझती। हम आशा करते हैं कि यह मामला शांतिप्रिय ढंग से निपटाया जायेगा। हम यह भी आशा करते हैं कि यूरोप में शाँति बनी रहेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, the people of this country cannot view with equanimity the developments going on there and they are agitated over the patent delay in finding a suitable solution to the problem. Our Government has so far acted like a passive spectator.

The Prime Ministers of U.K., Rumania and Bulgaria, President Tito and other countries have expressed concern in this matter. Some years back in this case of Hungry we remained repicent in the beginning and we expressed our concern only when matters came to a head later on. I would like to quote a few excerpts from the resolution of the Communist Party of Czechoslovakia.

> "Our development today is a development corresponding to our present Czechoslovak conditions; it was with the awareness of responsibility before our nation that the Party has taken this road. That is why, however, the Party Central Committee considers it necessary to stress in the present situation that attempts to present our course as a certain obligatory 'model' for all socialist countries are wrong in principle as to content, and politically harmful both for us and for the development of our relations to the allied socialist countries.
>
> "The existence of differences among communist parties should not, however, negatively affect their mutual relations. In accord with the Action Programme, we shall explain and defend our standpoint that our internal development is the sovereign affair of Czechoslovakia. We do not interfere with internal political questions of other countries and we demand the same as regards their relations to our country."

The only thing that the people of Czechoslovakia want is that nobody should interfere in their internal affairs. They want to give freedom of speech and expression to their people. We have all along advocated the policy of non-interference in the affairs of other countries and adhered to the principles of Panchsheel. I want to know whether Government would stick to this policy or not?

Secondly, have our Government conferred with the Government of Czechoslovakia over this issue and also with other like-minded countries to bring an end to the hostilities there?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह प्रश्न काल्पनिक है। जैसा कि मैंने कहा दोनों देशों के बीच बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये कोई मत व्यक्त करना उचित नहीं हैं। जहाँ तक हस्तक्षेप न करने का सम्बन्ध है, हमने अपने विचार स्पष्ट रुप से प्रकट कर दिये हैं। चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में भी हमारे विचार वही हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या हमने वहाँ के लोगों से बातचीत की ह। मैंने पत्र नहीं लिखे हैं। किन्तु राजनयिक सूत्रों द्वारा हम इन सब देशों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। अन्य देशों के साथ इस विषय पर इस समय बातचीत करना मैं उचित नहीं समझती।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): May I know the contents of the report sent by our Ambassador in Prague as also the extent of the Soviet military might deployed to exert pressure?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे विश्वास है कि आप मुझ से रुस की सैनिक शक्ति जानने की आशा नहीं करेंगे। हमें अपने राजदूतों से रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं ; किन्तु मैं नहीं समझती कि उन्हें सभा पटल पर रखा जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, the hon. Prime Minister has stated, 'The Government of India do not consider it desirable to express views on the merits of the issues currently being discussed." At the same time she says that we have made our stand clear to Czechoslovakia. I am at a loss to understand as to why it has not been made known to the people of India. Sir, the people of Rumania and Yugoslavia who have gone there, are not American agents and they have stated that so far as Warsaw Pact is concerned, friendly relations will be maintained with Russia. In view of our strict adherence to the five principles Panchsheel, the hon. Prime Minister ought to have emphatically asserted that a small country like Czechoslovakia which wants to bring about internal reforms, should not be destroyed by military pressure and threats.

Shrimati Indira Gandhi: When the situation is very delicate, it is the duty of the Government to see that it does not take any step which would further escalate the situation. We have not abandoned our policy. So far as the question of writing is concerned, there are so many Governments in the world, but on behalf of Government no one has intervened. The countries which are speaking in this matter have different type of relations with them. At present it is not advisable for us to do anything. The leaders and the people of Czechoslovakia know fully well as to what is in their interest and they are tackling the situation.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : आज जब हम लोकमान्य तिलक का जन्म दिन मना रहे हैं तब हम मानवीय स्वतन्त्रता की समस्याओं के प्रति उदासीन हैं. . .

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) : भारत और अमरीका के बीच चल रही बातचीत के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है और वह उन्होंने शब्दों के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए दिया है। हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यदि इसके बीच कोई सदस्य उठकर बोलता है तो मुझे सभा को स्थगित करना पड़ेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे अपने प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा अमरीका में कहे गये ये शब्द याद आते हैं

> "जहाँ स्वतन्त्रता को खतरा है, न्याय करने वालों को धमकी दी जाती है और अतिक्रमण होते हैं, भारत तटस्थ नहीं रह सकता।"

यहाँ तक रुमानिया और यूगोस्लाविया, दोनों साम्यवादी देश चेकोस्लोवाकिया की मदद के लिये उठ खड़े हुए हैं। क्या भारत अपने मित्र रुस और उसके नेताओं को यह सूचित करेगा कि यदि रुस के नेताओं और चेकोस्लोवकिया के नेताओं के बीच समानता के आधार पर बातचीत होती है तो भारत इसका स्वागत करेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : भारत सदा न्याय, स्वतन्त्रता और शान्ति के लिये लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा।

श्री रंगा (सिरिकुलम) : चाहे आपकी राजनीति कुछ भी क्यों न हो, क्या आप कमज़ोर के प्रति सहानभूति प्रदर्शित नहीं कर सकते।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आपके रवैये में हुए परिवर्तन का स्वागत करती हूं। आपका रवैया उनके प्रति सदा मित्रता का रहा है। इस समय हमें इस मामले पर अपने विचार व्यक्त न करने चाहिये। जहाँ तक लोकतन्त्र और उदारतावाद के सम्बन्ध में हमारे विचारों का प्रश्न है, हमारे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि चेकोस्लोवाकिया के नेता हमारे विचारों का पूर्णतया स्वागत करते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार ने रूस सरकार को लिखा है कि इन मामलों में रुस सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और उसका उत्तर सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं और मेरे लिये यह कहना उचित नहीं है कि किसको क्या लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है आप लोगों ने सूचना दी है परन्तु इस प्रकार प्रत्येक सदस्य उठने लगेगा तो सभा की कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने के बाद और पहले भी कुछ सदस्यों ने मुझे इस विषय पर चर्चा करने के लिये लिखा था। पहले वह वैदेशिक मामलों पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन बाद में वह इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे। इस विषय पर मैं कार्य मंत्रणा समिति के विचार करुंगा जहाँ विपक्षी दल के सदस्य भी अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

सभा पटल पर रख गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जिसमें 1968-69 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्किट से ऋण प्राप्ति के परिणाम बताये गये हैं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1538/68**]

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सभा-पटल पर रखता हूं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1539/68**]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डा० एरिंग) : मैं, श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अन्तर्गत अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1373 की एक प्रति जो दिनाँक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 17) जो दिनाँक 28 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उत्तर प्रदेश चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 18) दिनाँक 28 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत एक शुद्धिपत्र जिसके द्वारा जी० एस० आर० संख्या 1753 और 1754 के रूप में 5 दिसम्बर, 1968 को सभा पटल पर रखी गयी दो अधिसूचनाओं की संख्याओं तथा भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथियों में शुद्धि की गई।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1540/68**]

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : मैं, श्री म० चु० ज़मीर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत खान (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनाँक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 966 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1541/68]

(2) वर्ष 1965-66 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1542/68]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"मुझे लोकसभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि 30 जुलाई, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक, 1967 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय राज्य के 66 वें सत्र '(नवम्बर-दिसम्बर, 1968) के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक और बढ़ाया जाये ।"

सभा की कार्यवाही के बारे में

RE: PROCEEDINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : 29 जुलाई, को श्री यशपाल सिंह द्वारा स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश को अस्वीकृत करने और उप-प्रधान मंत्री द्वारा स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी । श्री यशपाल सिंह द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् अध्यक्ष ने संकल्प को सभा की अनुमति से वापिस ले लिया ।

30 जुलाई, को श्री यशपाल सिंह ने अनुरोध किया कि वह संकल्प को वापिस नहीं लेना चाहते और उनकी टिप्पणी कि वित्त मंत्री को विधेयक को वापिस ले लेना चाहिये, को उनके संकल्प को वापिस लेने की इच्छा समझा गया । वह इस प्रक्रिया को ठीक करना चाहते थे ।

मैंने 29 जुलाई को लोक सभा वाद-विवाद की प्रति देखी है । यह सच है कि श्री यशपाल सिंह ने अपने भाषण के अन्त में यह कहा था कि वह उप-प्रधान मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह अपने संकल्प को वापिस ले लें । शायद सभापति ने यह सोचा कि सदस्य महोदय अपना संकल्प वापिस लेना चाहते थे । अतः इस बात को मैंने सभा के सामने लाना उचित समझा ताकि इस बारे में कोई गलत-फहमी न हो । यद्यपि संकल्प की वापिसी अन्तिम है ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री मो० एन० मसानी (राजकोट) : प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की लोक लेखा समिति से श्री एम० एम० धारिया के त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्तता में समिति की कार्याविधि के 30 अप्रल, 1969 को समाप्त होने वाले शेष भाग के लिए समिति से सहयोजित किये जाने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की लोक लेखा समिति से श्री एम० एम० धारिया के त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्तता में समिति की कार्याविधि के 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त होने वाले शेष भाग के लिए समिति से सहयोजित किये जाने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

अन्तर्राज्य जल विधेयक (संशोधन) विधेयक, 1968—जारी

INTER STATE WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 1968—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सरकार डा० कु० ल० राव द्वारा प्रस्तावित अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968 पर चर्चा करेंगी। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए दो घंटे नियत किये थे और हम इस पर 2 घंटे 35 मिनट से अधिक समय पर चर्चा कर चुके हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसका उत्तर दें। खंडवार चर्चा के समय संशोधनों पर विचार किया जायेगा।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

देश में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ हैं और इनके बारे में लगभग सब समस्यायें हल हो चुकी हैं अब केवल दो विषय ऐसे रह गये हैं जो विवाद का कारण हैं। ये विवाद कृष्णा-गोदावरी तथा नर्मदा के बार में हैं।

अब विभिन्न राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। परियोजनाओं की मंजूरी न किये जाने के कारण विकास में बाधा आ रही है। विवाद का सिंचाई या देश के खाद्य उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। केवल नर्मदा के मामले में ही अपवाद है। किसी भी देश ने 20 वर्षों से कम अवधि में 450 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। यह प्रशंसनीय काम है।

परम्बीकुलम अलीअर परियोजना के बारे में अभी मद्रास और केरल के बीच कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

इसी प्रकार श्री महाराज सिंह भारती ने भी यह आरोप लगाया है कि किसाऊ परियोजना सरकार ने जानबूझ कर स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सरकार इस मामले में विवाद उत्पन्न करना चाहती थी ।

यह सच नहीं है क्योंकि किसाऊ योजना के बारे में लगभग पाँच वर्ष पूर्व समझौता किया गया था और यदि हम उस परियोजना पर कार्य आरम्भ नहीं कर सके हैं तो वह के वल वित्तीय कठिनाई के कारण । इस परियोजना के द्वारा आगरा और उससे लगे क्षेत्रों में हम सिंचाई कार्य में विकास कर सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प्र० तक स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प्र० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

डा० कु० ल० राव : कुछ सदस्यों यह कह रहे थे कि इन विवादों के ही कारण पी० एल० आवात अभी चल रहे हैं । लेकिन ऐसा नहीं है जीवन स्तर बढ़ जाने और जनसंख्या में भारी वृद्धि हो जाने के कारण खाद्यान्न की कमी हुई है । इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम इस कमी को दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सिंचाई परियोजनाओं की गति को तेज़ करना चाहिये और उन्हें अधिक तेज़ी से पूरा करना चाहिये और हमें और परियोजनाएं हाथ में लेनी चाहिये ।

हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि हमें नौपरिवहन के लिये अन्तर्देशीय नदी व्यवस्था का विकास करना चाहिये । वास्तव में इसके संबंध में केवल धन की कठिनाई है । अन्यथा हमने इन नौपरिवहन परियोजनाओं को पूरा कर लिया होता । हम देश का विकास करना चाहते हैं और इसके लिये काम भी कर रहे हैं । यदि इस बारे में कुछ नहीं किया गया है तो वह विवाद के कारण नहीं बल्कि धन की कमी के कारण है ।

बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि यदि कोई विवाद हो तो हमें उसे शीघ्र न्यायाधिकरण को सौपना चाहिये । न्यायाधिकरण को सौंपने का उपाय अन्तिम उपाय होना चाहिये । इन अन्तर्राज्य नदी समस्याओं का हल दो प्रकार से किया जा सकता है । प्रथम अन्तर्राज्यों के बीच मुकदमेबाजी और अन्तर्राज्यों के बीच बातचीत द्वारा । न्यायाधिकरण को हम जितना कम प्रोत्साहन दें उतना अच्छा है । हमें केवल उन्हीं मामलों में न्यायाधिकरण की शरण लेनी चाहिये जिन मामलों में इसका हल किसी और तरीके से होना सम्भव न हो ।

इन विवादों को केवल बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिये । यही इसका उपयुक्त तरीका है । एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह मामला न्यायाधिकरण को 1956 में क्यों नहीं सौंपा था । मेरा कहना यह है कि यह विवाद ही 1960 में खड़ा हुआ ।

नर्मदा पानी के बारे में भी उल्लेख किया है । मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में नर्मदा पानी की मात्रा के बारे में पूरी तरह सहमति है । थोड़ी सी बातों पर ही विवाद है । यह कहना ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश का बहुत क्षेत्र में जलग्रस्त हो जायेगा । जितना क्षेत्र जलग्रस्त होगा उसके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को पता है । हम तो यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश तथा गुजरात के मुख्य मंत्री आपस में बातचीत करके इसे तय कर लें । हम उनके विवाद में पड़ना नहीं चाहते । यह सच है कि गुजरात सरकार ने इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने के लिये प्रार्थना की है परन्तु हमने उसे अपने पास रोक रखा है । मुझे अब भी आशा है कि हम इस मामले को बातचीत से सुलझा लेंगे ।

संविधान के अनुच्छेद 262(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को नदी विवादों में पड़ने का अधिकार नहीं है ।

श्री शिवाजी देशमुख ने कहा है कि न्यायाधिकरण को अन्तरिम प्रतिवेदन देना चाहिये । मेरा कहना यह है कि न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी अपील नहीं हो सकती । इस कारण हम न्यायाधिकरण के कार्यक्षेत्र में दखल नहीं देंगें । हम न्यायाधीशों पर कोई नियन्त्रण नहीं लगा सकते ।

मेरी समझ में नहीं आया कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी को यह भ्रम कैसे हुआ कि हम उपबन्ध कर रहे हैं कि जब तक सारे राज्य सहमत न हो जायें, हम न्यायाधिकरण स्थापित नहीं कर सकते । वास्तव में बात यह है कि एक राज्य से प्रार्थना प्राप्त होने पर मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है परन्तु केन्द्रीय सरकार को सन्तुष्ट होना होगा कि यह मामला सौंपने के योग्य है तथा इसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि न्यायाधिकरण के सदस्य ऐसे हों जिनसे अधिक से अधिक विश्वास उत्पन्न हो सके । कुछ सदस्यों ने कहा है कि न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों का सम्बन्ध उन राज्यों से नहीं होना चाहिये जिनका झगड़ा है । हमारे न्यायाधीशों की निष्पक्षता की ख्याति का विश्व भर में सम्मान है । इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं इस बात का ध्यान रखेंगे कि किन न्यायाधीशों की इस सम्बन्ध में नियुक्ति करनी चाहिये । इस कारण मैं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

मैंने सदस्यों की यह बात मान ली है कि न्यायाधिकरण के सदस्य केवल कार्यरत न्यायाधीश ही हों, न कि कार्यनिवृत न्यायाधीश ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा करेगा ।

खण्ड 2—(धारा 4 का संशोधन)

श्री लोबो प्रभु : (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जे० महम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं अपने संशोधन संख्या 3 तथा 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा (मारमागोआ) : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 9 तथा 11 प्रस्तुत करता हू ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 1, पंक्ति संख्या 8 से 11 के स्थान पर निम्न रखो :

"(2) न्यायाधिकरण के सदस्य एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य व्यक्ति होंग जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश उन व्यक्तियों में से मनोनीत करेंगे जो मनोनयन के समय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों ।"

श्री लोबो प्रभु : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे तीन संशोधनों में से दो को स्वीकार कर लिया है । न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा है कि वह व्यक्ति होंग जो नियुक्ति के समय न्यायाधीश होंगे । मुझे संदेह है कि कहीं वे व्यक्ति नियुक्त न कर दिये जायें जो उस समय तो न्यायाधीश हों परन्तु शीघ्र ही पदनिवृत्त कर दिये जायें । इसलिये स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि केवल वह व्यक्ति जो उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों ।

मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह था कि इन राज्यों के न्यायाधीश नहीं होने चाहिये जिनका विवाद से सम्बन्ध हो । इससे निष्पक्षता दिखाई भी देगी ।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मेरी यह बातें स्वीकार करेंगे ।

श्री इरास्मो डी सेक्वीरा (मारमागोआ) : मैंने तीन सशोधन पेश किये हैं । एक में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करे । बात यह है कि उच्चतम न्यायालय का सम्मान है तथा उसके निर्णयों को बिना संदेह स्वीकार कर लिया जाता है ।

हम यह सब स्वीकार करते हैं कि विवाद का निवारण बातचीत से ही हो जाना अच्छा है । रन्तु यदि एक निर्धारित समय तक यह मामला बातचीत से हल न हो तो फिर वह स्वयं न्याय-निर्णयन के लिये सौंप दिया जाये ।

मेरे दूसरे संशोधन में कहा गया था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की न्यायाधिकरण पर नियुक्ति नहीं की जायेगी ।

मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि यदि कोई न्यायाधीश किसी राज्य से सम्बन्ध रखता है तो वह अपने राज्य के हक में ही निर्णय देगा ।

मेरा कहना यह है कि यह मामले केवल उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के ही पास जाने चाहियें । यह कहना ठीक नहीं कि उनके पास समय नहीं है । बात यह है कि यह मामले इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके लिये समय निकालना ही होगा । मैं फिर एक बार अपील करता हूं कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद केवल उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को ही सौंपने चाहियें ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : महोदय मैं ने तीन संशोधन पेश किये थे जिनमें से एक को स्वीकार कर लिया गया है ।

मैं श्री लोबो प्रभु से सहमत हूं कि न्यायाधीशों का सम्बन्ध उन राज्यों से नहीं होना चाहिये जिनका विवाद उनके सामने आये । बात यह है कि यह ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध लाखों लोगों से है ।

मैं स्वयं तो एक व्यक्ति के न्यायाधिकरण के हक में हूं परन्तु मन्त्री महोदय ने न्यायाधीशों की संख्या एक से बढ़ा कर तीन कर दी है । यह अधिनियम 1956 में पारित हुआ था परन्तु इस पर 1968 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

हाल ही में मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जब कि आन्ध्र प्रदेश का स्वयं विवाद से सम्बन्ध है । ऐसा करने से लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होगा ।

मेरे दूसरे संशोधन में कहा गया है कि विवाद के बारे में प्राप्त प्रार्थना पर छः मास के अन्दर ही न्यायाधिकरण की नियुक्ति होनी चाहिये । ऐसे करने से राज्य मुकदमेबाजी तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बच सकेंगे । मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मेरे विचार में विवाद के सुलझाने का छः मास का जो समय दिया गया है वह ठीक है । समझौता पहले से हो जाये तो ठीक है परन्तु यदि न हो पाये तो उस पर समय नष्ट नहीं करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि समझौते को राजनीतिक शक्ति के आधार पर संदेह किया जाता है ।

न्यायाधीशों के बारे में संदेह करना उचित नहीं है ।

यदि विवाद को उचित समय पर नहीं सुलझाया जाये तो राजनीति के प्रभाव के कारण वह मामला खराब हो जाता है ।

मैं मंत्री महोदय से सहमत नहीं हूं कि जल विवाद के कारण खाद्य उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

डा० हु० ला० राव : मैं ने जो कुछ कहना था वह कह दिया है। मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। जो न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे उन से आशा है कि वे अपना कार्य शीघ्रता से समाप्त करेंगे। फिर मुख्य न्यायाधीश भी न्यायाधीश नियुक्त करने से पूर्व इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसे नियुक्त करना है।

श्री मुहम्मद इमाम का यह आरोप ठीक नहीं है कि मैं ने आंध्र प्रदेश के इंजीनियर को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का अध्यक्ष बना दिया। यह नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है और उन्होंने ही यह चयन किया है।

मैं सब सशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 16 को छोड़ कर बाकी सब संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत किया हुआ संशोधन संख्या 16 सभा के मतदान के लिये रखता हूं, जो इस प्रकार है :

पृष्ठ 1, पंक्ति संख्या 8 से 11 तक के स्थान पर निम्न रखें :

"(2) न्यायाधिकरण के सदस्य एक अध्यक्ष तथा दो अन्य व्यक्ति होंगें जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश उन व्यक्तियों में से मनोनीत करेंगे जो मनोनयन के समय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कुछ संशोधन हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बात स्वीकार करली है कि केवल उच्चतम न्यायालय के कार्यरत्त न्यायाधीशों को ही न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जायेगा ।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त हैं वह सब को विदित हैं । जबसे इस सम्बन्ध में अधिनियम बना है तब से एक भी मामला न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा है । मैं अपने संशोधन में श्री देवराव पाटिल के संशोधन को स्वीकार करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

Shri Deorao Patil: Sir, my amendment will be covered if Shri Deshmukh's Amendment is accepted. I want "Equitable Principles" to be put in the place of "General Principles".

डा० बु० ल० राव : महोदय मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 15 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 सदन के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री देवराव पाटिल : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० कु० ल० राव : मैं सरकारी संशोधन संख्या 6 तथा 17 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 6 इस प्रकार है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 से 12 तक,

"केन्द्रीय सरकार धारा 4 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार रिक्त स्थान भरने के लिये एक और व्यक्ति नियुक्त करेगी "

के स्थान पर

"ऐसा रिक्त स्थान धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा ।"

रखा जाये ।

संशोधन संख्या 17,

पृष्ठ 2, पंक्ति 14

"जिस समय रिक्त स्थान भरा जाये उस समय से"

के स्थान पर

"रिक्त भरने के बाद से तथा उस समय से जब स्थान रिक्त हुआ "

रखा जाये ।

श्री लोबो प्रभु : सरकार ने मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया है परन्तु उसमें अनावश्यक शब्द और लगा दिये हैं । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये ।

Shri Deorao Patil: Sir, with the Government's moving its own amendment the purpose of my amendment is fulfilled and hence I, with the leave of the House, withdraw my amendment.

Secondly, the Government has accepted that only serving judges would be appointed to the tribunal. I want that since we are already short of judges the Government should see to it that no delay takes place in the settlement of disputes due to this reason.

डा० कु० ल० राव : मैं अन्य सभी सशोधनों का विरोध करता हूं और सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन संख्या 6 और 17 को स्वीकार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री देवराव पाटिल को संशोधन संख्या 1 वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखी गई तथा अस्वीकृत हुई ।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

6. पृष्ठ 2, पंक्ति 10 से 12—

धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को रिक्त स्थान भरने के लिए अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिये । (the Central Government shall appoint another person in accordance with the provisions of sub-clause (2) of Section 4 to fill the vacancy).

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायें :

"धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे रिक्त स्थान को भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामांकित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जायेगा ।" (Such vacancy shall be filled by a person to be nominated in this behalf by the Chief Justice of India in accordance with the provisions of sub-clause (2) of Section 4)

17. पृष्ठ 2, पंक्ति 14—

"जिस अवस्था से रिक्त स्थान भरा जाता है ।" (from the stage at which the vacancy is filled)

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द भरे जायें :

"रिक्त स्थान भरे जाने के बाद तथा जिस अवस्था से रिक्त स्थान होता है" (after the vacancy is filled from the stage at which the vacancy occurred).

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड को संशोधित रूप में सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 5, 6 और 7 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 5, 6 and 7 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० कु० ल० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

That the Bill, as amended, be passed.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

Shri Randhir Singh (Rohtak): The inter-State water disputes remain pending for years together. It takes too much time to settle them. I would suggest that some time-limit should be fixed for settling them.

Gurgaon Canal and Kisan Barrage disputes are pending for a long time. Some time-limit should be fixed for the settlement of these disputes otherwise they will continue for other few years.

Judges from the concerned State should not be appointed in the Tribunal i.e. if the dispute is among the Southern States Judges from the North should be appointed and if reverse is the case then judges from the Southern States should be appointed in this tribunal. Retired Judges from Supreme Court as well as High Courts should also be appointed in the tribunal.

There is every possibility that number of Inter-State water disputes will rise in future. Therefore large number of Judges would be required to solve the disputes. Hence it will not be possible for the Supreme Court Judges to cope with the increased work. I would, therefore, request the hon. Minister to reconsider the matter of not appointing the High Court Judges in the tribunal.

Shri Balraj Madhok (South Delhi): I welcome the Bill. It is good to have three judges in the tribunal instead of one.

Water is a very important thing and issues concerning it should not be kept pending for a long time. A time limit under the rules should be fixed for the tribunal to give its award.

I am not prepared to accept that the inter-State water disputes have not affected our irrigation potentialities and production adversely. Had Narmada river dispute been settled more land in Madhya Pradesh would have brought under irrigation. Production would have increased in these two States.

National interest should be kept in mind at the time of settling these disputes. It should be made clear to the tribunal that its decision should benefit the whole country.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): Amicable settlement has been reached between Rajasthan and Madhya Pradesh so far as Chambai Project is concerned. As a result of this settlement lakhs of Bigas of land have been brought under irrigation. Similarly some agreement has been reached among Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh in regard to the Narmada Project. But these Inter-State water disputes will arise in future also because we do not take the things in the national interest and because parochialism overwhelmed us sometimes. We should try to reach upon some agreement rather to refer these disputes to the tribunal. I will suggest that Central Government shall control and run these projects. We should take national interest in view and regionalism should not be allowed to come in the way while solving these disputes.

Shri S. M. Joshi (Poona): I support the Bill at its third reading. This is a step whereby, I hope, we will be able to solve our disputes quickly.

Although the hon. Minister has laid emphasis on the agreement yet everything cannot be settled in that way. First of all we should settle the principles of the agreement. If the agreement in regard to the principles is reached then it would be easy for the judges to give their decision quickly.

We should have faith atleast in Chief Justice of Supreme Court. In view of this Shri Lobo Prabhu should not mind if his amendment has not been accepted. There should be a provision to appoint more judges, if necessary, but decision must be taken at the earliest.

I welcome and support this Bill.

Shri Manubhai Patel (Dabhoi): It may be pointed out that water disputes among various States have endangered unity of our country. If a particular State makes some progress, it would be the progress of our country. There should not be any water dispute in the couitry. Politics should not be allowed to pollute water. It would be better if such disputes are settled by negotiations, otherwise tribunals should be asked to give early decision and same should be binding on all the sides. There should also be a time limit fixed for such decisions. In my opinion, a decision should be taken within six months.

श्री स० दा० पाटिल (सांगली) : यह संशोधन बहुत ही साधारण है परन्तुइसका भी अपना महत्व है। इस संशोधन में न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश के स्थान पर तीन न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में हमें आशा है कि उनको भेजे गये मामले के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। हमारा यह अनुभव है एक व्यक्ति वाला न्यायाधिकरण समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं कर सकता क्योंकि इस प्रकार के पानी सम्बन्धी विवादों में कई समस्याएं अन्तर्ग्रस्त होती हैं। अतः न्यायाधिकरण में तीन न्यायाधीश होने चाहियें।

श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि इस प्रकार के विवादों को हल करने के एक स्थायी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिये। उसी निर्णय के अनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

यह सुझाव दिया गया है कि न्यायाधीशों के चयन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें। मर विचार में एसा कोई प्रबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये क्योंकि न्यायाधीश तो न्यायाधीश ही होता है और उस जनता क प्रति नहीं, समस्या के प्रति न्याय करना होता है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): The hon. Minister is aware that there is a problem of water logging in my constituency. Necessary steps should be taken to solve the same.

श्री रा० ढो० भन्डारे (बम्बई मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 94 में लिखा है कि विधेयक, संशोधित रूप में, यथास्थिति पारित किया जाये। परन्तु अब सामान्य चर्चा की जा रही है .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि अन्तिम अवस्था में इस विधेयक पर अधिक चर्चा की जा रही है। परन्तु बात यह है कि बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं और यह विषय भावात्मक है।

श्री दत्तात्रय कुंट (कोलाबा) : हमें नियमों का पालन करना चाहिये और यदि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाना आवश्यक है तो नियमों में सशोधन किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यथासम्भव वाद-विवाद को सीमित रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु यदि किसी माननीय सदस्य को कोई स्थानीय शिकायत है तो उसे बताने के लिये उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री बेबकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : इस विधेयक से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जल विवादों के साथ निपटने के लिये बनाये गये कानून पर्याप्त नहीं थे। मेरे विचार में उनमें केवल संशोधन करने से भी उक्त विवादों को हल नहीं किया जा सकेगा। जब तक केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग नहीं करती तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। फिर वर्ष 1919 तक जल का विषय केन्द्रीय रहा है।

यह बात सब ने स्वीकार की है कि नदियां राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं । अतः मंत्री महोदय को इस कानन को भेजते समय राज्यों को यह भी बताना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार उन्हें यह अन्तिम अवसर दे रही है कि वे जल-विवादों को मैत्रीपूर्ण ढंग से अथवा मध्यस्थता द्वारा हल कर लें, अन्यथा इस विषय को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

पिछले सत्र में यह बात स्वीकार की गयी थी कि नर्मदा नदी के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करते हुए श्री खोसला ने सुझाव दिया था कि राजस्थान के बाड़मेर और जालोर ज़िलों के बहुत बड़े क्षेत्र की नर्मदा के पानी द्वारा सिंचाई की जानी चाहिये क्योंकि इससे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी । अतः खाद्य उत्पादन के हित में श्री खोसला की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : भारत सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि न्यायाधिकरण का गठन होते ही मैसूर और आन्ध्र प्रदेश का जलविवाद उन्हें भेज दिया जायेगा । मंत्री महोदय को यह आश्वासन भी देना चाहिए कि वह ऐसे विवादास्पद मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि विधेयक के तीसरे वाचन में माननीय सदस्यों ने इतनी अधिक समस्याओं को उठाया है और इतने अधिक सुझाव दिये हैं कि मैं यह महसूस करने लगा हूं कि देश में सिंचाई का तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

प्रैस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक

PRESS AND REGISTRATION OF BOOKS (AMENDMENT) BILL

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1967 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumala Rao in the Chair]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रैस तथा पुस्तकों का रजिष्ट्रीकरण अधिनियम, 1967 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य होगा । हम एक एक कानून को जम्मू तथा कश्मीर पर लागू करने के लिये कब तक अधिनियम पारित करते रहेंगे । यदि सरकार ने कल्पना से काम लिया होता तो कश्मीरियों का भारत में तथा भारतीयों का कश्मीर में बसना सम्भव हो सकता था । कश्मीर की जनसंख्या का रूप बदल जाता और सम्भवतः कश्मीर की कोई समस्या ही न रहती । जम्मू तथा कश्मीर और शेष भारत के बीच इस बनावटी अन्तर को समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये ।

वर्ष 1965 में संसद ने यह विधेयक पास किया था कि 1 नवम्बर, 1965 से दो महीने के अन्दर जम्मू तथा कश्मीर में विभिन्न प्रैसों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों द्वारा समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के पास नई घोषणाएं दर्ज करायी जायेंगी, परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है । वास्तव में इस कालावधि में प्रैस के गैर-जिम्मेदार समाचारपत्रों ने भारत के विरुद्ध अश्लील प्रचार किया है और उससे एकीकरण की प्रक्रिया को धक्का लगा है । इस सम्बन्ध में मेरा रचनात्मक सुझाव यह है कि सरकार को जम्मू तथा कश्मीर में और शेष भारत में प्रैस स्थापित करने चाहियें जहां से उपयुक्त लागत पर समाचार प्रकाशित हो सकें । ऐसा करने से लोकतंत्रीय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी ।

समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का काम अखबारी कागज़ का कोटा निश्चित करना है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे समाचारपत्रों को दिये जाने वाले अखबारी कागज़ पर नियंत्रण रखने के लिये उसके पास कर्मचारियों की संख्या कम है जिसका परिणाम यह होता है कि अखबारी कागज़ का वितरण ठीक प्रकार से नहीं होता और वह चोर बाज़ार में बिकता है ।

यदि रजिस्ट्रार को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं दिये जा सकते तो अखबारी कागज़ के वितरण का काम वाणिज्य मंत्रालय को करना चाहिये ।

सरकार 20 वर्षों में भी देश के लिये अपेक्षित अखबारी कागज़ का उत्पादन करने में असमर्थ रही है और अब भी अखबारी कागज़ के आयात पर काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है । इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार को देश में अखबारी कागज़ तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे हम चौथी पंचवर्षीय योजना में अखबारी कागज़ के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें ।

राज्य सरकारें समाचारपत्रों में विज्ञापन देने के मामले में भी ऐसे समाचारपत्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं । इसलिये केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को केवल उन परिस्थितियों में लिखना चाहिये जब ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो ।

जम्मू तथा काश्मीर का भारत के साथ एकीकरण होना चाहिये परन्तु काश्मीर के प्रति हमें तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनानी चाहिये । वास्तव में श्रीनगर में टेलीविजन की व्यवस्था करने के लिये 1.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । परन्तु बम्बई, कलकत्ता तथा भारत के विभिन्न शहरों में टेलीविजन की व्यवस्था नहीं है ।

श्री इन्द्र जीत मल्होत्रा (जम्मू) : माननीय मंत्री द्वारा सभा में पेश किये गये इस संशोधन का मैं स्वागत करता हूं । इस अधिनियम में 2 वर्ष पहले भी संशोधन किया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अवधि में क्या हुआ । मैं मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विलम्ब राज्य सरकार की ओर से हुआ अथवा केन्द्रीय सरकार की ओर से ।

यह कहा गया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में समाचार-पत्र गैर-जिम्मेदार हैं । यह कहना गलत है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य में समाचार-पत्रों तथा प्रकाशनों का संचालन देशभक्त लोगों द्वारा किया जाता है । उन्होंने कभी भी कोई गैर-जिम्मेदार बात नहीं की है हालांकि राज्य में अनेक बार तनाव पैदा हुआ ।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इस सभा को एक दिन यह निर्णय करना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या कानूनी कार्यवाही करें जिससे सरकार को बार बार इन छोटे छोटे संशोधनों को सभा में न लाना पड़े । परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्त के पीछे जम्मू और काश्मीर के बारे में बहुत सी बातें कही हैं ।

उन्होंने कहा कि जम्मू और काश्मीर की जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिये । पहिले आप देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे करने वाले व्यक्तियों के स्वरूप और दृष्टि-कोण में परिवर्तन करें और उसके बाद जम्मू और काश्मीर के बारे में बात करें ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि इस संशोधन के पारित हो जाने के बाद कानून की सारी आवश्यकतायें समय पर पूरी की जायें । उन्हें सभा के सामने फिर दुबारा समय बढ़ाने के लिये नहीं आना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभू (उदीपी) : मंत्री जी ने इस देश के पाठकों के बचाव के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है । जब से मजूरी विवाद उठा है ये समाचारपत्रों की अधिक कीमतें दे रहे हैं ।

जहां तक मुझे पता है, पिछले एक वर्ष में समाचार-पत्रों की कीमत 50 से 75 प्रतिशत तक बढ़ गई है । जब एक ओर लाखों पाठक दंड भुगत रहे हैं तो कुछ हजार कर्मचारियों को सन्तुष्ट क्यों किया जा रहा है । अखबार की कीमत नहीं बढ़ायी जानी चाहिये ।

छोटे समाचारपत्रों के बारे में नियुक्त की गई सरकारी समिति ने यह सिफारिश की थी कि 50 ग्राम से कम भार वाले समाचारपत्रों पर डाक शुल्क 1 नया पैसा होना चाहिये । सरकार ने इस बारे में क्या किया है । सरकार ने डाक शुल्क बढ़ा कर 5 पैसे कर दिया

प्रैस अधिनियम 1867 में पारित हुआ था । सरकार ने इस अधिनियम को अद्यतन नहीं बनाया । अधिनियम ने लगभग एक जैसे दो प्रपत्र निर्धारित किये । एक प्रपत्र वर्ष के शुरू में परिचालन विवरणी प्रस्तुत करने के बारे में था और ऐसा ही एक प्रपत्र अखबारी कागज प्राप्त करने

[श्री लोबो प्रभू]

के लिये था । दो प्रपत्रों की आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री इस पर विचार करें और इसमें संशोधन करके इसे अद्यतन बनायें । कुछ ऐसी विवरणियां निकाल दी जानी चाहिये जो अनावश्यक हों ।

पहिले अधिनियम के अधिनियमन और उसके लागू होने के बीच दो महीने का समय दिया जाता था । अगर हमने विधेयक आज पारित किया तो वह ठीक 30 सितम्बर को लागू होगा । मैं नहीं जानता कि पांच महीने का समय क्यों दिया गया है । अब जो अवधि नियत की गई है वह दिसम्बर के अन्त तक की गई है । सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि ऐसा क्यों किया गया ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण जम्मू और काश्मीर के लोगों को दी गयी केवल एक रियायत है । इस विधेयक के उपबन्धों का उस समय पालन नहीं किया जा सका और इसी लिये हमने यह संशोधन पेश किया है ।

मेरे विचार से इस विधेयक से जम्मू और काश्मीर को काफी लाभ पहुंचेगा जैसा कि आपको मालूम है जम्मू और काश्मीर में तीन भाषायें हैं, डोगरी, काश्मीरी और उर्दू । इस विधेयक से हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की जो गारण्टी दी गई है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगता । इस विधेयक से इन भाषाओं की पुस्तकों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा ।

श्री शेख अब्दुल्ला जम्मू और काश्मीर में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं । इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है । इसका क्या कारण है ।

भावनात्मक रूप से जम्मू और काश्मीर हमारा सबका एक अंग है । कानूनी रूप से हम कुछ उपाय कर सकते हैं और वे उपाय क्रमवार किये जायेंगे । अतः कानून उन व्यक्तियों ी सहायता करने के लिये है जो यह मानते हैं कि जम्मू और काश्मीर सब प्रकार से इस देश का एक अंग है ।

जम्मू और काश्मीर की जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन की बात है । राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद हमने क्या किया है ? हमने समस्याओं को हल करने की बजाय अधिक समस्यायें पैदा की हैं और प्रति दिन अधिक समस्यायें पैदा होती जा रही हैं । जम्मू और काश्मीर के लोग यह समझते हैं कि हम सब एक हैं और उनको देश के साथ एकीकरण की कोई चुनौती नहींदी जा सकती ।

श्री एम० मेघ चन्द (आन्तरिक मनीपुर): 1965 में किये गये संशोधन से प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जम्मू और काश्मीर पर लागू होता है। इस संशोधी अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो महीने के अन्दर प्रेस के मालिकों, मुद्रकों और पत्र पत्रिकाओं आदि के प्रकाशकों को एक नयी घोषणा करना आवश्यक है। यह अमभमान्य कठिन है कि दो महीने के अन्दर यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर में किस तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अब लगभग तीन साल के बाद यह संशोधी विधेयक इस सभा के सामने लाया जा रहा है। वैसे तो इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जब संसद कानून पास करती है तो यह बहुत आवश्यक है कि उसको कार्यान्वित किया जाये।

सरकार को यह देखना चाहिये कि प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वियन हमारे मूल अधिकारों को दृष्टि में रख कर किया जाय और ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिये—जिससे जम्मू और काश्मीर राज्य के लोगों पर उनके भाषण, विचार अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता के बारे में प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सरकार को ऐसी परिस्थितियां बनाने में सहायता करनी चाहिये जिससे कि प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबन्धों का क्रियान्वयन के साथ साथ इस राज्य के लोगों को अवसर भी मिल सके ?

समाचार–पत्रों के रजिस्ट्रार को घोषणा–पुस्तकों के पंजीकरण, ठीक तरह से फाइल बनाने और आंकड़े रखने आदि से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करने का उत्तरदायित्व उठाना चाहिये। उसे इस प्रकार से काम करना चाहिये कि इन मामलों के बारे में सम्बन्धित लोगों को कोई कठिनाई न हो।

पंज्यिक का कार्यालय समाचार पत्रों और पत्र–पत्रिकाओं के परिचालन के सही आंकड़े नहीं रखता है। इसके परिणामस्वरूप जिन समाचारपत्रों का परिचालन कम है उन्हें अखबारी कागज का कम कोटा मिलता है और जिन समाचारपत्रों का सबसे अधिक परिचालन है उन्हें अपेक्षित कोटे का आधा भाग मिलता है। इस प्रकार की अनियमितताओं की जांच की जानी चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिये कि जम्मू और काश्मीर के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आघात न हो।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : माननीय मंत्री काश्मीर के प्रेसों और समाचार पत्रों के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये जो उपाय कर रहे है वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। परन्तु मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह विधेयक सभा में 1 जनवरी, 1967 को लाया जाना चाहिये था। 1965 के प्रेस तथा पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के अधीन एक शर्त रखी गई थी कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो महीने के अन्दर अर्थात् 31 दिसम्बर, 1966 तक सब समाचारपत्र अपने संपादकों और मुद्रकों के नाम घोषित करें और

[श्री चपला कान्त भट्टाचार्य]

सब प्रेसों का पंजीकरण होना चाहिये। वस्तुतः ऐसा नहीं किया गया। इस विधेयक द्वारा उस अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस विधेयक को 31 दिसम्बर, 1966 के तुरन्त बाद लाना चाहिये था वस्तुतः यह एक गंभीर भूल है।

इस अधिनियम में लगभग 10 बार संशोधन हो चुका है। अन्तिम संशोधन 1965 में किया गया था।

इस अधिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संशोधन संसद के इतिहास में शायद प्रथम बार निश्चित की गई यह परिभाषा है कि जम्मू और काश्मीर भारत में सम्मिलित किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से इस अन्तिम चरण में भी जो प्रस्ताव पेश किया है उसके लिये सभा से अनुरोध करता हूं कि उसे स्वीकार कर लिया जाय और काश्मीर के प्रेसों और समाचारपत्रों को एक स्थायी और कानूनी आधार पर स्थापित किया जाय तथा उन्हें धीरे धीरे उन्नति करने दी जाय ताकि वे अन्य राज्यों के प्रेसों के स्तर पर आ जाय।

श्री क० निकप्पा (तुमकुर): माननीय मंत्री जी के कुछ उत्तरदायित्व हैं और उन्हें इन उत्तरदायित्वों को भारत की जनता के प्रति निभाना है और देश को प्रेस और प्रकाशनों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। समाचारपत्रों के एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिये और इस मामले पर समूचे देश में क्षोभ है। हमने मैसूर मंत्रालय के विरुद्ध एक आरोप-पत्र दिया था। एक आरोप था.....

उपसभापति महोदय: असंगत बातों के लिये समय नहीं है। आप केवल संगत बातों का ही उल्लेख करें।

एक समाचारपत्र 'प्रपंच' के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि अखबारी कोटा देते समय उसके साथ भेदभाव बरता गया है जबकि राज्य के अन्य पत्रों की उससे अधिक बिक्री होती है। वह आरोप भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। अखबार का कोटा बांटते समय हमेशा अन्याय किया गया है। अब बड़े मालिकों ने देश में एकाधिकार बनाया हुआ है। सरकार के रवैये के कारण समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में भी कमी हो गई है जिसके कारण देश में एक प्रकार का एकाधिकार उत्पन्न हो गया है। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस बारे में ध्यान दे कि अखबारी कागज के कोटे के बटवारे में एकाधिकार समाप्त हो।

समाचारपत्रों की बिक्री का निर्णय रजिस्ट्रार को करना होता है जिसकी नियुक्ति इस अधिकार नियम के अनुसार की गई है।

क्या सरकार की कोई ऐजन्सी है जिसके द्वारा सरकार को समाचार पत्रों की बिक्री का सच और उचित अनुमान हो जाता है। इससे देश में एकाधिकार की भावना जोर पकड़ती है। सरकार द्वारा छोटे समाचार पत्रों को अखबार के कोटे के बटवारे में सहायता न देने के कारण छोटे समाचार पत्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः छोटे समाच पत्रों को अखबारी कोटे को देते समय न्याय किया जाना चाहिये।

इस अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रारों को बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। प्रश्न यह है कि क्या उन अधिकारियों को, जो न्याय नहीं कर रहे हैं, इतने अधिकार दिये जाने चाहियें?

सरकार इस कानून को जम्मू और काश्मीर पर लागू करना चाहती है जो कि भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू और कश्मीर का विकास किया जाना चाहिये और इससे सम्बन्धित सब समस्याओं का शीघ्रता से हल किया जाना चाहिये। अखबारी कागज में काला बाजार किये जाने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): The Government have failed to enforce Act, 1965. This shows its inefficiency. It is doubtful whether the Government will be able to enforce this Bill after it is being passed.

Under the copy right law, there is a provision which is also applicable to Jammu and Kashmir, that every publisher in India should have to submit two copies of his publication to the Government. Two copies of all the books published in the country have to be sent to the National Library. But the Government has failed to enforce these regulations. Due to the monopolistic attitude in the newspaper industry, the freedom of newspaper is in danger. This industry should be nationalized.

The attitude of the Government towards the Indian Press is faulty and incorrect.

श्री नाथनार (पालघाट) : सरकार ने दिसम्बर, 1965 का अधिनियम लागू नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू और काश्मीर में मुद्रणालय और समाचार पत्रों का प्रश्न अधर में लटक रहा है। संसद् के निर्णयों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। इसी कारण संसद् के कथित निर्णय गत दो वर्षों में क्रियान्वित नहीं किये गये हैं।

बड़े समाचार पत्रों को अखबारी कागज और रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से मिल जाता है। छोटे समाचार पत्रों को कागज और रजिस्ट्रेशन के मामले में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

केन्द्रीय सरकार की अनुमति में आंध्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत उर्दू के नौ समाचार पत्रों को साम्प्रदायिक पत्रों की सूची में रखा गया है। मुझे इस बात की शंका है कि क्या जम्मू और काश्मीर के मुद्रणालय और समाचार पत्र पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ होंगे। मंत्री महोदय को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। सरकार को साम्प्रदायकता को दूर करने के नाम पर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और लोगों के अन्य वैध अधिकारों को कम नहीं करना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शृंखला वाले एकाधिकारियों को दी गई सुविधाओं में कमी की जानी चाहिये और छोटे पत्रों को अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

हमारे पत्रकार अधिक मजूरी और वेतन की मांग कर रहे हैं आप उनके वैध अधिकारों में रुचि नहीं ले रहे हैं और एकाधिकारियों का समर्थन कर रहे हैं।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि जम्मू और काश्मीर के लोगों के अधिकार में कमी नहीं करनी चाहिये। संविधान और संसद द्वारा दिये गये सब वैध मूलाधिकार जम्मू और काश्मीर के लोगों को अवश्य दिये जाने चाहिये।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि भारत सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये तैयार न थी। अतः मैं इस विधेयक का इतिहास बताऊंगा :—

[श्री के० के० शाह]

विधेयक राज्य सभा द्वारा 1 फरवरी, 1965 को पारित किया गया था और लोक सभा द्वारा वह 14 सितम्बर, 1965 को पारित किया गया । इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने 24 सितम्बर, 1965 को सम्मति दी और यह अधिसूचना जारी की गई कि यह अधिनियम 1 नवम्बर, 1965 से लागू होगा । धारा 5 क से यह स्पष्ट होगा कि जिन्होंने जम्मू और काश्मीर अधिनियम के अधीन कराई है उन्हें 1 नवम्बर , 1965 और 31 दिसम्बर, 1965 के बीच पुनः रजिस्ट्री करानी थी और अपने आवेदन पत्र भेजने थे। उससे पहले दिन राज्य सरकार को धारा 5,8 और 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंट मजिस्ट्रेट को सक्षम अधिकारी के रूप में उल्लिखित करना था, जिसके सामने रजिस्ट्रेशन होना था। उन्हें राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी थी। मुद्रणालयों के मालिकों का उसके सामने नाम निर्देशन करना होता है और सूचियां प्रस्तुत करनी होती हैं। इस बीच पाकिस्तानी युद्ध के कारण जम्मू तथा काश्मीर सरकार अधिनियमों के उक्त उपबन्धों का पालन नहीं कर सकी।

आंध्र विधेयक पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और सब मुख्य मंत्रियों पंजाब अधिनियम को स्वीकृति दी थी। आंध्र विधेयक उसी प्रकार जिस प्रकार पंजाब अधिनियम है।

यह नहीं कहा जा सकता कि जम्मू और काश्मीर में कोई विनियमन नहीं है। जैसे ही अधिनियम लागू होगा, वैसे ही यह जारी हो जायेगा। छोटे समाचार पत्रों के बारे में ध्यान न देने का आरोप लगाने से पूर्व उनसे विचार विमर्श किया जाना चाहिये था। इसके विरुद्ध अखबारी कागज के वितरण की कितनी अच्छी नीति रही है कि छोटे समाचारपत्र पिछले वर्ष का अपने अखबारी कागज का कोटा नहीं उठा पाये हैं। इसमें चोर बजारी का प्रश्न ही कहां है। यदि वहां चोर बाजारी होती तो, छोटे समाचार पत्रों ने अपना कोटा उठा लिया होता और उसे चोर बाजारी में बेच दिया होता। सच यह है कि छोटे समाचार पत्रों ने अपना कोटा नहीं उठाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अखबारी छोटे समाचार पत्रों को अखबारी कागज का वितरण निष्पक्ष रहा है।

यह अधिनियम समूचे देश में समाचार पत्रों के हित में और जम्मू और काश्मीर में समाचार पत्रों और पुस्तकों को प्रकाशन के हित में सन 1965 में पारित किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से इसके कार्यान्वियन के लिये दिया गया समय दो महीने का था और इस अवधि में भारत सरकार की शक्तियां समाप्त हो गई थीं। इसलिए एक संशोधित विधेयक लाना पड़ा और मुझे आशा है कि सभा इसे पारित कर देगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1967 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम इस पर खंडवार चर्चा करेंगे। खंड 2 के बारे में दो संशोधन प्राप्त हुए हैं। एक श्री लोबो प्रभु और दूसरा श्री अब्दुल गनी से। क्या श्री लोबो प्रभु अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

श्री लोबो प्रभु : मैंने संशोधन प्रस्तुत किया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल गनीदार आपका भी यही संशोधन है। मैं आपको विचार प्रकट करने के लिये कुछ समय दूंगा।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): The excuse that the Act could not be implemented because of Pakistani invasion in 1965, is a lame excuse. In fact Government's views are not still clear on this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल अपने संशोधन के बारे में विचार व्यक्त करें। यदि वह संशोधन के बारे में कुछ कहेंगे तो मैं इसकी अनुमति दूंगा अन्यथा नहीं।

Shri Abdul Ghani Dar: The pdovision of this Bill should be implemented from 30th September and the amendment to that aspect should be accepted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment wsa put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1 विधेयक का नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1 the Enacting Formula and the Bill were added to the Bill.

Shri Abdul Ghani Dar: What about my amendment?

1806(ai)LSD—14.

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन वही था जो पहले प्रस्तुत किया गया। अतः उसे प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री के० के० शाह :

"विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बैंकिंग विधियाँ (संशोधन) विधेयक

BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जैसा कि सभा को विदित है कि बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 को सभा में 23 दिसम्बर को पुरःस्थापित किया गया था और उसके बाद उसको 6 मई, 1968 को प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति ने सम्बद्ध पक्षों के साक्ष्य को सुना और विधेयक में बहुत से परिवर्तन करने की सिफारिशें कीं। प्रवर समिति के प्रतिवेदन में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य, बैंकिंग विनियमन अधिनियमन, 1949 में संशोधन करना है ताकि बैंकों पर प्रभावशाली सामाजिक नियंत्रण लागू करने के उद्देश्य से कुछ नये उपबन्ध उसमें शामिल किये जायें। विधेयक के खंड 3 में निदेशक मंडल के पुनर्गठन तथा व्यावसायिक व्यक्तियों को पूरे समय के लिये बैंकिंग कम्पनियों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नये उपाय बताये गये हैं।

यद्यपि माननीय सदस्यों को इस योजना के विस्तृत उपबन्धों की जानकारी है, तथापि सामाजिक नियंत्रण योजना के महत्व को देखते हुए मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। आम तौर पर यह आरोप लगाया जाता है कि व्यापारिक बैंकों और बड़े उद्योग गृहों में घनिष्ट सम्बन्ध होता है और ऋणों के वितरण के मामले में वे बैंकों के प्रबन्धकों पर उनके दैनिक ऋण सम्बन्धी निर्णयों में अनुचित प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों तथा कृषि जैसे अनेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। इसलिये यह महसूस किया गया कि ऐसे सम्बंधों को समाप्त करने अथवा कम से कम उन्हें निष्प्रभावी करने के लिये कार्यवाही की जाये और बैंकों के केवल उद्योग और व्यापार की ओर के झुकाव को रोका जाये। वर्तमान बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना संभव नहीं था। वर्तमान निधि के अन्तर्गत प्रबन्धक पदों पर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के अतिरिक्त कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह सच है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति का रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक होता है, परन्तु निदेशक मंडलों के अध्यक्ष पर, जो निर्देशकों की बैठकों की

अध्यक्षता करता है, रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता। वर्तमान विधि के अन्तर्गत निदेशक मंडलों की रचना के बारे में भी कोई मार्गदर्शक अपबन्ध नहीं है हालांकि ऐसी रचना का उन नीति विषयक निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो निदेशक मंडल को समय समय पर लेने होते हैं। इसलिये इस विधेयक के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि व्यापारिक बैंकों का, जिन्हें बताये गये सकेतों के अनुसार वास्तविक ऋण सम्बन्धी ऋण निर्णय लेने होते हैं, इस प्रयोजन की ओर ध्यान हो और ऐसे संकेतों को क्रियान्वित कराने के लिये रिजर्व की शक्तियों को पर्याप्त तथा व्यापक बनाया जाये ।

प्रस्तावित धारा 10क में प्रथम बार निदेशक बोर्डों के गठन के बारे में कुछ स्पष्ट माप दण्ड निर्धारित किये गये हैं, ताकि ऐसे व्यक्तियों का बहुमत न हो जिनके बड़े अथवा दरमियाने दर्जे के औद्योगिक उद्यमों में काफी हित हो अथवा उनका उन से सक्रिय सम्बन्ध हो। इसके अतिरिक्त नई धारा 10ख में व्यवस्था की गई है कि चैयरमैनों का किसी कम्पनी या फर्म के साथ गहरा सम्बन्ध नहीं होना चाहिये अथवा काफी हिस्सा नहीं होना चाहिये तथा उन्हें बैंकिंग कम्पनी अथवा वित्तीय संस्थान अथवा वित्तीय, आर्थिक अथवा व्यापारिक प्रशासन की विशेष जानकारी तथा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ इस बात पर सहमत होगी कि इन दो धाराओं के कारण निदेशक मंडलों के गठन में निश्चित सुधार होगा और उनके ऋण सम्बन्धी निर्णयों पर व्यापार अथवा उद्योग का अनुचित प्रभाव नहीं पड़ सकेगा ।

इस आरोप के उत्तर में कि व्यापारिक बैंकों के पुनर्गठन तथा प्रबन्धक व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में बनाई गई इन दो धाराओं से बैंकों पर राजनैतिक नियंत्रण बढ़ जायेगा, मैं अधिक कुछ न कहते हुए, इस भ्रम को दूर करने के लिए केवल यह कहना चाहता हूं कि निदेशक मंडलों के सदस्यों अथवा पूर्णकालिक अध्यक्षों की नियुक्तियों में तब तक हस्तक्षेप करने का सरकार अथवा रिजर्व बैंक का कोई इरादा नहीं है जब तक कि उन्हें यह विश्वास न हो जाये कि निदेशक मंडल के गठन अथवा अध्यक्षों की नियुक्ति से सांविधिक आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं। यदि रिजर्व बैंक को किसी अवसर पर अध्यक्ष को हटाना पड़ता है तो रिजर्व बैंक के निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था की गई है और यह अपील केन्द्रीय सरकार के पास जायेगी। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति में इस बात का आश्वासन दिलाया गया था कि रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार केवल इस बात पर अध्यक्ष को हटाने के लिये इस धारा का उपयोग नहीं करेगा कि वह रिजर्व बैंक की मुद्रा सम्बन्धी नीति अथवा बैंकिंग नीतियों अथवा केन्द्रीय सरकार की राजकोषीय अथवा आर्थिक नीतियों की आलोचना करता है ।

सामाजिक नियंत्रण योजना का एक और महत्वपूर्ण उपबन्ध यह है कि इससे बैंकिंग कम्पनियों के निदेशकों को दिये जाने वाले ऋणों अथवा अग्रिम धन की राशि पर रोक लगाई गई है। इस खण्ड पर प्रवर समिति में भी विस्तार से विचार किया गया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपबन्ध के होते हुए अपने अथवा अपनी फर्मों के लिए ऋण लेने के मामले में कोई ग्रुप अथवा कुछ व्यक्ति अनुचित प्रभाव नहीं डाल सकेंगे ।

अब मैं प्रस्तावित धारा 36क घ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस धारा पर प्रवर समिति में विस्तार से विचार किया गया था तथा प्रवर समिति में पेश किये गये संशोधनों के

परिणामस्वरूप यह धारा अपने वर्तमान संशोधित रूप में सभा के समक्ष आई है । यद्यपि कुछ माननीय सदस्य इस धारा को बिना शर्त स्वीकार नहीं कर सके हैं, तथा समिति ने बहुमत से इस नई संशोधित धारा को स्वीकार करने की सिफारिश की है । बैंक मुख्यतया सेवा करने वाली संस्थाएं हैं और उन्हें कुशल और अनुशासित इकाइयों के रूप में काम करना होता है । इन्हें जनता ऋण लेने वालों और जमा करने वालों के प्रति कुछ उत्तरदायित्व निभाने होते हैं तथा परक्राम्य संलेख अधिनियम के अधीन खुला रहना होता है और अपने वायदों को निभाना होता है । यदि कार्यालय की चार दीवारी में जान बूझ कर इस तरह की बाधा डाली जाती है अथवा धमकी दी जाती है जिससे कार्यालय के कार्य करने में बाधा पड़ती है, तो इसके वैयक्तिक या व्यापारिक या वाणिज्यिक संस्थाओं में इस प्रकार के तरीके अपनाने से कहीं गम्भीर परिणाम होते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव किसी विशेष उद्योग पर ही पड़ता है और बैंकों में अपनाये गये इन तरीकों का प्रभाव बहुत अधिक व्यापक होता है । इसलिये किसी व्यक्ति के हिंसापूर्ण कार्यों पर या इस तरह के तरीकों पर, जिन से किसी बैंक के कार्य संचालन में बाधा पड़ती हो या बाधा डाली जाती हो, रोक लगाने के सम्बन्ध में एक और नई धारा जोड़ दी गई है ।

यह तर्क पेश किया गया है कि बैंक सम्बन्धी निर्णयों और द्विपक्षीय में "भारी दूराचरण" या "मामूली दूराचरण" के मामलों के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही का उपबन्ध किया गया है । उक्त उपबन्ध प्रस्तावित धारा का स्थान नहीं ले सकता है । द्विपक्षीय समझौते के अधीन निर्धारित प्रक्रिया केवल कर्मचारियों पर ही लागू होती है, जब कि प्रस्तावित धारा कर्मचारियों सहित सभी पर लागू होती है । आगे, वर्तमान उपबन्धों के अनुसरण में केवल बैंक प्रबन्धक ही अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, जब कि प्रस्तावित धारा के अधीन यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह न्यायालय में मुकदमा चला सकता है ।

मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि विधेयक के द्वारा हड़ताल सहित उचित कार्मिक संघों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है, अपितु इस में केवल अवांछनीय कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई है ।

मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रवर समिति में, कुछ परिस्थितियों में बैंकिंग कम्पनियों को अपने हाथ में लेने के लिये बैंकिंग विनियम अधिनियम में एक नया प्रकरण शामिल करने के प्रश्न पर लगभग सर्वसम्मति से सहमति प्रकट की गई थी, यदि कुछ माननीय सदस्यों ने इस उपबन्ध का विरोध भी किया था और इसे परोक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण करने की संज्ञा दी थी । मेरे विचार में यह आलोचना सही नहीं है । नई धारा में स्पष्टतया इस तरह की शर्तें निर्धारित करने की बात कही गई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार को बैंकिंग कम्पनी को अर्जित करने के प्रश्न पर विचार करने से पहले पूरा करना होगा और विधेयक में क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में हिसाब लगाने का विस्तृत तरीका भी निर्धारित किया गया है । यह कोई मनमानी शक्तियां नहीं हैं, जो केन्द्रीय सरकार प्राप्त करने जा रही है ।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम में कुछ और संशोधन करने के प्रस्ताव किये गये हैं जिनका मुख्य उद्देश्य रिजर्व बैंक के नियंत्रण को विस्तृत करना है । नियंत्रण का वर्तमान स्वरूप मुख्यतया प्रतिबन्धात्मक है और इसमें जमा करने वालों के हितों की रक्षा करने पर जोर दिया गया है । परन्तु सामाजिक नियंत्रण के वर्तमान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि रिजर्व बैंक को और अधिक सार्थक और प्रभावशाली शक्तियां दी जानी चाहियें । इस लिये रिजर्व

बैंक को जमा करने वालों और बैंकिंग कम्पनियों के समुचित कार्यसंचालन के हित में ही नहीं, अपितु बैंकिंग नीति के हक में भी, पर्यवेक्षक नियुक्त करने अथवा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने अथवा बैंकिंग कम्पनियों को सामान्य निर्देश देने की शक्तियां देने का प्रस्ताव है । मुझे खुशी है कि प्रवर समिति ने बैंकिंग नीति की मूल परिभाषा में संशोधन किया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि बैंकिंग प्रणाली अथवा आर्थिक स्थिरता अथवा ठोस आर्थिक विकास के हित में कोई नीति निर्धारित करते समय जमा करने वालों के हितों पर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

यद्यपि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन करना है, तथापि इस अवसर का लाभ उठाते हुए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में भी कुछ मामूली संशोधन करने के प्रस्ताव रखे गये हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में मामूली संशोधनों का मुख्य उद्देश्य रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के जरिये निर्यातक को दी जाने वाली बैंकिंग ऋण पेशगी के लिये धन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना, रिजर्व बैंक के जारी करने वाले विभाग में अवमूल्यन के बाद रोके गये सोने का वर्तमान समान दर पर पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना तथा रिजर्व बैंक को सोना खरीदने और बेचने का अधिकार देना तथा बैंकिंग में प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है । स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है उनका उद्देश्य ऋण लेने वालों को 6 महीने की अवधि की बजाये 12 महीने की अवधि के लिये ऋण देना और इसके केन्द्रीय बोर्ड द्वारा स्वीकृत कुछ मामलों में ऋण की अवधि को 18 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ाना है ।

अब मैं एक सरकारी संशोधन का उल्लेख करूंगा । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है मैंने अपने बजट भाषण में यह घोषित किया था कि व्यापारिक बैंकों को सभी प्रकार के निर्यात ऋणों के सम्बन्ध में कुछ राज सहायता दी जायेगी । ऐसी एक योजना बना ली गई है तथा इसे लागू कर दिया गया है । यह सुविधाजनक होगा यदि रिजर्व बैंक को, केन्द्रीय सरकार के एक एजेंट के रूप में, योजना चालू करने की शक्तियां दी जायें, क्योंकि इससे योजना की दैनांदिक क्रियान्विति में सुविधा होगी और इस योजना के अधीन व्यापारिक बैंकों को मिलने वाले दावो का शीघ्र भुगतान हो सकेगा । प्रस्तावित संशोधन अपेक्षाकृत मामूली तथा निरअपवाद है ।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ संशोधन प्रस्ताव हैं कि विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये 1 नवम्बर, 1968 तक के लिये परिचालित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फरनेन्डीज का संशोधन संख्या 79 भी ऐसा ही है, जैसा कि संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत किया गया है ।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 80 प्रस्तुत करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये दिसम्बर, 1968 तक के लिये परिचालित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दार का संशोधन नियम बाह्य है, क्योंकि उसमें किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है कि परिचालन के बाद विधेयक कब तक वापस आना चाहिये। एक और संशोधन है, जो कि संशोधनों के लिये निर्धारित की गई समय-सीमा के बाद प्राप्त हुआ है, इस लिये वह भी नियम बाह्य है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक पर जब तक विचार नहीं किया जा सकता, तब तक इसके कुछ उपबन्धों को न हटाया जाये, क्योंकि वे उपबन्ध संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हैं। मंत्री महोदय ने धारा 36क के औचित्य को, जिस में बैंकिंग कार्यालय में किसी व्यक्ति को दाखिल होने से रोकने तथा कार्यालय के अहाते में प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी से कहना चाहता हूं कि उप प्रधान मंत्री ने पहले ही यह पूर्वानुमान लगाकर कि इस की आलोचना की जायेगी, इसका उत्तर दे दिया है।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : माननीय सदस्य को यह आपत्ति विधेयक की पुरःस्थापना के समय उठानी चाहिये थी।

श्री स० मो० बनर्जी : पुरःस्थापना के समय भी मैंने आपत्ति उठाई थी। अब मेरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक पर, प्रवर समिति में संशोधन रूप में चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें मूलभूत अधिकारों का हनन किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी आपत्ति के समर्थन में संविधान के उपबन्ध का उल्लेख करें।

श्री मोरारजी देसाई : महोदय, इस व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का का प्रश्न है। उन्होंने विधेयक की वैधानिकता के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इस अवस्था में विधेयक की वैधानिकता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे नियमों की जानकारी है। व्यवस्था का प्रश्न किसी भी समय उठाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने व्यवस्था के प्रश्न की पुष्टि में संविधान के उपबन्धों का उल्लेख करें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आप का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 19 की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में मूल भूत अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है :--

सब नागरिकों को--

(क) वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का ;

(ख) शान्तिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का ;

(ग) संस्था या संघ बनाने का ;

(घ) भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध "संचारण का" इत्यादि-इत्यादि अधिकार होगा।

अब खण्ड 36कघ को देखिये। इसमें बैंकों के अहातों में कोई हिंसात्मक प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है, परन्तु हिन्सात्मक शब्द की परिभाषा नहीं बताई गई है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात संगत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम प्रक्रिया के अनुसार सभा की कार्यवाही चला रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पहले व्यवस्था के प्रश्न का निबटारा करने दीजिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी के विमति टिप्पण का उल्लेख करता हूं। सर्वप्रथम इस प्रस्तावित धारा में बैंकिंग उद्योग के श्रमिक सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है। महोदय बैंकिंग उद्योग के बारे में पहले ही एक अनुशासन संहिता है जिसे वर्ष 1958 में नियोजकों तथा कर्मचारियों की सहमती से स्वीकार किया गया था। इसे सरकार, कर्मचारियों तथा नियोजकों द्वारा स्वीकार किया गया था।

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : माननीय सदस्य जो आपत्ति उठा रहे हैं, उसे उच्चतम न्यायालय में उठाया जा सकता है, न कि इस सभा में।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री चपलकांत भट्टाचार्य संस्कृत के पंडित हो सकते हैं, न कि कानून के।

श्री स० मो० बनर्जी : इस समस्या की मुख्य बात यह है कि बड़े बड़े बैंकों के मालिक वित्त मंत्री से सांठगांठ करके अथवा वित्त मंत्रि से मिलकर, बैंक कर्मचारियों के हड़ताल करने अथवा प्रदर्शन करने के मूलभूत अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। एक बैंकिंग पंचाट है और उस के अनुसार (**अन्तर्वधियें**)

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपनी बातें संक्षेप में कहनी चाहियें।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री सी० टी० दण्डापाणि ने अपने विमति टिप्पण में कहा है कि धारा 36कघ (1) लोगों के शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने अथवा धरना देने के वैध और मूलभूत अधिकार का हनन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बातें कहें। यदि वह हर सदस्य की विमति टिप्पणी का उल्लेख करते रहें, तो उन का व्यवस्था का प्रश्न कभी समप्त नहीं होगा। मुझे इस मामले की पूर्ण जानकारी है। मैंने उन्हें बोलने का पूरा मौका दिया है। वह कृपया अपनी बात शीघ्र पूरी करें।

श्री स०मो० बनर्जी : धारा 36 क घ 1958 के 16वें श्रम सम्मेलन में बनाये गई अनुशासन संहिता के विरुद्ध है। इसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। दूसरे इस धारा में प्रदर्शन करने के मूलभूत अधिकार का हनन किया गया है। तीसरे एक स्थायी आदेश है जिस के अन्तर्गत बैंक कर्मचारियों को सजा दी जा सकती है। उन्हें घोर अवज्ञा और घोर कदाचार के लिये बर्खास्त किया जा सकता है। जब यह उपबन्ध पहले से ही विद्यमान है, तो इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि बैंक कर्मचारी इस उपबन्ध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वे देश की हर गली में इस का पूर्ण विरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करता हूं। मैंने श्री बनर्जी के व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर भी विचार किया है तथा मेरे विचार से उस में मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है।

श्री पीलू मोदी : यह आप कैसे निर्णय कर सकते हैं इसका निर्णय तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मैं अपने अधिकारों का ठीक उपयोग कर रहा हूं। यदि वह संतुष्ट नहीं होते तो किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। यह मामला इतना सरल नहीं है तथा यह बार-बार उठेगा। उन्होंने स्थायी आदेशों अथवा विपक्षीय समझौतों के बारे में आंकड़े दिये हैं। जो लोग यह अनुभव करते हैं कि श्रम संस्थाओं के श्रम नेताओं तथा श्रम मंत्रालय आदि द्वारा बनाई गई परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है तो वे किसी स्थान पर विरोध प्रकट कर सकते हैं परन्तु उसके लिये यह स्थान नहीं है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : स्थायी आदेश परम्पराएं नहीं होते बल्कि कानून के अन्तर्गत प्रमाणित होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उनका उल्लंघन हुआ है तो जो कुछ भी सम्बन्धित पक्षों के मध्य तय हुआ उसके बारे में उसी ढंग से मामला लाया जा सकता है। जहां तक वर्तमान स्थायी आदेशों का सम्बन्ध है, यद्यपि उनमें अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने का उपबन्ध है, परन्तु यदि अनुशासन को कड़ा करने का विचार है तथा यदि इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता, तो विधेयक प्रस्तुत करने वालों की यह हक़ है तथा मैं आगे कार्यवाही चलाता हूं। आप यह मत समझिये कि मैं नियमों का पालन नहीं कर रहा हूं। मैंने श्री बनर्जी की बात सुनी थी तब श्री श्रीकान्तन नायर उठ खड़े हुए।

श्री नी० श्री कान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह विधेयक उद्देश्यों और कारणों के विवरण में वर्णित अधिनियम को तथा उसमें लम्बे शीर्षक को संशोधित करना चाहता है। एक नये आपराधिक दोष के बढ़ाने से भारतीय दण्ड संहिता तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी संशोधन होता है। अतः बिना उन नियमों में इसका वर्णन किये, तथा बिना इसकी सूचना जनता और इस सभा को दिये कोई भी संशोधन करना अवैध तथा अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त 20 वर्ष से चली आ रही परम्परा को तोड़ना अर्थात् पहले इसे स्थायी श्रम समिति के समक्ष न रखना भी अनियमित है। अतः इस प्रकार का अवैध कार्य हमें कहां ले जायेगा ?

उपयध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं कि इसे स्थायी श्रम समिति के समक्ष उठाया जाना चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : आज मैं संसद् पुस्तकालय से बैंकिंग विनियमन अधिनियम की संशोधति प्रति लेना चाहता था। इसमें जो लिखा है उससे पता चलता है कि यह विधेयक उस अधिनियम के अनुभाग 10 को संशोधित करता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और उसे वर्ष 1965 में रद्द कर दिया गया था। इसी प्रकार विधेयक के खण्ड 4 में अनुभाग 16 को संशोधित करने का उपबन्ध है जबकि इस अनुभाग का भी कोई अस्तित्व नहीं है। उस को भी वर्ष 1965 में रद्द कर दिया गया था। ऐसे ही और भी अनुभागों के साथ हुआ है। अतः उप-प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह यह विधेयक वापस ले लें तथा इस को फिर से देख कर पुनः सभा में लायें।

श्री मोरारजी देसाई : यह है वह अधिनियम जो आजकल चालू है तथा जो कि जुलाई, 1966 तक संशोधित है। इसमें अनुभाग 10 भी है और 16 भी।

इन धाराओं का निरसन हो जाने से उनके नम्बर दोबारा लगाये जायेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इसमें से रह जायेगी।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मुझे ये प्रति संसद् पुस्कालय से मिलीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नया संस्करण मिलना चाहिए।

श्री श्रीनिवास मिश्र : धारा 101 खण्ड 3 में दिया गया है कि मूल अधिनियम में धारा 10 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये।

परन्तु अधिनियम में धारा 10 नहीं है।

श्री रा० ठो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : अधिनियम बाद में भी देखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वकील हैं और जानते हैं कि एक ऐसी धारा का जिसका अतित्व ही नहीं है संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye: I submit sir that you kindly adjourn the house under Rule 340.

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रस्ताव पर नहीं। मैं सभा की बैठक को छः बजे स्थगित करूंगा। समय हो गया है तथा अब हम कल 11 बजे तक के लिये सभा स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 अगस्त, 1968/ 11 श्रावण, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 2, 1968|Sravana 11, 1890 (Saka).]

GMGIPND—L.S. II—1806 (Ai) LSD—14-2-69—500.